लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला

Fourth Series

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.91
Parliament Library

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)

Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जुलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]

[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)

(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 23, गुरुवार, 22 जून, 1967/1 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 23–Thursday, June 22, 1967/Asadha 1, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
661	सरकारी उपक्रमों में कार्य-कारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं	Training Facilities in Public Executives Undertakings	2951–2955
662	आयकर राजस्व की लेखा परीक्षा	Auditing of Income-tax Revenue ..	2955–2958
663	उर्वरक उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Investment in Fertilizer industry ..	2958–2964
664	हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम की धन–सम्पति	Wealth of the Late Nizam of Hyderabad ..	2964-2968

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
665	केन्द्रीय सरकार के कर्मचा-रियों को अवकाश	Leave to Central Government Employees ...	2968
666	राष्ट्रीय आय के संबध में महलनोबिस का प्रतिवेदन	Mahalanobis Report on National Income	2968
667	योजना में प्राथमिकताएं	Plan Priorities	2969
668	औषधियों का मूल्य	Prices of Drugs	2969
669	सिंदरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizer Factory ..	2970
670	अंशत: नेपाल में स्थित पश्चिम कोसी नहर	Western Kosi Canal Partly Located in Nepal ...	2970

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
671	गामा ग्लोबुलाइन्ज तथा अल्बुमिन का निर्माण करने के लिये भारत-बल्गारिया उपक्रम	Indo-Bulgarian Venture for the Manufacture of Gamma Globulines and Albumin	2970-2971
672	खाद्य सहायता सार्थ संघ के सदस्य देशों के साथ खाद्यान्न संबंधी करार	Agreement on Food with Food aid Consortium countries ..	2971
673	विदेशों से प्राप्त की गयी सहायता	Aid received from abroad ..	2972
674	अमरीकी ऋण	U. S. Financial Loan ...	2972-2973
675	पी. एल. 480. करार के अन्तर्गत आयात किये गये माल पर भाड़ा	Freight charges on P. L. 480 Imports	2973
676	सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of General Insurance	2973
677	करों की वसूली	Tax Collection	2974
678	निर्मित वस्तुओं के कारखाना-द्वार मूल्यों का स्थिरीकरण	Freezing of Ex-factory prices of manufactured Articles ...	2975
679	जीवन बीमा निगम की पालिसियों का व्यपगत (लैप्स) हो जाना	Lapse of Life Insurance Corporation Policies ...	2975
680	परिवहन सर्वेक्षण	Transport survey —	2975 2976
681	दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के लिए घरेलू प्रयोगार्थ बिजली (डोमेस्टिक पावर)	Domestic Power for Government Quarters in Delhi	2976
682	विदेशी बैंकों में खाते	Accounts in Foreign Banks	2976-2977
683	दिल्ली में बिजली का संकट	Power Crisis in Delhi ...	2977
684	देश में दिल तथा रक्तचाप की बीमारियां	Heart and Blood Pressure Diseases in the country	2977-2978

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

686	दिल्ली में पेय जल की कमी	Scarcity of Drinking Water in Delhi ...	2978
687	नर्सें	Nurses ...	2978-2979
688	तेल का आयात	Import of Oil ..	2979
689	बिड़ला समवाय समूह को दिये गये ऋण	Loans given to Birla Group of companies	2979-2980
690	हरियाना राज्य को सहायता	Assistance to Haryana State	2980

अतारांकित प्रश्न /U. S. Q.

3221	बम्बई में परिवार वाले अधिकारियों को क्वाटर	Accommodation for Family Officers in Bombay ...	2980-2981
3222	कुष्ठ रोगी	Leprosy Patients	2981-2982
3223	पोस्त की खेती	Poppy Cultivation ...	2982-2983
3224	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाएं	National Irrigation Projects in Madhya Pradesh	2983
3225	त्रिपुरा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कृषक	S. C. and S. T. Agricultnrists In Tripura ..	2983-2984
3226	रुस की सहायता से मध्य प्रदेश में हाउसिंग फैक्टरी की स्थापना	Housing Factory in M. P. with USSR Assistance	2984
3227	स्टाक मार्केट में इक्विटी शेयरों के मूल्य में गिरावट	Decline in Equities in Stock Market ...	2984-2985
3229	कृषकों की सहकारी समितियों द्वारा उर्वरक कारखाने की स्थापना	Fertilizer Plant by Co-operatives of Farmers	2985
3230	सोने का निकाला जाना	Gold Production ...	2985-2986
3231	समाचार पत्र संवाददाताओं के लिये फ्लैट	Flats for Press Correspondents ..	2986-2987
3232	खम्भात की खाड़ी में तट से दूर तेल की खोज	Off-Shore Exploration in Cambay	2 87

3233	मद्रास राज्य में वैगाई पुनराधुनिकरण योजना	Vaigai Re-modernising Scheme in Madras State ...	2987
3234	विकलांग बच्चों को रोजगार देना	Rehabilitation of Handicapped children	2988
3235	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिये कल्याण कार्य	Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	2988
3236	फरीदाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता	Compensatory allowance to C. P. W. D. Staff at Faridabad –	2989
3237	लघु तथा मध्यम पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता	Financial assistance for small and medium scale Industrial Enterprises	2989
3238	इंडिया गेट-केन्द्रीय सचिवालय क्षेत्र का विकास	Development of India Gate–Central Secretariat Area	2989–2990
3239	चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के क्वार्टरों में पंखे लगाना	Installation of Fans in Class IV Employees quarters	2990
3240	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	2990–2991
3241	दिल्ली में अर्ध विकसित भूमि पर मकानों का निर्माण	Construction of houses on semideveloped land in Delhi	2991
3242	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान	Houses for S Cs. and S. Ts.	2991
3243	कोयला खानों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Collieries	2991–2992
3244	चौथी पंचवर्षीय योजना से ताप-बिजली घर सम्बन्धी योजना	Thermal Plants scheme during the Fourth Five Year Plan ..	2992–2993

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3245	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर	C. G. H. S. Doctors ..	2993-2994
3246	बनजारों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूचि में शामिल करना	Inclusion of Banjaras in List of Scheduled Tribes	2994
3247	एशियाई फ्लू विषाणु	Asian Flu Viruses ...	2994-2995
3248	भारतीय चिकित्सा पद्धति	Central Council for Indian System of Medicines ..	2995
3249	धोबियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Dhobies	2995-2996
3250	किसानों को कम दर पर बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity at lower rates to Agriculturists ...	2996
3251	दिल्ली दुग्ध योजना की बोतल में कीड़े	Insects in D. M. S. Milk Bottle ..	2996
3252	विभिन्न योजनाओं की अवधियों में मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices during various Plan periods	2997
3253	मानव रक्त में डी. डी. टी.	D. D. T. in Human Blood	2997-2998
3254	डी. टी. टी. कारखाना दिल्ली	D. D. T. Factory at Delhi ...	2998-2999
3255	दिल्ली के डी. डी. टी. कारखाने से निकालने वाला खराब जल	Effluent from DDT Factory, Delhi	2999-3000
3256	दिल्ली के डी. डी. टी. कारखाने से निकलने वाले दूषित जल को नजफगढ़ नाले में बहाना	Discharge of Effluent in Najafgarh Nalla by DDT Factory, Delhi	3000
3257	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिया गया ऋण	Market loans floated by Central and State Governments	3000-3001
3258	अमरीकी शान्ति कोर के स्वयं सेवक	American Peace Corps Volunteers ..	3001

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS - Contd.

3259	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड में सिविल निर्माण-कार्य	Civil Construction Work in Hindustan Insecticides Ltd. ..	3002
3260	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को धन तथा छात्रवृत्तियां	Funds and Scholarships to S. Cs, and S. T. students in Rajasthan ...	3002–3003
3261	नई दिल्ली के बाजारों में दुकानों में शिकमी किरायेदार रखना	Subletting of shops in New Delhi markets	3003
3262	ग्राम्य और औद्योगिक परियोजनायें	Rural Industrial Projects ..	3003–3004
3263	उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Clinics in Orissa ...	3004
3264	उड़ीसा में आदिम जातीय खण्ड	Tribal Blocks in Orissa	3004
3265	उड़ीसा के लिए ग्राम्य आवास योजना	Rural Housing Scheme for Orissa ...	3004–3005
3266	उड़ीसा में भूकम्पीय सर्वेक्षण	Seismic Surveys in Orissa ..	3005
3267	समाज सुरक्षा सम्बन्धी योजनायें	Social Security Schemes	3005
3268	मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की मांग	Financial Assistance sought by, M. P. Govt. to meet the Burden of Dearness Allowance ...	3005–3006
3269	तीसरी योजना में उड़ीसा का परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme of Orissa during III Plan	3006–3007
3270	उड़ीसा में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	Industrial Houing Scheme, Orissa ...	3007

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3271	रूसी सहायता वाली परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब	Delay in the Execution of Russian Aided Projects	3007–3008
3272	डीजल तेल का उत्पादन	Production of Diesel Oil	3008
3273	नागार्जुन सागर बांध	Nagarjunasagar Dam	3008–3009
3274	केरल के तट से दूर क्षेत्रों में तेल की खोज	Exploration of Oil in Offshore areas of Kerala ...	3009
3275	तटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बारे में रूस के साथ करार	Agreement with Soviet Union for Survey of Offshore Areas ..	3009
3276	केरल में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Kerala	3009
3277	गाजीपुर ओपीयम एण्ड अलकली वर्क्स के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Ghazipur Opium and Alkali Works ...	3010-3011
3278	पोर्ट केनिंग के निकट छिद्रण कार्य	Drilling Operation near port Canning ..	3011
3279	उडीसा में आयकर सम्बन्धी काम का भार	Income Tax workload in Orissa ..	3011-3012
3280	उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र	Leprosy Control Centres in U·P. ...	3012
3281	गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification	3012–3013
3282	मद्रास राज्य की मिट्टी के तेल की आवश्यकता	Requirement of Kerosene Oil of Madras State	3013
3283	भारत में खाद्य अपमिश्रण के मामले	Food Adulteration cases in India	3013–3014
3284	ईसाई मिशनों द्वारा चलाये जाने वाले अनाथालय	Orphanages run by Christian Missions	3014
3285	विदेशों से कारें लाने वाले अधिकारी	Officials bringing cars from abroad	3014-3015

प्रश्नों के लिखित उत्तर – (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3286	समाज सेवा अनुसन्धान कार्यक्रमों की अयोजना तथा क्रियान्विति के लिये स्वायत्तशासी निकाय	Autonomous Body for planning and Implementation of social service research programmes ...	3015
3287	दामोदर घाटी निगम	Damodar Valley Corporation	3015-3016
3288	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात	Exports by Public Sector Undertakings	3016
3289	मंत्रियों के बंगलों में बिजली के मीटर	Electricity Meters in Ministers Bungalows	3016-3017
3290	अमरीकी सहायता	U S. Aid ...	3017
3291	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी को लाभ	Profit by Hindustan Housing Factory	3017
3293	उड़ीसा की अर्थोपाय स्थिति	Ways and Means Position of Orissa ...	3018
3294	प्रतिरक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में असैनिक कर्मचारी	Civilian Staff in Controller General of Defence Accounts	3018
3295	ट्रैक्टरों पर आयात शुल्क	Import duty on Tractors	3018-3019
3296	राजघाट नई दिल्ली के निकट राष्ट्रीय पार्क	National Park near Rajghat, New Delhi ..	3019
3297	पी. आर. आर. एम. कॉफी हाउस, नई दिल्ली	P. R. R. M. Coffee House, New Delhi	3019-3020
3298	नकली तथा बेकार गर्भ निरोधक सामग्री	Spurious and Fake Contraceptives	3020
3299	दिल्ली में रोकी हुई भूमि पर खेती	Cultivation on frozen Land in Delhi ..	3020-3021
3300	आयकर विभाग में न्यायिक तथा कार्यकारी कृत्यों को पृथक पृथक करना	Separation of Judical and Executive Functions in Income Tax Department ...	3021
3301	पनाशी बांध	Panashi Dam ...	3021-3022

3302	नगार्जुन सागर बांध को केन्द्रीय सरकार के अधिकार में लेना	Taking over of Nagarajuna Sagar Dam	3022
3303	तेल निकालने के लिये इटली की फर्म एस. एन. ए. एम. के साथ करार	Contract with SNAM of Italy for Exploration of Oil	3022
3304	इड्क्कीपन बिजली परि–योजना के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Idikki H. E. Project ..	3023
3305	उड़ीसा को केन्द्रीय सहा–यता	Central Assistance of Orissa ..	3023–3024
3306	पाकिस्तान और चीन को चोरी छिपे अभ्रक ले जाया जाना	Smuggling of Mica to Pakistan and China ..	3024
3307	संघ राज्य क्षेत्रों में वेश्या·लयों पर प्रतिबन्ध	Ban on Brothels in Union Territories	3025
3308	भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को काली सूची में रखा जाना	Black listing of Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (Pvt.) Ltd.	3025
309	इण्डियन आयल्ल कारपो–रेशन के लिये ढोल	Barrels for I. O. C,	3025–3 26
310	मैसर्स जयन्ती शिपिंग कम्पनी के. डा. धर्म तेजा	Dr. Dharam Teja of M/s Jyanti Shipping Co.	3026–3027
311	जाली सिक्के	Counterfeit Coins	3027–3028
312	दिल्ली में टाइप दो और टाइप तीन के क्वार्टरों में वाशबेसिन	Wash Basin for Type II and III Quarters in Delhi	3028
313	जीवन बीमा निगम के ऋ ा	L. I. C. Loans	3028–3029

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

3314	मध्य प्रदेश के देहातों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Madhya Pradesh ...	3029
3315	विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली	Vishvayatan Yogashram New Delhi	3029-3030
3316	स्पिरिट की तस्करी	Smuggling of Spirit ..	3030
3318	उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plants	3030-3031
3319	पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मंहगाई भत्ता	D. A. to Pensioners	3031
3320	केन्द्रीय सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारियां	Arrests by Central Customs Officials	3031-3032
3321	दिल्ली में गर्भ निरोधक सामग्री की कमी	Shortage of contraceptives in Delhi ...	3032
3322	चौथी पचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में पश्चिम बंगाल के लिये धन का नियतन	Allocation of funds to West Bengal in first year of Fourth Plan ...	3032-3033
3324	चिकित्सा प्रणालियां	Systems of Medicine ..	3033
3325	सरकारी क्वार्टर	Government Residential Accommodation ..	3033-3034
3326	दिल्ली में होस्टलों में रहने का स्थान	Hostel Accommodation in Delhi ...	3034
3327	तम्बाकू उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन	Incentives to Tobacco Growers ..	3034-3035
3328	बंगलोर में जाली नोटों का बनाया जाना	Manufacture of counterfeit Notes in Bangalore	3035
3329	पंजाब की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए धन का नियतन	Allocations for Punjab's Fourth Plan	3035-3036
3330	दिल्ली तथा नई दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	Unauthorised Colonies in Delhi and New Delhi	3036-3037
3331	जैसलमेर में गैस	Gas in Jaisalmer	3037

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
3332	केन्द्रीय राजस्व में आज्यों का हिस्सा	States Share in Central Revenues ..	3037
3333	नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल में एक रोगी की मृत्यु के कारण	Causes of Death of a patient in the Willingdon Hospital, New Delhi	3038
3334	चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Plan	3038-3039
3335	नदियों को राजस्थान में से होकर निकालना	Diversion of Rivers through Rajasthan ..	3039
3336	दिल्ली में भूमि	Land in Delhi ..	3039-3040
3337	टैक्समैको (कपड़ा मशीनरी निर्माण समवाय) पर मारा गया छापा	Raid on Texmaco ..	3040
3338	उड़ीसा की वार्षिक योजना के लिये संसाधन	Resources for Annual Plan of Orisssa ...	3040-3041
3339	मनीपुर में उपलब्ध बिजली	Power Supply available in Manipur ..	3041-3042
3340	मनीपुर में सिंचाई की योजनाओं का परिव्यय	Outlay for Irrigation Schemes in Manipur ...	3042
3341	विदेशों में जीवन बीमा निगम के कार्यालय	L. I. C. Offices Abroad ..	3042-3043
3342	भारतीय तेल निगम द्वारा मलावटी तेल बेचा जाना	Selling of Contaminated Oil by I. O. C. ...	3043
3343	विदेशी साहित्य का आयात	Import of Foreign Literature	3043
3344	पेट्रोलियम का मूल्य	Price of Petroleum ..	3044
3345	बम्बई में गन्दी बस्तियां को हटाना	Slum Clearance in Bombay ..	3044
3346	उड़ीसा में नगरीय विकास	Urban Development in Orissa ..	3044-3045
3347	तेल शोधक कारखानों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Increase in the Pay of Oil Refinery Workers	3045-3046

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3348	सरकारी इमारतों के निर्माण की जांच करने के लिये अनुभाग	Cell for Scrutiny of Construction of Government Buildings ..	3046
3349	भारत में क्षय रोग की चिकित्सा के अस्पताल	T. B. Hospitals in India	3046
3350	समाज कल्याण योजना	Social Welfare Schemes	3047
3351	मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिये पी.एल. 480 निधियां	P. L. 480 Fund to Madhya Pradesh for Irrigation	3047
3352	राज्यों के लिये पी. एल 480 निधियों में से धन का नियतन	Allocation of P. L. 480 Fund to States ...	3047-3048
3353	पूर्ति तथा निपटान महा–निदेशालय की सूची में ंजीकृत फर्में	Approved Firms on D. G. s & D. List ..	3048-3049
3554	भारतीय तेल निगम द्वारा पेट्रोल पम्पों की स्थापना	Establishment of Petrol Pumps by India Oil Corp. Ltd. ..	3049-3050
3355	मनीपुर में लोकतक विद्युत् परियोजना	Loktak Power Project in Manipur	3050
3356	नई दिल्ली की कर्बला कालोनी में पेय जल की सप्लाई	Drinking Water Supply in Karbala Colony, New Delhi	3050-3051
3357	कनाडा द्वारा सहायता	Canadian Aid	3051
3358	केन्द्रीय सरकार के पेंशन प्राप्त कर्मचारियों के लिये मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था	Free Medical Treatment to Central Government Pensioners	3051-3052
3359	केन्द्र में तथा राज्यों में कर्मचारियों के लिये क्वाटरों की व्यवस्था	Accommodation for Employees in Centre and States	3052
3360	गोआ में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Goa	3052-3053
3361	तरल का अमोनिया का आयात	Import of Liquid Ammonia	3053

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3362	कानपुर का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Kanpur	3053
3363	दिल्ली में मकानों की समस्या	Housing Problem in Delhi ... —	3054
3364	1966-67 में परिवार नियोजन पर व्यय	Expenditure on Family Planning during 1966-67 ... —	3054-3055
3365	विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले	Foreign Exchange Violation ...	3055
3366	उड़ीसा के स्वर्णकारों को सहायता	Relief to Goldsmiths of Orissa	3055
3367	हरिजन सेवक संघ, दिल्ली तथा भारतीय दलित वर्ग लीग, नई दिल्ली	Harijan Sewak Sangh, Delhi and Bhartiya Depressed Classes League, New Delhi ...	3055-3056
3368	नूनमती तेल शोधन कारखाने का मिट्टी का तेल तैयार करने वाला गोहाटी स्थित सक्शन	Kerosene Producing section of Noonmati Refinery Plant at Gauhati	3056
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	3057-3061
	जमुना बाजार, दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of shanties of Jamuna Bazar, Delhi	3057
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bhibhuti Mishra ...	3057
	श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao ..	3058
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege ..	3061-3062
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	3062-3064
	नियम समिति	Rules Committee	3064
	दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	3064
	आपात स्थिति को जारी रखने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Continuance of Emergency ...	3064-3068
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan ...	3064

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Personal Explanation ...	3068-3075
अनुदानों की माँगें (रेलवे), 1967–68	Demands for Grants (Railway), 1967–68 ..	3075
श्री क.प्र. सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo ...	3075
श्री ज. अहमद	Shri J. Ahmed	3076
श्री क.ना. तिवारी	Shri K. N. Tiwary ...	3077
श्री सोमसुन्दरम्	Shri S. D, Somasundaram ...	3078
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chauhan ...	3079
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	3079
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Viswanathan ...	3080
श्री स. मो. बनर्जी द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के समय कही गई बातों का कार्यवाही से निकाला जाना	Expunction of remarks made by Shri S. M. Banerjee in course of Personel explanation ..	3081 3082
अनुदानों की मांगें रेलवे 1967-68 (जारी)	Demands for Grants (Railway), 1967-58 (contd)	3082
श्री फ.गो. सेन	Shri P. G. Sen	3083
श्री सक्वीरा	Shri Sequeira ..	3083
श्री मि. सू. मूर्ति	Shri M. S. Murthi	3084
श्री श्रीराज मेघराजजी धरगरा	Shri Shriraj Maghrajji	3085
श्री सैयद अली	Shri Sayyad Ali ...	3086
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	3087
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	Shaimati Lakshmikanthamma	3087
श्री शिकरे	Shri Shinkre	3087
श्री ओंकारलाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	3088
श्री प. गोपालन	Shri P. Gopalan ..	3088
डा. महादेव प्रसाद	Dr. Mahadeva Prasad	3089
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	3090
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	3090
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	3091

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma	3092
सभा का कार्य	Business of the House	3092
अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1967–68 (जारी)	Demands for Grants (Railway), 1967-68(contd)	3092
श्री कं. हाल्दर	Shri K. Haldar ..	3093
श्री बे. कृ. दास चौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	3093
श्री मीठालाल	Shri Meetha Lal	3094
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Parsad	3094
श्री चंद्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad ...	3095
श्री मणीभाई जे. पटेल	Shri Manibhai J. Patel ..	3095
श्री सांगावने	Shri Sonavane ...	3095
श्री नरेन्द्रसिंह महीडा	Shri Narednra Singh ...	3095
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdnl Ghani Dar ..	3095
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ..	3096
श्री च. मु. पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	3096
विनियोग (रेलवे) संख्या 3, विधेयक, 1967	Appropriation (Railway) No. 3, Bill, 1967 ...	3099
पुरःस्थापित किया गया, विचार किया गया तथा संशोधित रूप में पारित किया गया।	Introduced, Considered and Passed, as amended	3100

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

22 जुन, 1967 । 1 आषाढ़, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
3068	नोचे से पंक्ति 3,
3069	पंक्ति 1, `श्री विरुमल राव` के स्थान पर `श्री तिरुमल राव` पढ़िये ।
3095	पंक्ति 19, `श्री सांगवने` के स्थान पर `श्री सोनावने` पढ़िये ।

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

सोमवार 3 जुलाई, 1967 । 12 आषाढ़ 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
4055	प्रश्न संख्या `884` के स्थान पर `885` पढ़िये ।
4117	पंक्ति 4 के बाद निम्नलिखित पढ़िये : ~~`अनुदानों की मांगें, 1967-68 – जारी~~ Demands for Grants, 1967-68--contd. गृह-कार्य मंत्रालय – जारी`

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 22 जून, 1967/1 आषाढ़, 1889 (शक)
Thursday June 22, 1967/1 Asadha, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी उपक्रमों में कार्यकारी अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण की सुविधाएं

+
*661. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों में निदेशकों, प्रबन्धकों, प्रबन्ध-निदेशकों तथा प्रशिक्षित तकनीशनों को, जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष हैं, प्रशिक्षण देने की सुविधाएं देने की उचित व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रबन्ध सम्बन्धी ऊंचे पदों पर नियुक्तियां करने के लिये व्यक्तियों का चुनाव करने में उन लोगों को तरजीह दी जाती है जिनमें उपयुक्त योग्यता और अनुभव हो। मध्यवर्ती स्तर के कार्यकारी अधिकारियों (एक्जिक्यूटिव्स) को, प्रतिष्ठानों द्वारा प्रशिक्षण

की सुविधाएं या तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की केन्द्रीय प्रबन्ध प्रशिक्षण शाला जैसी उनकी अपनी प्रशिक्षण शालाओं में प्रदान की जाती हैं या प्रबन्ध विषयक मौजूदा संस्थाओं, स्टाफ कालेजों आदि में उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाया जाता है।

श्री राम कृष्ण गुप्त : नवीनतम प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकारी समवायों ने केवल 2.4 प्रतिशत लाभ कमाया है। इस घाटे के लिये कर्मचारियों का अप्रशिक्षित होना किस सीमा तक उत्तरदायी है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसके लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव को पूर्णतः उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। जब भी कोई बड़ा उपक्रम स्थापित किया जाता है तब यह प्रयास किया जाता है कि उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा जाये या देश में विद्यमान संस्थाओं में उन्हें प्रशिक्षित किया जाये।

श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या सरकार का विचार ऐसी अन्य संस्थाएं स्थापित करने का है जैसी कि दिल्ली प्रबन्ध संस्थान है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसी अनेक संस्थाएं हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में इनका ही उपयोग किया जायेगा। तकनीय प्रशिक्षण का एकीकृत कार्यक्रम बनाने का प्रयास निश्चित रूप से किया जायेगा।

श्री सेझियान : क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग जैसा एक अन्य लोक सेवा आयोग स्थापित करने का है, जो सरकारी उपक्रमों के लिये भरती करने आदि का कार्य करे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 1965 में मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसने उच्च प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया था। उसकी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। इसके पश्चात् उपयुक्त और योग्य व्यक्तियों के नामों की एक तालिका तैयार की जाती है, जिसमें से सरकारी उपक्रमों के पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। इस तालिका में सरकारी विभागों तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उन लोगों के नाम सम्मिलित किये जाते हैं, जो विज्ञापन के आधार पर अपने नाम भेजते हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know whether Govt. intend to constitute a Management Service for public sector on the pattern of Indian Foreign Service and other All India Services ?

Shri K. C. Pant : The purpose of constituting this panel is that only experienced persons should be appointed on top management positions.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों में पर्याप्त तथा आकर्षक वेतन न होने के कारण विशेष तकनीकी ज्ञान एवं वाणिज्यिक अनुभव रखने वाले लोग इनमें नियुक्त होना पसन्द नहीं करते हैं और इस कारण सरकारी उपक्रमों को सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो प्रबन्धात्मक पदों के लिये योग्य नहीं होते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : गैर-सरकारी क्षेत्र में वेतन-दर बहुत ऊंचा है। गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में काफी लोग आये हैं। यह एक सत्य है और इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री रंगा : पूछा कुछ गया है, उत्तर कुछ और दिया गया है। वेतन अच्छे नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रेलवे बोर्ड का भूतपूर्व अध्यक्ष एक इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध के लिये सर्वोतम व्यक्ति नहीं माना जा सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उसे सबसे अधिक अयोग्य भी नहीं माना जाना चाहिये।

श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या सरकारी उपक्रमों के लिये एक विशेष सेवा बनाने का सरकार का विचार है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी नहीं।

Shri George Fernandes : These are facts that the General Manager of the Hindustan Antibiotics, Pimpri, has been appointed as the General Manager of a steel plant. This means that people lacking in technical knowldge and not possessing commercial background have been appointed to manage the public undertakings. In view of all that, do the Govt. intend to formulate a policy, according to which only persons with sufficient experience of the line should be given top positions in public sector undertakings and the working engineers and other workers are allowed to participate in the management of various plants ?

Deputy Prime Minister and Finance Minister (Shri Morarji Desai) : We are considering these matters seriously.

श्री मं० रं० कृष्ण : इस समय कितने सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध सेवा-निवृत्त अधिकारियों या सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारियों के हाथों में हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य यह रहता है कि प्रबन्धात्मक ऊंचे पदों पर केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाये जो उन उपक्रमों के नीचे पदों पर काम कर रहे हैं और जिन्हें पर्याप्त अनुभव प्राप्त होता है। परन्तु सभी स्थानों पर ऐसे अनुभवी लोग उपलब्ध नहीं होते, इसलिये कुछ लोग सरकारी विभागों से ले लिये जाते हैं।

Shri Kanwarlal Gupta : Are the Public Undertakings venues for benefitting some economists by posting them on these high posts, though they are not fit for managerial posts ? Why don't you recruit them through U. P. S. C.

अध्यक्ष महोदय : यह तो आपने अपना मत व्यक्त किया है तथा मंत्री महोदय इससे सहमत नहीं हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : मंत्री महोदय इसके कारण बताने की कृपा करें कि संघी लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरती क्यों नहीं की जाती।

Shri K.C. Pant : I do not agree with him on this suggestion.

Shri Morarji Desai : It is not possible to recruit these officers through U P. S. C. because that Commission is constituted for making recruitment to Govt. services. Secondly, I think that the policy of appointing personnel of Administrative Service there now needs a change. The matter is being considered seriously.

Shri K. N. Tiwari : I would like to know whether it is a fact that all the institutes so far established are for officers and not for grade II officers. I also want to know whether the Managers of Public Undertakings do not have faith in these institutions ?

Shri Morarji Desai : No complaint of this type has been received so far.

Shri Kameshwar Singh : How many institutes are working in the country for training of those who are posted on Managerial posts in public sector undertakings ? How many of them are in Bihar ?

Shri K. C. Pant : Every big project has its own training institute. Besides, there are Institute of Management, Calcutta, Institute of Pubiic Administration, Central Leather Institute and Central Labour Institute etc. They are being used, where necessary.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे सरकारी उपक्रमों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण में तकनीकी पक्ष पर समुचित ध्यान दिया जाये, जिससे कि वहां तकनीकी विशेषज्ञ तैयार किये जायें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार का ध्येय यह है कि उच्च प्रबन्धात्मक पदों के लिये उपयुक्त कर्मचारी सरकारी उपक्रम स्वयं ही तैयार करें। अब सूची तैयार की जाती है जिसमें केवल वे ही व्यक्ति रखे जाते हैं जिनका इस कार्य की ओर विशिष्ट रुझान होता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सरकारी उपक्रमों में ऐसे लोगों के जिन्हें तकनीकी या वाणिज्यिक अनुभव नहीं होता है स्थानों पर अन्य अनुभवी व्यक्तियों को लगाने के लिये क्या सरकार ने कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : प्रबन्ध स्वयं एक तकनीक है। इसके अतिरिक्त सरकारी उपक्रमों के लिये तालिका-व्यवस्था अपना ली गई है। तालिका में से ही वहां नियुक्तियां की जायेंगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सरकार गैर-तकनीकी व्यक्तियों के पदों पर तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : वित्त मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के लिये एक ब्यूरो स्थापित किया गया है जो इन सब प्रश्नों पर विचार कर रहा है। केवल योग्य व्यक्तियों को ही ऐसे पदों पर नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक तकनीकी विशेषज्ञ सफल प्रबन्धक नहीं हो सकता और प्रत्येक प्रशासी कर्मचारी को, आवश्यक तकनीकी ज्ञान होने पर, अयोग्य नहीं माना जा सकता। तथापि, तकनीकी व्यक्तियों को तरजीह दी जायेगी।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या यह सच है कि सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षित अनेक युवक इंजीनियर सरकारी उपक्रमों को छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं ? यदि ऐसी बात हैं तो वे क्यों

सरकारी उपक्रम छोड़कर जा रहे हैं और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है ?

श्री मोराजी देसाई : कुछ लोग सरकारी उपक्रमों को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इतनी तरक्की नहीं मिलती है, जितनी उन्हें आशा होती है। यदि वे अधिक वेतन के कारण विदेश चले जाते हैं, तो इससे पता चलता है उन्हें अपने देश से प्रेम नहीं है।

श्री प० गोपालन : क्या यह सच है कि सूरतगढ़ कृषि-फार्म के मैनेजिंग डायरेक्टर (प्रबन्ध-निदेशक) के पद पर एक भूतपूर्व सैनिक को नियुक्त किया गया है; यदि हां, तो किस कारण ?

श्री मोरारजी देसाई : उसे इसलिये नियुक्त किया गया है कि वहां का प्रबन्ध दृढ़ अनुशासन के साथ किया जा सके। वहां का प्रबन्ध-कार्य बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है।

आयकर राजस्व की लेखा-परीक्षा

+
*662. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री शारदानन्द :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिनों से भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग आयकर अधिकारियों और सहायक आयुक्तों और आयकर आयुक्तों के काम पर आवश्यकता से अधिक नियन्त्रण कर रहा है तथा उनके द्वारा दिए गए आदेशों का औचित्य सिद्ध करने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांग रहा है और उनके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करता है तथा उनके काम की आलोचना करता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कहां तक उचित है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) भारत का नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा राजस्व संबंधी लेखा-परीक्षा करता है। इस लेखा-परीक्षा का अभिप्राय यह देखना होता है कि कर-निर्धारणों तथा वसूलियों की कार्यवाहियों की ठीक तरह से जांच-पड़ताल करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा उपयुक्त विनियम तथा कार्यविधियां बना ली गई हैं और लेखा-परीक्षा का यह भी उद्देश्य है कि इन विनियमों तथा कार्यविधियों का वास्तव में ठीक-ठीक पालन किया जा रहा है। अपने इन कार्यों को निभाने में नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक उन गलतियों की ओर ध्यान दिलाता है जिनसे राजस्व की काफी रकम का संबंध होता है। उचित प्रतिकारी उपाय करना तथा चूक करने वाले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगना आयकर विभाग की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए राजस्व सम्बन्धी लेखा-परीक्षा द्वारा आयकर विभाग के कर्मचारियों की क्रियाओं पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखने का सवाल ही नहीं उठता।

Shri Beni Shanker Sharma : Hon. Minister has told just now that so far as the work of Audit Department is concerned, it only audits the revenue. But he should know that the officers working in that Department have been given some judicial discretion by law. Accordingly, when they work, the Audit Department people ask them whey they have shown so small a profit in a particular case, and why not so much ? Whether this type of criticism is within their powers ?

Shri K. C. Pant : It is for audit to judge wherher law and the Rules are correct or not and whether they have been correctly followed or not and they have to see that they have to make some investigations in certain cases. But this is not their aim. Their aim is to see that the laws and the rules are being followed.

Shri Beni Shanker Sharma : In many cases the officers of the Income-Tax Department have been seen arguing to the extent that why had they acted according to the judgment of that court and why had they not acted according to the judgment of the High Court ? May I know what would be Govt's reaction in such cases ? It is the duty of the Commissioner or Assistant Commissioners or at the most of the Central Board of Revenue to ask these questions and not of the Audit Department. Are they not taking the powers of the Supreme Court in their hands by acting that way ? I want to know how far it is correct for the Audit Department ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Murarji Desai) : H. n. Member thinks that there should not be any audit. Audit mean to see whether the work done has been done according to law or according to discreation or in order to harass some body or due to some other reasons. The audit checks it and if any reply is asked for, the Inoome-Tax Officer can give the reply direct. There is no dispute in it.

श्री शशि रंजन : मंत्री महोदय ने बताया है कि लेखा-परीक्षा विभाग यह देखता है कि आयकर अधिकारियों ने कानून के अनुसार कार्य किया है अथवा नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मशीनी ढंग से करने का काम है और क्या वह केवल राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनाये गये तरीकों की जांच करता है या राजस्व अधिकारियों की सत्यनिष्ठा की भी जांच करता है और इस बात का भी पता लगाता है कि क्या वे ईमानदार लोग हैं या वह करों को बल-प्रयोग कर अनिवार्य ढंग से या दण्डात्मक तरीके से वसूल करते हैं। यदि यह ठीक है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार के सामने इस प्रकार के कितने मामले आये हैं ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : यदि उनके जांच के दौरान उन्हें ऐसे मामले का पता लगता है जिसमें लोगों को सताया गया है या गबन हुए हैं, चाहे वह जान-बूझकर किए गए हों या अनजाने में हों, तो ऐसे मामले निश्चित रूप से लोक लेखा समिति के सम्मुख रखे जाते हैं। लोक लेखा समिति ही इसकी जांच करती है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : बहुत से मामलों में लेखा-परीक्षा विभाग ने सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्टर टैक्सिस के निर्णयों पर भी आपत्ति की है। वह बहुत ही तकनीकी हैं और उससे पदाधिकारियों का उत्साह घटने लगा है। इसके परिणाम स्वरूप वह हद से ज्यादा सतर्क हो गये हैं। जैसाकि उन्होंने बताया है कि अपील की अनुमति न देने और अनावश्यक मुकदमेबाजी के कारण बहुत कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : आडिटर जनरल और आडिट डिपार्टमैंट के कार्य के उद्देश्य को भली भांति नहीं समझा गया है। आडिटर जनरल मंत्री द्वारा दिए गए गलत निर्णय को भी चुनौती दे सकता है।

ईमानदार और उचित कार्य करने वाले पदाधिकारियों को कोई भय मानने की आवश्यकता नहीं। उन्हें आडिटर जनरल की आलोचना से डरना नहीं चाहिये। इस मामले में सरकार उनकी रक्षा करनी है। यदि उन्होंने कोई गलत बात की है तो उसको बताने के लिए आडिट को धन्यवाद दिया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : आडिटर जनरल केन्द्रीय सरकार का रक्षक समझा जाता है और वह उसके वित्त की रक्षा करता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों-वश भूतपूर्व नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक की ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में नियुक्ति की गई, जिसका कार्य मुख्यतः व्यापार-संस्था द्वारा चलाया जाता है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन्हें अनुमति दी गई थी या नहीं ?

श्री मोरारजी देसाई : इस प्रयोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

श्री हेम बरूआ : चूंकि 80 प्रतिशत धन जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं है, और जिसे काले धन के नाम से पुकारा जाता है, पदाधिकारियों, अमीरों, चाहे वे व्यापारी हों, ठेकेदार हों, मन्त्री हों या संसद सदस्य हों, के पास जमा है। मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूँ कि आडिट द्वारा सख्ती की जाने के परिणाम स्वरूप इस काले धन या उन लोगों का पता लगा है जिन्होंने यह धन जमा किया हुआ है ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरे विचार से यह कार्य करना आडिट के लिए असम्भव है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे कि आडिट डिपार्टमैंट की सतर्कता के कारण कितने आयकर अपवञ्चन के मामलों का पता लगा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है लेखा परीक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत मामलों में जाकर उन कार्यों को करने का नहीं है जो कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु जांच के दौरान कम या अधिक आंकन के मामले सामने आते हैं तो वे सम्बन्धित अधिकारियों की जानकारी में लाये जाते हैं और ऐसे मामले, सम्बन्धित अधिकारियों की जानकारी में लाये गये हैं।

Shri Hardayal Devgun : Is it a fact that due to excess of black money the Government is not getting the income tax which it ought to get. Income Tax Department Officers are mainly responsible for that. I want to know whether the Government would consider to make the audit more strict in order to stop the activities of these corrupt business men and corrupt officers.

अध्यक्ष महोदय : वह किस प्रकार आडिट किये जा सकते हैं ?

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know whether the audit has brought some cases of under and over assessment ? If so, the amount of increase in the revenue and broadly which are those items which were not in the notice of the Income Tax Department and have been brought to their notice by the audit ?

Shri K.C. Pant : There were 10560 cases of under assessment in 1965, 9141 in 1966 and 9880 in 1967 and the cases of over-assessment were 1283 in 1965, 1408 in 1966 and 2014 in 1967. The total amount of under assessment in 1965 was 4 crores and 39 lakhs, in 1960 eight crores and 64 lakhs and in 1967 it was 7 crores and 41 lakhs. I have not got the statistics of the amount recovered out of it.

Shri Kanwar Lal Gupta : No reply has been given to the second part of my question, in which I had asked the names of the items that were not in the knowledge of the Income Tax Department but were brought into their notice by Audit.

Mr. Speaker : Next Question.

उर्वरक उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश

+

***663. श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी : **डा. राम मनोहर लोहिया :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रिश्चियन साइंस मानिटर तथा अन्य विदेशी समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार पढ़े हैं कि विदेशी पूंजी को रियायतें दी जाने तथा समय-सीमा बढ़ाये जाने के बावजूद भी विदेशी उद्योगपतियों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाई जाने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार सच है; और

(ग) देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकार ने 4 अप्रेल, 1967 के क्रिश्चियन साइंस मानिटर में एक रिपोर्ट देखी थी; जिसका सारांश यह था कि अमरीकन आयल तथा केमीकल्स कम्पनियों के एक समूह ने उर्वरक उद्योग में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रियायतों को नामंजूर कर दिया दिखाई देता है।

(ख) स्वभावतः ऐसी रिपोर्ट को सत्य या अन्य रूप में रखना सम्भव नहीं है। किन्तु कई तेल और रसायन कम्पनियों ने हमारे उर्वरक विकासों में दिलचस्पी लेना जारी रखा है।

(ग) सरकारी क्षेत्र में नामरूप और गोरखपुर और गैर-सरकारी क्षेत्र में विशाखापत्तनम् तथा एन्नौर विस्तार परियोजनाओं के अलावा जो इस वर्ष उत्पादन करना शुरू कर देंगे; सरकारी क्षेत्र में दुर्गापुर, कोचीन, मद्रास, बरौनी, नामरूप और ट्राम्बे में अतिरिक्त उर्वरक कारखाने बनाये जा रहे हैं या निर्माण के लिए अनुमोदित किये गये हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में कोटा, कानपुर, गोआ, मंगलौर, हल्दिया और गुजरात में नये उर्वरक कारखानों को लगाने का

अनुमोदन किया गया है। ये कारखाने जब सब पूरे हो जायेंगे, तो वर्तमान क्षमता सहित कुल 2.82 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन क्षमता रखेंगे। देशीय रूपांकन, इंजीनियरिंग एवं निर्माण-क्षमता के विकास के लिए सरकार ने भी कदम उठाये हैं ताकि इस उद्योग में काफी हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

Shri Madhu Limaye : Hon. Minister has mentioned in his reply that he could not tell whether the report of the Christian Science Monitor is correct or not. But some American firms have shown interest in it. I want to know whether this interest has been shown at present after the declaration of the fertilizer policy or they had been taking interest before and what is its result ? Whether it is a fact that they are thinking that if more pressure is put on this Government it would yield and they would have to give some new concessions ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Ashok Mehta) : After a lapse of one year when a question to extend this period for few months was raised in this House, it was told at that time that they had been conducting discussions with some companies in this regard.

At that time I mentioned the names of seven or eight companies. We are still discussing with them. Many of them have taken out letters or indents and we hope that many of them would be able to take out industrial licences out of them. We hope that some new persons would come. Correspondence is still going on and no solid proposals have been received by us. If we receive, we would be prepared to consider them. As it has already been told in the reply that after taking into consideration the steps taken, we hope that we would be able to produce the Nitrogenous fertilizers to the capacity of 28 lakh tonnes. No new concessions have been demanded so far, therefore, the question to sanction them does not arise.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, whether the Minister is aware that as a result of defects in the foundation and the plant of the fertilizer factory, established at Bombay it would not be possible to get the full production and the complaints of the same nature have been received from Always factory in Kerala. If so, whether investigation has been made by the Minister in this regard and whether the persons concerned have been punished ?

Shri Asoka Mehta : So far as the question of the factory in Kerla is concerned, there is a trouble of different nature. Those troubles are not connected with plants. As far as the factory established at Trombay is concerned, it is true that there are certain defects in it and we are discussing about these defects with the plant suppliers. They have tried to remove those defects for more than once. We hope that in the near future a decision would be taken either on this side or on that side. We feel that it would be necessary to make changes in the process established there.

Shri Madhu Limaye : My question has been partially answered. I asked whether any action has been taken against the persons responsible for supplying this plant or laying defective foundation ? If they are contractors, whether any action has been taken against them ?

Shri Asoka Mehta : I have already told that the persons who supplied this equipment have come to us for more than once. But no final decision has been taken whether these defects may or may not be removed. We think that these defects are inherent where as the contractors and the equipment suppliers are of the opinion that it is due to some

defects or maintenance or some other defects. Unless it has been decided, the question to take any action in this regard does not arise.

Shri Madhu Limaye : I am asking about the officers. I did not ask about the foreign suppliers.

Shri Asoka Mehta : Unless it has been decided how can I say that certain person is responsible and action should be taken against him.

Shri Madhu Limaye : So many years have lapsed and Government money is being wasted.

श्री अशोक मेहता : मैं इस प्रकार की टिप्पणी पर आपत्ति करता हूँ। जब मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐसे अनावश्यक कटाक्ष क्यों किये जाते हैं।

Shri Madhu Limaye : What is wrong in it ? We are of the view that you are wasting the public money.

अध्यक्ष महोदय : हमें कारणों को नहीं देखना है।

श्री राजाराम : यह संयुक्त समाजवादी दल या प्रजा समाजवादी दल की समस्या है।

श्री हेम बरुआ : सदस्य महोदय का यह कहना कि यह संयुक्त समाजवादी दल या प्रजा समाजवादी दल का झगड़ा है बिल्कुल गलत है। हम श्री अशोक मेहता को अपना नेता नहीं मानते।

अध्यक्ष महोदय : हम संयुक्त समाजवादी दल या प्रजा समाजवादी दल के सम्बन्धों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम संसद में प्रश्नकाल में चर्चा कर रहे हैं।

Shri **S. M. Banerjee** : It has been noticed that more new fertilizer factories are being started and there has been talks of more production, the more the prices of the fertilizers are increasing but it is not possible for the peasants to get these fertilizers at reasonable prices. I want to know whether any arrangement would be made to provide fertilizers to the farmers at reasonable prices and whether Government is taking any decision regarding the prices of the fertilizers ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक हमारी वर्तमान क्षमता का प्रश्न है, वह केवल 585 हजार टन की है। लेकिन इस क्षमता का भी उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस क्षमता का उचित प्रयोग किया जाये इसके लिए कार्यवाही का जा रही है। 1967–68 में इस क्षमता में 309,000 टन की वृद्धि होगी और प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार सिलसिला चलता रहेगा। पहले जो कारखाने स्थापित किये गये थे वे छोटे थे और वह पुरानी टैक्नालोजी पर आधारित थे।

जिन नये कारखानों की स्थापना की जा रही है वे बड़े हैं और आधुनिक टैक्नालोजी पर आधारित हैं। हमें विश्वास है कि पुराने और छोटे कारखानों की तुलना में इन नये और बड़े कारखानों का उत्पादन व्यय कम होगा अतः नई टैक्नॉलोजी द्वारा उत्पादन करने वाले इन बड़े संयंत्रों का मूल्य बहुत कम होगा।

Shri George Fernandes : Hon. Minister has told in reply to the main question that the work for expanding the factories in the private and public sector is going on. Whether he would tell in detail that some representatives of the co-operative fertilizer factory of America had come here in April, to hold discussions with the Government and what has been the result of this discussion, and the nature of discussion at present going on with those representatives who have come to Delhi or India, and how much capital would be invested under this plan to establish fertilizer plants and what would be its capacity ?

Shri Asoka Mehta : Some people came from Co-operative Leauge. They discussed with the people and the Government of India. That team has left for America and they would send the proper proposal from there. We hope that a project report would be prepared in this regard and it would be our desire and effort to start a fertilizer plant in the co-operative sector.

Shri George Fernandes : My question has not been clearly answered. I had asked whether some representatives of the Co-operative Organisation are at present in India and the discussions are going on with the Government ?

Shri Asoka Mehta : I told that they come, left and are expected to come again. There is a question to prepare some proposal.

श्री रा० बरुग्रा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कुवैत सरकार से कोई बातचीत चल रही है । यदि यह ठीक है तो क्या गंधक की कमी की स्थिति में इसके परिणाम स्वरूप सुधार हो जायेगा ।

श्री ग्रशोक मेहता : जहां तक गंधक का सम्बन्ध है, सदस्य महोदय का यह कथन ठीक है कि गंधक की स्थिति चिन्ताजनक है । अतः हम यथा सम्भव पाइराइट का प्रयोग कर गंधक के तेजाब का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा । इस बीच गंधक की लगातार कमी चिन्ता का विषय बनी हुई है ।

श्री उमानाथ : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या विदेशी लोग इस शर्त पर जोर दे रहे हैं कि हम नेफ्था पर आधारित प्लान्ट के स्थान पर अमोनिया पर आधारित प्लान्ट स्वीकार करें । इसका अभिप्राय यह हुआ कि अमोनिया पर आधारित प्लांटों की स्थापना के लिये हमें अमोनिया के आयात पर निर्भर रहना होगा, परन्तु नैफ्था पर आधारित प्लान्टों के लिये हमारे देश में ही नैफ्था का उत्पादन होता है । मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या विदेशी हित हम पर जोर डाल रहे हैं कि अमोनिया पर आधारित प्लांट स्थापित करने की शर्त पर ही वे यहां आना चाहते हैं और क्या सरकार सभा को इस बात का आश्वासन देगी कि वह अमोनिया पर आधारित प्लान्ट स्थापित करने की यह शर्त स्वीकार नहीं करेगी ?

श्री ग्रशोक मेहता : कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि कुछ अवधि के लिए अमोनिया का निर्यात करने की अनुमति दी जाये ।

उन स्थानों में, जहां यह सुझाव दिया गया है, वहां गंधक की गम्भीर कमी होने के कारण यह सुझाव दिया गया है कि तरल अमोनिया का निर्यात गंधक की सप्लाई से जुड़ा है । इस सुझाव पर सरकार विचार कर रही है । जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं कर ली जाती तब तक इस विषय पर कोई आश्वासन देना कठिन है ।

श्री वासुदेवन नायर : यह एक और आत्मसमर्पण का मामला है ।

श्री अशोक मेहता : इस मामले पर सरकार विचार कर रही है । सदस्य महोदय अपने मनचाहे निष्कर्ष निकाल सकते हैं । सरकार द्वारा इसका अध्ययन कर लिये जाने के पश्चात ही मैं इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा दूंगा ।

जब मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं तो उन्होंने इस पर आश्वासन देने को कहा है । जब तक मैं इसका पूरा अध्ययन नहीं कर लेता और सरकार से इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इस सम्बन्ध में आश्वासन देना कठिन है ।

श्री रंगा : मैं यह जानना चाहता हूं कि बजट में राज सहायता का आश्वासन देने के परिणाम स्वरूप इस मंत्रालय ने यह पता लगाया है कि उर्वकों के मूल्य कितने बढ़े हैं ?

श्री अशोक मेहता : मेरा मंत्रालय उर्वकों के उत्पादन से सम्बन्धित नहीं है । इसका वितरण कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है ।

Shri Sita Ram Kesri : Whether the Minister will state that we can or cannot establish the fertilizer factory within our foreign exchange limit, the production of the present fertilizer factory and whether we could make the same production from our own factory ?

Shri Ashok Mehta : I have just stated that their present capacity is 5.85 lakh tons and 90 percent of this capacity is in the Public Sector. We hope to increase it to 28 takh tons and more than 15 lakhs tons out of it will be in the Public Sector. At present several plants are functioning in the Public Sector. Some are under construction and we have also undertaken four new projects.

Shri Maharaj Singh Bharati : 28 lakh tons of fertilizers will not be sufficient to meet the full requirement of ours agriculturists. Moreover, too much electricity is consumed in running the fertilizer plants. We have already shortage of electricity. We require 5 times more fertilizers than the target fixed for it. We have also shortage of raw material used for the production of fertilizers. Keeping in view these facts, how Government propose to set up these new plants ?

Shri Ashoka Mehta : So far the production is concerned we receive directions from the Ministry of Food and Agriculture and the Planning Commission. Both of them have stated that it is necessary to produce 24 lakh tons of Nitrogenous fertilizers and 10 lakhs tons of Phosphatic fertilizers in the country by the end of the Fourth Five Year Plan and in their opinion this quantity is sufficient to meet the requirements of the country. So far as the consumption of electricity is concerned, we are not following the old process now. There is a proposal to produce fertilizers by this proposal in Mysore which has sufficient quantity of electricity. This proposal is being examined. We will have to import Neptha for a few years to meet the shortage of because we cannot increase the capacity of all the refineries to produce more Neptha.

1975 तक हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूरी तरह आत्म-निर्भर हो जायेंगे ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या यह सच है कि खाद्यान्न के आयात की तुलना में उर्वरकों के आयात पर कम विदेशी मुद्रा व्यय होगी और क्या उर्वरकों के आयात की तुलना में देश में उर्वरकों का उत्पादन सस्ता पड़ेगा ? सरकार देश में उर्वरकों के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही करेगी तथा हम देश में उर्वरकों के उत्पादन में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

श्री अशोक मेहता : हम उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मैं बता चुका हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएंगे।

श्री कण्डप्पन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उर्वरक कारखाना चालू होने में इतना अधिक समय लग गया है तथा मद्रास में उर्वरकों की अत्यन्त कमी है, मद्रास तेल-शोधक कारखाने में उत्पादन कब तक होने लगेगा तथा तब तक उस राज्य की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अशोक मेहता : मद्रास तेलशोधक कारखाने को पूरा होने में दो-तीन वर्ष लगेंगे तथा इसके साथ साथ उर्वरक कारखाने का कार्य भी चल रहा है।

श्री कण्डप्पन : उस राज्य की आवश्यकता पूरी करने के लिये इस बीच क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अशोक मेहता : कृषि मंत्रालय के माध्यम से उर्वरकों का आयात किया जायेगा।

श्री कण्डप्पन : आपने आधी आवश्यकता भी पूरी नहीं की है......

श्री अशोक मेहता : आप इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करिये।

श्री अ० वि० पाटिल : क्या यह सच है कि रासायनिक उर्वरकों की कमी के कारण कई कारखाने खाद बना रहे हैं और ये खादें कुछ अज्ञात तत्वों में मिट्टी के मिश्रण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अपमिश्रित उर्वरक।

श्री अशोक मेहता : मुझे जानकारी नहीं है।

Shri Molhu Prasad : A fertitizer factory has been set up in Gorakhpur with foreign collaboration for Eastern U. P. It was to start production in April, 1967, but it has not so far started production. What are its reasons ? Has the hon. Minister received any complaint of corruption in that factory ?

Shri Asoka Mehta : We hope that this factory will start functioning on trial basis in July and actual production will be started from the month of September. If you have got any case of corruption, please send it to me. I will look into it.

श्री शंकरानन्द : उर्वरकों की कमी को देखते हुए क्या मैसूर राज्य में कोई उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में सरकार का कोई निश्चित प्रस्ताव है ?

श्री अशोक मेहता : मंगलौर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्री हेम बरुआ : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि देश में छः-सात उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है, यद्यपि हम जानते हैं कि इनमें से अधिकतर कारखाने 31 मार्च, 1966 से पहले मंजूर किये गये थे । इन प्रस्तावित कारखानों में से कितने कारखाने विदेशी पूंजी की सहायता से और कितने देश की पूंजी की सहायता से स्थापित किये जायेंगे । क्या यह सच है कि बिड़ला समूह ने सरकार से प्रार्थना की है कि उसे एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी जाये और यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अशोक मेहता : हलदिया के कारखाने को छोड़ कर, जिसके लिये फिलिप्स पेट्रो-लियम कम्पनी ने प्रस्ताव किया है, अन्य सभी कारखानों में भारतीय सहयोगी भी हैं और अधिकतर भारतीय सहयोगकर्ता ही हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों में विदेशी सहयोग नहीं है । अन्य कारखानों में विदेशी सहयोग है किन्तु पहल भारतीयों ने ही की है । फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा एक प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पहल विदेशियों ने की है । जहां तक बिड़ला समूह का सम्बन्ध है, उन्हें अमरीका की आरमर कम्पनी के सहयोग से गोआ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये पहले ही लाइसेंस दिया जा चुका है । कैसर्स के सहयोग से मिर्जापुर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये बिड़ला समूह ने एक प्रस्ताव किया है और यह मामला विचाराधीन है ।

Shri Chandrika Prasad : What is the production capacity of the fertilizer plant of Gorakhpur and what are the reasons for not providing employment to those people whose land was acquired for the said factory ?

Shri Asoka Mehta : Its capacity is 80 thousand tons per year. The hon. Member may write me about the problem of the land and I will look into it.

हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम की धन-सम्पत्ति

\+
***664. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम के पास जमा धन तथा जेवरात का उनकी मृत्यु के बाद कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उसमें से कुछ जेवरात चोरी-छिपे अन्य देशों में ले जाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्वर्गीय निजाम के कुल धन तथा जेवरात का हिसाब लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) स्वर्गीय निजाम के धन तथा जेवरात के बारे में उनकी मृत्यु के बाद कोई धन-कर निर्धारण नहीं किया गया है ?

(ख) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरी-छिपे कोई जेवरात अन्य देशों में नहीं ले जाये गये ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के उत्तर से ज्ञात होता है कि निजाम की मृत्यु के बाद उनकी सम्पति का कोई अनुमान नहीं लगाया गया । क्या सरकार के पास इस बात का कोई अभिलेख है कि निजाम के पास मृत्यु से पहले कितनी चल और कितनी अचल सम्पति थी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : निजाम की मृत्यु 24 फरवरी, 1967 को हुई थी । मैं बता चुका हूं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । जहां तक निजाम की चल और अचल सम्पति का सम्बन्ध है, 1950 में भारत सरकार के साथ हुए करार के अनुसार निजाम ने अपनी चल और अचल सम्पति की एक सूची दी थी जिसे हैदराबाद सरकार द्वारा प्रमाणित किये जाने पर भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उनकी मृत्यु से पूर्व कितनी रकम का अनुमान लगाया गया था ?

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने पहले कहा है कि कोई अनुमान नहीं लगाया गया और बाद में यह कहा कि अनुमान लगाया गया था तथा हैदराबाद सरकार द्वारा जांच की जाने पर सरकार ने स्वीकार कर लिया था । इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि क्या सरकार के पास चल और अचल सम्पति की सूची है ।

श्री रंगा : वह जानकारी क्या है जो हैदराबाद सरकार द्वारा जांच की जाने पर भारत सरकार ने मान ली थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैने संक्षेप में बता दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार को पता है कि निज़ाम की चल और अचल सम्पति कितने मूल्य की थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : 1957–58 में किये गये निर्धारण के अनुसार यह सम्पति 3,26,912 रुपये की थी । बाद में पता चला कि कुछ भाग का निर्धारण करना रह गया था । इसलिये धन-कर के लिये फिर निर्धारण किया गया और 10,05,76,365 रुपये की सम्पति पर कर निर्धारण किया गया । निजाम द्वारा स्थापित कुछ ट्रस्ट हैं ,जिन्हें धन के निर्धारण में शामिल करने के बारे में निजाम ने आपत्ति की थी । इसीलिये पहले और बाद के निर्धारण में यह अन्तर हुआ ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या सरकार ने उस पर कोई जुर्माना किया है ?

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है कि मंत्री महोदय को किसी वस्तु के चोरी-छिपे हैदराबाद से बाहर ले जाये जाने के बारे में जानकारी नहीं है। क्या यह सच है कि कुछ विदेशी, विशेषतः अंग्रेज और तुर्किस्तानी-क्योंकि वर्तमान निजाम की पत्नी तुर्किस्तान की है–हैदराबाद आते हैं और स्मृतिचिन्ह के रूप में बहुमूल्य जेवरात अपने देशों को ले जाते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में स्वर्गीय निजाम की पुत्री की ओर से अथवा उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य से अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं से कोई अभ्यावदेन मिला ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मेरी जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

Shri Madhu Limaye : Sir, in this connection the Home Minister gave a strange reply. He said that a list was prepared when the agreement was entered into and as such there was no necessity of preparing a subsequent list. He further said "Government do not consider it proper that either the value or the details of the property recognised as the private property of rulers should be a matter of public disclosure "

Sir, this matter did not come to light when we asked questions pertaining to this and that is why we could not detect it. When a demand was pressed for its disclosure, he first said that assessment was on a net wealth of Rs. 10 crores, and yesterday, the Home Minister said that he would not disclose it. So I want to know what matters cannot be discloed by the Government

Secondly, I want to know the difference between the original assessment- when the agreement was concluded with the late Nizam and the subsequent one i. e. Rs. 10 crores so that the property, if any, disposed of or the jewellery smuggled out to other countries could be detected.

Sbri K. C. Pant : First of all, I would like to make it clear that the reply given by the Home Minister pertained to the list furnished by the Nizam in 1950 after the agreement. I do not know the contents of the list.

Shri Madhu Limaye : Sir, unless the value of the movable and immovable property assessed on the basis of the list furnished by the Nizam in 1950 is disclosed, part (b) of the main question cannot be replied to and the hon. Minister is evading the reply.

Shri K. C. Pant : The Government have that list with them. Trust in the Government .

Shri Madhu Limaye: We want information and that you cannot conceal now.

Shri K. C. Pant : There is no question of concealing.

Shri Madhu Limaye : Sir, when will you give your ruling ? Every day we have a procedural wrangle. During the Third Lok Sabha also, I raised this question and the hon. Speaker promised to give his ruling, but we are still awaiting it.

श्री मं० रं० कृष्ण : विलय के समय निजाम ने एक विवरण दिया था। क्या स्वर्गीय निजाम के धन आदि का निर्धारण केवल उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ही किया गया था या भारत सरकार ने वास्तविक धन आदि का पता लगाने के लिये कोई स्वतंत्र व्यवस्था की थी ? निजाम की सम्पति के उत्तराधिकारी वर्तमान निजाम पहले से ही छिपाई गई सम्पति को छिपाने के लिये 20–30 वर्ष से सेवा कर रहे कर्मचारियों को नौकरी से बरखास्त कर रहे हैं। क्या भारत सरकार स्वर्गीय निजाम के सम्बन्धियों को तथा हैदराबाद की जनता से निजाम की वास्तविक धन-सम्पति का पता लगाने के लिये उन्हें प्रोत्साहन दे रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, हैदराबाद रियासत के भारत संघ में विलय के समय कोई धन-कर नहीं था। उस समय धन-कर के निर्धारण का प्रश्न ही नहीं था।

श्री जी० मा० कृपालानी : क्या कोई निर्धारण किया गया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उस समय कोई धन-कर नहीं था (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह इतने व्यक्तियों को जानकारी देना कठिन है। माननीय सदस्य आधे घंटे की चर्चा की सूचना दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार अनुपूरक प्रश्न पूछ कर जानकारी नहीं मिल सकती है। बारह बज कर तीन मिनट हो चुके हैं।

Shri Madhu Limaye : The Finance Minister may give full details about it to the House. I would like that first he may place a statement on the Table of the House giving full information and this may be allowed

Mr. Speaker : I have already suggested for Half-an-Hour Discussion.

Shri Madhu Limaye : Half-an-Hour discussion may be taken up after a statement is made by the Finance Minister.

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने ओर से सुझाव दे चुका हूं कि हम इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं। उनके पास जो भी जानकारी होगी वे देंगे किन्तु इस समय और कोई वचन नहीं दिया जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपके सुझाव से सहमत हूं, किन्तु मैं वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना अवश्य करना चाहता हूं कि वह इसके बारे में अधिक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करें अन्यथा आधे घंटे की चर्चा का कोई लाभ नहीं होगा। वह प्रश्न को टालने का प्रयत्न करेंगे।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : इस सम्बन्ध में चर्चा करने से पहले मंत्री महोदय को लेखागत तथा लेखाबाह्य दोनों धन आदि का उल्लेख करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उल्लेख कैसे कर सकते हैं ?

श्री हेम बरुग्रा : इस से पहले कि आप इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मंत्री महोदय को निदेश दें कि वह निजाम की आस्तियों और दायित्वों के बारे में एक विस्तृत वक्तव्य दें क्योंकि चीनी आक्रमण के समय जब निजाम से रक्षा कोष में धन देने के लिये कहा गया था तो उन्होंने अपने को बहुत निर्धन बताया था और धन देने के लिये असमर्थता प्रकट की थी। अतः उनकी आस्तियों और दायित्वों के बारे में सभा को बताया जाना चाहिए। (अन्तर्बाधाएं)।

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह मंत्री महोदय किसी दिन इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके लिये समय मिलना चाहिये। किन्तु अभी कुछ निश्चित नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अवकाश

* 665. **श्री ना० स्व० शर्मा** :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदानन्द :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के लिये 'अर्जित अवकाश–यदि आप चाहें–इसका वेतन ले सकते हैं' योजना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Mahalanobis Report on National Income

* 666. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Second part of the Report of Prof. Mahalanobis regarding National Income has since been received; and

(b) if so, the salient points thereof and the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

योजना में प्राथमिकताएं

* 667. श्री दामानी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना में प्राथमिकताओं के बारे में पुनर्विचार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्विचार के मार्गदर्शी आधार क्या हैं ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) चौथी योजना के प्रारूप के प्रकाशन होने के बाद से अब तक आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए योजना परिव्यय का पुनरीक्षण करने का विचार है। यद्यपि प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन होना अवश्यम्भावी है और वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय परिव्यय में भी परिवर्तन किया जा सकता है, कृषि उत्पादन, परिवार नियोजन, आयात की जाने वाली वस्तुओं के देश में निर्माण और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को दी गई उच्च प्राथमिकता में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

औषधियों का मूल्य

* 668. श्री केदार पस्वान :
श्री मधु लिमये :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक तथा सामान्य प्रयोग में आने वाली औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण करने/उन्हें निश्चित करने के लिए सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कोई आदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या यह आदेश लागू कर दिये गये हैं;

(ग) औषधियों के वास्तविक मूल्यों के घटने-बढ़ने पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ;

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औषधियां बनाने वाले उद्योग बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं सरकार का विचार उनका राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र में बनाई जाने वाली प्रतिजीवाणु तथा अन्य औषधियों के मूल्य कम करने का सरकार का विचार है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) औषधियों और भेषजों के मूल्य लगभग स्थिर रहे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सिंदरी उर्वरक कारखाना

* 669. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या पैट्रोलियम **और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 मई, 1967 को सिंदरी उर्वरक कारखाने के मजदूरों ने प्रशासन भवन के चारों ओर तीन घंटे तक घेरा डाले रखा, मुख्य प्रबन्धक से दुर्व्यवहार किया और पुलिस कर्मचारियों तथा सुरक्षा अधिकारियों को पीटा; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरों द्वारा किये जाने वाले ऐसे हिंसात्मक प्रदर्शनों से प्रबन्ध अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां। घेरा डाला गया था, जैसा कहा गया है किन्तु पुलिस कर्मचारियों तथा सुरक्षा अधिकारियों को नहीं पीटा गया था। भारतीय उर्वरक निगम के योजना प्रभाग के प्रधान प्रबन्धक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था किन्तु सिन्दरी यूनिट के महा प्रबन्धक के साथ नहीं।

(ख) यह मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने "घेराव" के विरूद्ध आवश्यक बचाव के लिए पुलिस को आदेश जारी किये हैं।

Western Kosi Canal Partly Located in Nepal

*670. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the beginning part of the proposed Western Kosi Canal is situated in Nepal and its survey work is being carried on there;

(b) whether it is also a fact that the land of Nepal would be irrigated by the part of the Canal located in Nepal and a sum of about Rupees three crores would be spent on it; and

(c) if the reply to above (b) is in the affirmative, whether Government propose to give the said amount to the Government of Bihar soon so that the drilling work could be started there at the earliest ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The area to be irrigated in Nepal and the expenditure involved will be known only after the completion of detailed survey now in progress.

(c) After the detailed estimates are available, question of giving financial assistance will be taken up.

गामा ग्लोबुलाइन्ज तथा अलबुमिन का निर्माण करने के लिये भारत बल्गारिया उपक्रम

*671. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** :

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्गारिया सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा टैक्नो-एक्सपोर्ट, जो बल्गारिया सरकार का विदेशी व्यापार का एक संगठन है, द्वारा 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर लिये जाने के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र में गामा ग्लोबुलाइन्ज तथा अल्बुमिन बनाने के लिए एक संयुक्त भारत-बल्गारिया उपक्रम स्थापित करने के करार पर भारत तथा बल्गारिया की सरकारों ने हाल ही में हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की विशिष्ट शर्तें क्या हैं ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) भाग "क" का उत्तर नकारात्मक है। किन्तु डा० तुलसीदास और श्री एच० के० मलहोत्रा ने, जिन्हें गामा ग्लोबुलाइन्ज तथा अल्बुमिन के बनाने के लिए मैसर्स कूबेल (इण्डिगा) लि० के नाम से एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए एक आशय पत्र दिया गया था, बल्गारिया के मैसर्स टैक्नो-एक्सपोर्ट के साथ एक तकनीकी एवं विदेशी सहयोग समझौता करने के लिए अब एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मामला विचाराधीन है।

खाद्य सहायता सार्थ-संघ के सदस्य देशों के साथ खाद्यान्न सम्बन्धी करार

***672. श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री न० कु० सांघी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों में अपने सभी राजनयिक मिशनों को हिदायतें दी हैं कि खाद्यान्न सहायता सार्थ-संघ के सदस्य देशों के साथ भारत को वचन दी गयी खाद्यान्न सहायता के बारे में निश्चित करारों पर हस्ताक्षर किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सहायता-संघ के देशों ने जो अन्न-सहायता देने का वचन दिया है उससे सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए, सरकार अपने राजनयिक और अन्य साधनों से बराबर कोशिश कर रही है। कनाडा ने 460 लाख अमरीकी डालरों की अन्न-सहायता का जो वचन दिया है उसके अन्तर्गत यहां अन्न पहुंचना शुरू हो गया है। आशा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पब्लिक ला 480 के अन्तर्गत 15 लाख मैट्रिक टन अनाज भेजने की मंजूरी जल्दी ही दे दी जायगी। प्रत्यक्ष अन्न-सहायता के अलावा, सरकार अप्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करने की कोशिश भी कर रही है, जो ज्यादा अन्न पैदा करने के लिए आवश्यक रासायनिक खाद और हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं आदि की वित्तीय व्यवस्था के रूप में होगी। इसके अलावा, सरकार ऋण चुकाने से कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण जैसी अन्य प्रकार की ऐसी सहायता प्राप्त करने की भी कोशिश कर रही है जिससे दुनियां की मंडियों से अनाज खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा मिलेगी। यह सहायता किस प्रकार की हो और कितनी हो, इस बात पर सहायता संघ के सदस्य देश और संस्थाएं विचार कर रही हैं।

विदेशों से प्राप्त की गयी सहायता

*673. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 से लेकर अब तक रुपयों में भुगतान वाले देशों तथा रुपये से भिन्न मुद्रा में भुगतान वाले देशों से पृथक-पृथक कितनी वार्षिक सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) सहायता की मंजूर हुई कुल रकम में से कितनी रकम का उपयोग किया गया, कितनी रकम व्ययगत हो गयी तथा कितनी रकम वापिस लौटाई गयी; और

(ग) रुपये से भिन्न मुद्रा में भुगतान वाले देशों की तुलना में रुपयों में भुगतान वाले देशों से प्राप्त सहायता में कितने प्रतिशत सहायता बिना शर्त थी तथा योजना से भिन्न कार्यों के लिये सहायता के रूप में थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये, संख्या एल० टी० 744/67]** ।

(ग) शून्य (क्योंकि रुपयों में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से मिलने वाली कोई भी सहायता ऐसी नहीं होती जो किसी न किसी कार्य से जुड़ी न हो ।)

अमरीकी ऋण

*674. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अमरीका के साथ हुए करार के अन्तर्गत भारत को 90 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं और यह ऋण किस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । 10 मई, 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ 13.2 करोड़ डालर (99 करोड़ रुपये) के लिए "वस्तु कार्यक्रम सहायता—1967" सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) करार के अनुसार, मूलधन का कोई अंश पहले दस वर्षों में चुकाया नहीं जाना है; मूलधन की वापसी इसके बाद शुरू की जायगी और अगले तीस वर्षों में लगभग बराबर-बराबर की छमाही किश्तों में डालरों में की जायगी । ब्याज डालरों में पहले दस वर्षों में 1 प्रतिशत की वार्षिक दर से और, उसके बाद, बाकी 30 वर्षों में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वार्षिक दर से हर छमाही अदा किया जाना है । इस ऋण का उपयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका से कई किस्म की चीजें और उपकरण जैसे कि रासायनिक खाद, हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली

दवाएं, मशीनों के हिस्से, फालतू कलपुर्जे और दूसरी चीजें मंगाने के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी खर्च की व्यवस्था करने के लिए किया जायगा। कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन दोनों में वृद्धि करने के लिए इनकी आवश्यकता है।

पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत आयात किये गये माल पर भाड़ा

*675. **श्री विश्वनाथ पान्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत आयात किये गये माल पर विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितना भाड़ा दिया जायेगा;

(ख) क्या यह भाड़ा अधिक समझा जाता है; और

(ग) इस भाड़े की अदायगी किस प्रकार की जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 1967–68 के कुल भाड़े की रकम इस समय नहीं बतायी जा सकती, क्योंकि यह मालूम नहीं है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज, रूई, सोयाबीन के तेल आदि का कितना आयात किये जाने की सम्भावना है। लेकिन हमें प्रति इकाई भाड़े के रूप में लगभग जितना खर्च उठाना है उसका ब्योरा यह है :

(1) प्रति दस लाख मैट्रिक टन गेहूं और माइलो के लिए	9 करोड़ रुपया
(2) रूई की प्रति एक लाख गांठों के लिए	1 ,, ,,
(3) सोयाबीन के प्रति एक लाख मैट्रिक टन तेल के लिए	1.60 करोड़ रुपया

ये दरें दुनिया के बाजारों की दरों के बराबर हैं, क्योंकि यदि अमरीकी जहाजों से माल भेजने का खर्च अधिक हो तो अतिरिक्त खर्च संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार बरदाश्त करती है।

(ग) भाड़ा हमारे मुक्त विदेशी मुद्रा साधनों से अदा किया जाता है।

Nationalisation of General Insurance

*676. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Raghuvir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri O. P. Tyagi :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether any proposal for nationalisation of General Insurance is under consideration of Government; and

(b) if so, when the final decision would be taken in this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) Government has under detailed examination the proposal for nationalisation of general insurance in all its aspects, including the possibility of achieving the objective in other ways

(b) No time-limit has been fixed.

करों की वसूली

*677. **श्री नायनार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करों के अपवंचन को रोकने की दृष्टि से कर वसूली की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) वर्ष 1963 से 1966 की समाप्ति तक सरकार ने करों की कितनी बकाया राशि बट्टे खाते में डाली ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हाल ही में कर वसूली की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये की गई कार्यवाही में से कुछ ये हैं :—

(i) राज्य सरकारों से कर वसूली का कार्य धीरे-धीरे केन्द्र द्वारा ले लेना;

(ii) काम की केन्द्र द्वारा कर्तव्य विभाजन प्रणाली लागू करना जिसके अन्तर्गत कर की वसूली का कार्य ऐसे आयकर अधिकारियों को सोंपा जायगा जो केवल यही कार्य करेंगे;

(iii) कर की बकाया मांगों की समय-समय पर समीक्षा;

(iv) कर जमा करने में चूक करने वालों की परिसम्पत्तियों का व्यौरा कर वसूली अधिकारियों को देना तथा कर की भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूली के आदेश जारी करना;

(v) विलम्ब से की गई अदायगियों के मामले में 1–4–1965 से ब्याज की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करना।

(vi) कम्पनी से कर वसूल नहीं हो सकने की हालत में, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कम्पनी के डाइरेक्टर से कर की वसूली करना।

(vii) 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कर-बेबाकी प्रमाण पत्र पेश करना।

(ख) बट्टे खाते डाली गई आयकर की बकाया रकमों के आंकड़े वित्तीय वर्ष के अनुसार रखे जाते हैं। 1962–63 से 1966–67 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बट्टे खाते डाली गयी रकमें इस प्रकार हैं :—

1962–63	4,39,91,353 रुपये
1963–64	1,60,37,681 रुपये
1964–65	97,47,072 रुपये
1965–66	37,65,004 रुपये
1966–67 (31–7–1966 तक)	9,10,152 रुपये

निर्मित वस्तुओं के कारखानों-द्वारा मूल्यों का स्थिरीकरण

***678. श्री बलराज मधोक :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक उपभोग वाली निर्मित वस्तुओं के कारखाना-द्वारा मूल्यों को एक वर्ष के लिये स्थिर रखने की संभाव्यता का सरकार ने हाल में विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों का व्यपगत (लैप्स) हो जाना

***679. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जीवन बीमा निगम की पालिसियों के व्यपगत होने के वार्षिक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा पालिसी-धारियों के बोनस और समर्पण मूल्य के भी कारण जीवन बीमा निगम को होने वाली हानि का अनुमान लगाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, नहीं। पालिसियों का एकन्दर स्खलन अनुपात 1963-64 में 8.2 प्रतिशत से घटकर 1965–66 में 7.2 प्रतिशत हो गया है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि पालिसियों का स्खलन अभी भी काफी ज्यादा है तथा उसे और भी कम करने के लिए निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

एकन्दर दृष्टिकोण से, स्खलन से निगम को हानि नहीं होती ।

परिवहन सर्वेक्षण

***680. श्री रा० बरुआ : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा किया जा रहा परिवहन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन सभा पटल पर कब रखा जायेगा; और

(ग) क्या इस समिति ने प्रदेशवार भी सर्वेक्षण किया है और सुधार के लिये कुछ सुझाव भी दिये हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : परिवहन आयोजना सम्बन्धी संयुक्त तकनीकी दल द्वारा, जो योजना आयोग तथा रेलवे और परिवहन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, आरम्भ किये गये परिवहन सम्बन्धी अध्ययन में प्रगति हो रही है और इस समय वह अन्तिम अवस्था में है। परिवहन सम्बन्ध अध्ययन में प्रमुख वस्तुओं के सम्बन्ध में जांच तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षण शामिल हैं। इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप परिवहन के आयोजन और विकास सम्बन्धी विशिष्ट सिफारिशों सहित विभिन्न अध्ययनों सम्बन्धी प्रतिवेदन दिसम्बर, 1967 तक तैयार हो जाने की आशा है।

दिल्ली में सरकारी क्वाटरों के लिए घरेलू प्रयोगार्थ बिजली (डोमैस्टिक पावर)

*681. **श्री कार्तिक ओरांओं :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में टाइप दो, तीन और चार के क्वाटरों में घरेलू प्रयोगार्थ बिजली (डोमैस्टिक पावर) नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्वाटरों में डोमैस्टिक पावर की व्यवस्था करने का है जिनके अलाटी इसकी मांग करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) टाइप 2 और 3 तथा पुराने टाइप 4 के क्वार्टरों में पावर प्लग नहीं दिए गए हैं। नए टाइप 4 के मकानों में पावर प्लग दिए गए हैं। यदि उन पुराने मकानों के, मो अब टाइप 4 के माने जाते है, एलाटी पावर लगवाना चाहें, तो वे अतिरिक्त किराया देकर वैसा कर सकते है। टाइप 2 और 3 के क्वार्टरों में पावर प्लग देने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि उस पर आने वाला खर्च अधिक होगा और ऐसे क्वार्टरों में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों को इस सुविधा की जरूरत नहीं है।

विदेशी बैंकों में खाते

*682. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके खाते विदेशी बैंकों में हैं;

(ख) इनमें से कितने खाते वर्ष 1967 में खोले गये हैं; और

(ग) इन खातों में कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Power Crisis in Delhi

***683. Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an apprehension of a power crisis in Delhi and the neighbouring States as a result of fall in the water supply in Bhakra reservoir;

(b) whether Government have formulated any definite scheme to avoid the shortage of water in the Bhakra reservoir;

(c) if so, the broad details thereof; and

(d) the action Government propose to take to avoid any power crisis in future ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) There is no apprehension of a power crisis in Delhi now. However, there was an apprehension for about a week in the beginning of this month.

(b) and (c) Shortage of water cannot be avoided if the inflow into Sutlej reduces considerably; but due to the steps indicated in (d), a power crisis can be avoided,

(d) The first of the three 62.5 MW sets which are being installed in Indraprastha Power Station Extension Project, Delhi, is likely to be put into commercial operation during the first week of July, 1967. The other two sets are expected to be commissioned at intervals of 3 to 4 months there after. In order to meet further load demands, a power station at Badarpur near Delhi with an installed capacity of 300 MW has been sanctioned. With this, and the power development schemes to be taken up in the Fourth Plan in the States adjoining Delhi, the power supply will he adequate,

Heart and Blood Pressure Diseases in the Country

***684. Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that heart and blood pressure diseases are spreading rapidly in India;

(b) if so, whether Government have looked into the basic causes of these diseases;

(c) whether it is also a fact that these diseases are on the increase due to excessive use of tea, wine and smoking; and

(d) if so, whether Government propose to discourage the excessive use of these articles ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) There is a general impression that heart and blood pressure diseases are on the increase.

(b) The causes of these diseases are being investigated in India as well as in other advanced countries.

(c) There is no definite proof to this effect except that there is some evidence to correlate excessive smoking with heart diseases,

(d) Steps are already being taken, as part of Government's health education activities, to educate the public about the harmful effects of smoking.

Scarcity of Drinking Water in Delhi

***686. Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Mahant Digvijay Nath ;
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Snarma :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards scarcity of drinking water in Delhi;

(b) whether Government are in touch with the Delhi Municipal Corporation and Delhi Metropolitan Council in this regard;

(c) whether Government have decided to take some steps immediately to prev the situation from deteriorating further; and

(p) if so, the nature thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes, Sir. Some reports regarding the shortage of water in certain areas have been brought to Government's notice.

(b) Government are in constant touch with the Delhi Municipal Corporation in this regard. The Delhi Metropolitan Council has, however. made no specific proposal or request to the Ministry of Health and Family Planning on the subject of Delhi's Water Supply,

(c) and (d) A statement showing the measures already taken to stabilise and augment the water supply of Delhi is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library, See No, L, T. 745/67]

नर्सें

***687. श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री भगवान दास :
श्री कं० हाल्दर :
श्री चक्रपाणि :
श्री रमानी :
श्री नायनार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नर्सों की कमी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में कितनी योग्यता प्राप्त नर्सें विदेशों को गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि देश में सेवा की शर्तें अच्छी न होने के कारण नर्सें विदेशों को जा रही हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय तथा सैनिक विभागों के अधीन नर्सों की सेवा की शर्तों की तुलना में राज्यों में नर्सों की सेवा की शर्तें और भी खराब हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा. श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) योग्यता प्राप्त नर्सों की संख्या के बारे में, जो पिछले पांच वर्षों में विदेशों को चली गई हैं, जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । इसका कोई प्रगाण नहीं है ।

(घ) भिन्न-भिन्न राज्यों में नर्सों के वेतन-क्रम भिन्न-भिन्न हैं । विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न वेतन-क्रम निर्धारित किये हैं ।

नर्सों के लिये केन्द्रीय वेतन क्रम राज्यों की अपेक्षा सामान्य रूप से अधिक हैं ।

(ङ) नर्सों की सेवा की शर्तों में और सुधार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(एक) भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ की सिफारिश पर जहां कहीं सम्भव है नर्सों के काम के घण्टे घटाकर 48 कर दिये गये हैं ।

(दो) उपस्कृत (फर्निश्ड) होस्टल आवास दिया जा रहा है ।

(तीन) नर्सों के वेतनों को बढ़ाने के बारे में कई राज्य सरकारें विचार कर रही हैं ।

तेल का आयात

***688. श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष से भारत द्वारा किये जाने वाले तेल के आयात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो देश में तेल की इस प्रत्याशित कम सप्लाई को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं । सिवाय इस हद तक कि कुछ आयातित उत्पादों को दूसरे रास्ते से लाना पड़ा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिड़ला समवाय-समूह को दिये गये ऋण

***689. श्री जार्ज फरनेन्डीज:**
श्री जे० एच० पटेल:
श्री मधु लिमये:

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, द्वारा स्थापित किये गये एक अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि पिछले वर्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जो ऋण दिये थे उनमें से आधे ऋण उन फर्मों को दिये गये थे जो बिड़ला समवाय–समूह की फर्में हैं अथवा उसके नियन्त्रणाधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। न तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस प्रयोजन के लिए कभी किसी अध्ययन दल की स्थापना की, न यही ठीक है कि पिछले वर्ष बैंक ने जो अग्रिम दिये उनमें से आधे उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये गये हैं जिनके मालिक, नियन्त्रक या प्रबन्धक उद्योगपतियों का वह समूह है जो साधारणतः बिड़ला समूह के नाम से जाना जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरयाना राज्य को सहायता

*690. **श्री अब्दुल गनी दार:** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार कमी वाले कुछ राज्यों को उदारतापूर्वक करोड़ों रुपये की सहायता दे रही है और कमी वाले हरयाना राज्य को जो कि अभी हाल में बना है सहायता नहीं दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) इस बात का सम्बन्ध स्पष्टतः कुछ राज्यों को, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत दिये जाने वाले सहायक अनुदानों से है। पिछले वित्त आयोग ने संयुक्त पंजाब राज्य को कोई सहायक अनुदान दिये जाने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से को हिसाब में लेने पर राज्य के राजस्व में अधिशेष रहता था। पिछले वर्ष उस राज्य के पुनर्गठन के बाद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि संयुक्त पंजाब की परिसम्पतियों और देनदारियों के बंटवारे के लिए नियुक्त की गयी दहेजिया समिति ने भी हरयाना के राजस्व में कमी होने का कोई अनुमान नहीं लगाया था।

बम्बई में परिवार वाले अधिकारियों को क्वार्टर

3221. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री रवि राय :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बम्बई से परिवार वाले अधिकारियों को सरकारी क्वार्टर किस कसौटी के आधार पर दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्पदा (ऐस्टेट) कार्यालय ऐसे अलाटियों से मिलकर जिनके परिवार स्थायी रूप से बम्बई से बाहर रहते हैं इन क्वार्टरों को अन्य सरकारी कर्मचारियों को जो ये क्वार्टर पाने के अधिकारी नहीं हैं तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को भी उनसे कुछ धन लेकर, जो सम्पदा कार्यालय के कर्मचारी तथा अलाटी आपस में बांट लेते हैं, किराये पर दे देते हैं;

(ग) उनके मन्त्रालय को सम्पदा कार्यालय, बम्बई के विरूद्ध 1961 से 1966 तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) ऐसी कितनी शिकायतें जांच–पड़ताल के लिये विशेष पुलिस संस्थान को सोंपी गई तथा उनके जांच–निष्कर्ष क्या थे तथा दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एसे कर्मचारियों को जो ये क्वार्टर पाने के अधिकारी नहीं हैं इन क्वार्टरों में साझे में रहने के बहाने अनुपस्थित कर्मचारियों के क्वार्टर अलाट कर दिये जाते हैं और वे अवांछनीय काम करते हैं जिनसे असली कियायेदारों को बहुत परेशानी होती है; और

(च) 1961 से 1966 तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने की कितनी शिकायतें मिलीं और उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री, (श्री इकबालसिंह) (क) आवटंन नियमों में विद्यमान उपबन्धों के अनुसार सामान्य पूल के वास स्थान के आवंटन के प्रयोजन के लिए परिवार वाले तथा बिना परिवार वाले अधिकारियों में कोई अन्तर नहीं है। सामान्य पूल के विभिन्न टाइप के वास स्थान का आवंटन पात्र अधिकारियों की प्राथमिकता तिथियों के अनुसार किया जाता है।

(ख) सम्पदा प्रबन्धक, बम्बई को आवंटन नियमों में विद्यमान उपबन्धों के अनुसार ही सामान्य पूल के वास स्थानों का आवंटन करना पड़ता है। सामान्य पूल के वास स्थान का आवंटन केवल उन्हीं पात्र सरकारी कर्मचारियों को किया जाता है, जिनके नाम नियमों के अनुसार बनाई गई प्रतीक्षा सूची में लिखे हों। सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां किसी अपात्र या गैर सरकारी व्यक्ति को आवंटन किया गया हो।

(ग) और (घ) शिकायत सम्बन्धी कोई भी मामला सरकार द्वारा विशेष पुलिस संस्थान को नहीं सौंपा गया परन्तु विशेष पुलिस संस्थान ने सम्पदा प्रबन्धक, बम्बई को उनके कार्यालय में काम करने वाले एक कर्मचारी के सम्बन्ध में एक शिकायत भेजी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) सरकार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कुष्ठ रोगी

3222. श्री श्रीधरन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुष्ठ रोगी कितने हैं;

(ख) राज्यवार उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) कुल कितने कुष्ठ रोगी अस्पतालों में चिकित्सा पा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा. चन्द्रशेखर) : (क) 1963 में लगाये गये एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 25 लाख कुष्ठ रोगी थे;

(ख) कुष्ठ रोगियों के राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है:—

राज्य	संख्या	
मद्रास	6.40	लाख
आन्ध्र प्रदेश	5.20	,,
बिहार	2.80	,,
पश्चिम बंगाल	2.40	,,
महाराष्ट्र	2.20	,,
उड़ीसा	1.90	,,
उत्तर प्रदेश	1.40	,,
मैसूर	1.40	,,
शेष राज्य	1.30	,,
	25.00 लाख	

(ग) 28,000।

पोस्त की खेती

3223. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस वर्ष के आरम्भ में असमय पर वर्षा के कारण पोस्त की खेती को बहुत नुक्सान पहुंचा है;

(ख) क्या सरकार को सम्बन्धित राज्य सरकारों से पोस्त की खेती को हुए नुक्सान का कोई विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ है;

(ग) खेती को कितनी क्षति हुई तथा किसानों को कितनी हानि हुई; और

(घ) पोस्त की खेती करने वाले किसानों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस वर्ष असमय में वर्षा के कारण तीनों ही राज्यों में पोस्त की फसल को कुछ क्षति पहुंची है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फसल को क्षति पहुंचने के कारण 1966-67 में कृषकों द्वारा दी गई अफीम की औसत उपज पिछले वर्ष की औसत उपज की तुलना में लगभग 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कम बैठती है, जो पिछले वर्ष की औसत उपज की तुलना में 6 प्रतिशत कम निकलती है।

(घ) प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों को यदा कदा क्षति पहुंचना कोई असाधारण बात नहीं है और पोस्त की खेती करने वालों को केन्द्र सरकार द्वारा इस अवस्था में सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, 1967-68 के लिये पोस्त की खेती करने वालों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते समय 1966-67 में पोस्त की खेती को हुई क्षति को ध्यान में रखा जायगा।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाएं

3224. श्री बाबूराव पटेल : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार का विचार राज्य के अधिक धान उपजाने वाले क्षेत्र (छत्तीसगढ़) में राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करने का है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई ब्यौरेवार टिप्पण भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य बातें दी गई हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस बारे में प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन बताये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

त्रिपुरा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कृषक

3225. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा सरकार से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कजूमिया लोगों तथा भूमिहीन कृषकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की दरों का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों को छोड़कर अन्य किसानों के लाभ के लिये चलाई जा रही योजना के समान ही अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भूमिहीन किसानों को बसाने के लिये वित्तीय सहायता बढ़ाने का एक प्रस्ताव त्रिपुरा सरकार से प्राप्त हुआ है ।

(ख) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये विशेष कार्यक्रम के अधीन इस प्रयोजन के लिये सीमित व्यवस्था होने के कारण त्रिपुरा सरकार द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुसार सहायता नहीं बढ़ाई जा सकी । इसलिये यह निर्णय किया गया है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां भी ले आई जायें ।

रूस की सहायता से मध्य प्रदेश में हाउसिंग फैक्टरी की स्थापना

3226. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने मध्य प्रदेश में 2 करोड़ रुपये की लागत की एक हाउसिंग फैक्टरी स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा रूस ने क्या शर्तें रखी हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी किसी योजना के लिये अनुमति दी है अथवा क्या राज्य सरकार ने इसके बारे में सीधे ही बातचीत की थी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार या मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

स्टाक मार्केट में इक्विटी शेयरों के मूल्य में गिरावट

3227. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक पखवाड़े में (21–5–67 से 4–6–67 तक) देश में स्टाक मार्केट में इक्विटी शेयरों के मूल्यों में भारी गिरावट है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में इक्विटी शेयरों के मूल्यों में औसतन कितनी गिरावट आई है; और

ग) इतनी भारी गिरावट आने के मुख्य कारण क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, नहीं । 21 मई 1967 से 3 जून 1967 तक की अवधि में (4 जून 1967 को रविवार था) परिवर्तनशील लाभांश वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय

सूचक अंक (आधार 1961–62=100) 79.8 से घट कर 78.7 रह गया जिससे कीमतों में केवल 1.4 प्रतिशत की गिरावट आने का पता चलता है।

(ग) सामान्य शेयरों (ईक्विटीज़) की कीमतों में आमतौर पर जो गिरावट आयी उसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया की विस्फोटक स्थिति और बाद में 5 जून को लड़ाई का छिड़ जाना हो सकता है।

कृषकों की सहकारी समितियों द्वारा उर्वरक कारखाने की स्थापना

3229. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषक सहकारी समितियों के संघ द्वारा एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख) अमरीका के इण्टरनेशनल कापरेटिव डिवैलपमैण्ट एसोशिएशन की सहायता से सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का एक प्रस्ताव है। सम्भाव्य रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक दल शीघ्र ही भारत आ रहा है।

सोने का निकाला जाना

3230. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी मात्रा में सोना निकाला जाता है ; और

(ख) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में चोरी–छिपे लाया गया कितना सोना किन-किन बन्दरगाहों पर पकड़ा गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोलार तथा हट्टी की सोने की खानों में 1966–67 में सोने का उत्पादन 3538.669 किलोग्राम था।

(ख) पिछले 14 कैलेण्डर वर्षों में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा, चोरी छिपे लाये गये के रूप में पकड़े गये सोने की कुल मात्रा का ब्यौरा वर्षवार नीचे दिया जाता है (क्योंकि आंकड़े इसी आधार पर उपलब्ध हैं) :–

वर्ष	चोरी छिपे लाये गये के रूप में पकड़े गये सोने की मात्रा किलोग्राम
	(अनुमानित)
1953	466
1954	1035

1955	1241
1956	1375
1957	2375
1958	1236
1959	537
1960	1066
1961	2287
1962	2593
1963	1024
1964	1673
1965	2284
1966	2456

पिछली तीन आयोजनाओं की अवधियों में प्रत्येक बन्दरगाह में चोरी-छिपे लाये गये के रूप में पकड़े गये सोने के सम्बन्ध में, आवश्यकता से अधिक समय तथा श्रम का व्यय किये बिना, आंकड़े इकट्ठे करना सम्भव नहीं है। हर वर्ष पकड़े गये कुछ सोने में से पर्याप्त सोना देश के भीतरी भागों में पकड़ा जाता है।

समाचारपत्र संवाददाताओं के लिये फ्लैट

3231. श्री विश्वम्भरन् :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच महीनों में भारतीय प्रेस संस्था के माध्यम से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को दिल्ली में कितने फ्लैट दिये गये;

(ख) उनमें से कितने 'ई' टाइप के हैं और कितने डी–II टाइप के;

(ग) क्या अलाटियों को अपने फ्लैट बदल कर बड़े फ्लैट लेने की अनुमति दी जाती है चाहे मूल अलाटमेंट का क्षेत्रफल कितना भी क्यों न रहा हो ;

(घ) क्या अमरीकी संगठन में काम करने वाले एक व्यक्ति को अपना छोटा फ्लैट बदल कर बड़े फ्लैट में जाने की अनुमति दी गई थी यद्यपि उसने पहले 'ई' टाइप का फ्लैट स्वीकार किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रेस संस्था द्वारा रखी गई सूची में उससे प्राथमिकता प्राप्त संवाददाताओं को आवंटन में परिवर्तन की सूचना दी गई थी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) तीन फ्लैट।

(ख) ई–टाइप (टाइप 4)...एक।
डी–टाइप (टाइप 5)....दो।

(ग) मान्यता प्राप्त सवाददाताओं को भारतीय प्रेस संस्था की सिफारिशों पर उनके पूल में से एलाटमेंट की जाती है। एलाटियों को केवल संस्था की सिफारिश पर ही मकान बदलने की अनुमति दी जाती है।

(घ) प्रेस संस्था की सिफारिश पर अमरीकी संगठन में काम करने वाले एक व्यक्ति को टाइप 4 का फ्लैट प्रस्तावित किया गया था और यद्यपि उसने उस प्रस्तावित फ्लैट को स्वीकार कर लिया था, तो भी वह टाइप 5 के अपने फ्लैट से वहां नहीं गया। टाइप 5 का यह फ्लैट उसके नाम नियमित कर दिया गया।

(ङ) सरकार का प्रेस संस्था के सदस्यों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इस बारे में प्रेस संस्था के प्रधान को विधिवत सूचित कर दिया गया।

खम्भात की खाड़ी में तट से दूर तेल की खोज

3232. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 285 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी तेल समवायों के साथ बातचीत में सफलता न मिलने के कारण खम्भात की खाड़ी में तट से दूर तेल की खोज के काम में सहयोग प्राप्त करने के लिये किन्हीं अन्य तेल समवायों के साथ बातचीत की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख) एक अमरीकी तेल कम्पनी के साथ बात-चीत असफल रही है, परन्तु अब कई अन्य कम्पनियों के साथ बात-चीत जारी है।

मद्रास राज्य में वैगाई पुनराधुनिकीकरण योजना

3233. **श्री किवतिनन :** क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार से मद्रास राज्य में वैगाई पुनराधुनिकीकरण योजना के बारे में पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण सिचाई योजनाओं के निष्पादन में विलम्ब करने के क्या खास कारण हैं ; और

(ग) क्या इस योजना को इस वर्ष क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) योजना दिसम्बर, 1966 में सलाहकार समिति द्वारा मंजूर की गई है।

विकलांग बच्चों को रोजगार देना

3234. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री 1 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1094 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने बाल प्रशिक्षणार्थियों (अंधे, बहिरे और विकलांग) को अब तक रोजगार दिया जा चुका है; और

(ख) उनके लिये रोजगार की शीघ्र व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) अंधों, बहरों तथा आरथोपेडिकल्ली विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिये 9 विशेष रोजगार कार्यालय खोले गये हैं। 31 मार्च, 1967 तक इन कार्यालयों ने 3671 अंधों बहरों तथा आरथोपेडिकल्ली विकलांग व्यक्तियों को नौकरी दिलवाई।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिये कल्याण-कार्य

3235. **श्री द० रा० परमार : श्री भालजी भाई परमार : श्री रामचन्द्र ज० अमीन : श्री सोमचन्द सोलंकी :**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में विभिन्न राज्यों में, राज्य-वार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के कल्याण कार्यों पर केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि खर्च की ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयोग द्वारा अपने पिछले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 1965-66 तथा 1966-67 के वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की योजनाओं पर खर्च करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई राशियां दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 746/67]

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की पिछली रिपोर्ट वर्ष 1965-66 के सम्बन्ध में है तथा उसे 8 जून, 1966 को संसद में पेश किया गया था। सम्बन्धित प्राधिकारियों की सलाह से आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

फरीदाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

3236. श्री सोमसुन्दरम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय फरीदाबाद में तैनात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य सब सरकारी कर्मचारियों को, जिनका दिल्ली से 1 सितम्बर 1966 के बाद तबादला किया गया था दिल्ली की दरों पर प्रतिकर भत्ता मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के साथ यह भेद-भाव करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) दिल्ली से कार्यालयों को 1–1–1966 अथवा उसके बाद हटाये जाने के कारण जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को फरीदाबाद स्थानान्तरित किया जाता है उनको एक वर्ष तक दिल्ली में प्राप्त दरों पर नगर निवास पूर्ति भत्ता लेते रहने की अनुमति दी जाती है और उसके बाद अगले 18 महीनों में यह दर धीरे-धीरे घटाकर शून्य कर दी जाती है। जो कार्यालय फरीदाबाद में 1–9–66 को पहले से ही स्थित थे, उनके कर्मचारियों को भी यह रियायत दी गई है। उपर्युक्त रियायतें देने के मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

लघु तथा मध्यम पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता

3237. श्री रा० बरुआ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा मध्यम पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों को भारतीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विदेशों से इस प्रयोजन के लिये प्राप्त सहायता में से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) - (क) और (ख) ऐसी कोई खास कठिनाई सरकार को या वित्तीय संस्थाओं को सूचित नहीं की गयी है जिसका सामना विदेशों से मिलने वाली सहायता में से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग-धन्धों को करना पड़ता हो।

Development of India Gate-Central Secretariat area

3238. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have prepared a scheme for the development of India Gate and Central Secretariat area, New Delhi ;

(b) if so, the details of the constructions to be undertaken in the area and when the work is likely to commence; and

(c) the expenditure involved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) Yes. The Delhi Development Authority have prepared a draft zonal development plan of the area and have published a notice on the 27th May, 1967 for inviting objections/suggestions to the draft plan as provided in the Delhi Development Act, 1957. The last date for filing objections/suggestions is 26th June, 1967. The objections and suggestions, when received, will be vetted by the Screening Board set up by the Authority and the persons making objections etc. will be heard in person. Thereafter, the recommendations of the Screening Board will be considered by the Standing Committee and later by the Authority itself. Lastly, the plans will be examined by the Central Government before according approval to the plans. It is not possible at this stage to indicate when the work on the plan is likely to commence.

(c) No assessment of the cost of implementation of the plan has been attempted. In any case, such an attempt will be premature at this stage because it is not known what shape the zonal plan will eventually take after consideration of objections and suggestions. Secondly, a zonal plan is basically a detailed land use plan and in its implementation, several agencies, Government, local authorities and private property owners, will be concerned. Its implementation will also be spread over a number of years, being dependent upon the situation prevailing from time to time.

Installation of Fans in Class IV Employees Quarters

3239. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Y. S. Kushwah :**

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fans were installed in the quarters of class IV employees in Delhi at the time of last general elections and the work was discontinued after the Elections ;

(b) if so, the number of fans installed between the 1st January 1967 and the 1st March, 1967; and

(c) the number of fans still required to be installed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and supply (Shri Iqbal Singh) : (a) No. The decision to provide one ceiling fan in each Type I quarter was taken in 1965. Because of the large expenditure involved, it was decided to undertake the work in two phases. In 1966, fans were provided in 6,480 quarters.

(b) and (c) Between January and March, 1967, the work was done in 1509 quarters and another 2771 quarters were covered up to the end of May, 1967. In the remaining 1672 quarters, fans are expected to be fixed shortly.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3240. **श्री दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में सेवा की शर्तों के बारे में स्थायी आदेश नहीं बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : 21 सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा नियंत्रित 79 एककों (यूनिट) ने स्थायी आदेश तैयार करके उन्हें प्रमाणित करा लिया है। बाकी एकक भी उन्हें जल्दी से जल्दी अन्तिम रूप देने के लिए या तो कदम उठा चुके हैं या उठा रहे हैं।

दिल्ली में अर्द्ध-विकसित भूमि पर मकानों का निर्माण

3241. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अर्द्ध विकसित भूमि पर मकान बनाने की अनुमति देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मकान बनेंगे ; और

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों का बाद में विकास करने के लिये कोई कार्यवाही की जायगी ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया।

(ख) और (ग) : इस प्रस्ताव का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

3242. श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री देवेन सेन :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों तथा हरिजनों और आदिवासियों के मकानों के लिए सुन्दर स्थानों की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या इस मामले में राज्य सरकारों का सहयोग मांगा गया है ; और

(ग) क्या हमारे समाज के इन पिछड़े वर्गों द्वारा स्वयं मकान बनाने के लिये सरकार का विचार कोई पर्याप्त रकम नियत करने का है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) जी हां।

कोयला खानों द्वारा कर अपवंचन

3243. श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जुलाई 1965 को कुसा तथा खास कुसा कोयला खानों, केन्द्रीय मुनगा कोयला खान, ईस्ट बस्ता कोल्ला कोयला-खान, तथा अन्य कोयला खानों से सम्बन्धित कुछ कागजात तथा दस्तावेज जैसी जाली रसीद बीजक दुहरे हिसाब किताब आदि आयकर आयुक्त पटना को सौंपे गये थे ;

(ख) क्या इन दस्तावेजों में इन कोयला-खानों द्वारा किये गये कर अपवंचन के बारे में जानकारी उपलब्ध थी ;

(ग) क्या आयकर विभाग ने इन कोयला खानों तथा उनके मालिकों के विरुद्ध कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) और (घ) जांच-पड़ताल चल रही है । जांच-पड़ताल पूरी होने पर ही परिणाम मालूम होंगे ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में ताप बिजली घर सम्बन्धी योजना

3244. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में ताप बिजली घर स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसा कोई बिजलीघर हरियाना में स्थापित किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत, मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) चौथी योजना में 23 ताप बिजली योजनाएं अस्थायी रूप से सम्मिलित की गई हैं, जिनकी कुल क्षमता 3955 मिगेवाट होगी । ब्यौरा इस प्रकार है :—

योजना का नाम	क्षमता (मिगेवाट)
1. कोठागुडम, चरण 2 (आन्ध्र प्रदेश)	120
2. कोठागुडम, चरण 3 (आन्ध्र प्रदेश)	220
3. गोहाटी एक्सटेंशन (आसाम)	30
4. पथरातू एक्सटेंशन्स (बिहार)	220
5. धुवरन एक्सटेंशन (गुजरात)	280
6. फरीदाबाद (हरियाना)	55
7. कोचीन (केरल)	55

8.	अमरकंटक एक्सटेन्शन (मध्य प्रदेश)	110
9.	बेसिन पुल एक्सटेंशन (मद्रास)	30
10.	एन्नोर (मद्रास)	330
11.	एन्नोर एक्सटेंशन (मद्रास)	110
12.	नेवेली एक्सटेंशन (मद्रास)	200
13.	पारली (महाराष्ट्र)	60
14.	नासिक (महाराष्ट्र)	280
15.	कोराडी (महाराष्ट्र)	480
16.	हरदुआगंज, चरण 3 (उत्तर प्रदेश)	100
17	हरदुआगंज, चरण 4 (उत्तर प्रदेश)	110
18.	ओबरा एक्सटेंशन (उत्तर प्रदेश)	300
19.	सतालडीह (पश्चिम बंगाल)	240
20.	दुर्गापुर 6 यूनिट (पश्चिम बंगाल)	150
21.	दिल्ली 'सी' स्टेशन, चौथा यूनिट (दिल्ली)	55
22.	बदरपुर केन्द्रीय बिजलीघर	300
23.	चन्द्रपुर (दामोदर घाटी निगम)	120
		योग :– 3955

(ग) और (घ) चौथी योजना में हरियाना ने फरीदाबाद में एक 55 मिगेवाट का ताप बिजलीघर बनाने की मंजूरी दी गई है ?

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर

3245. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री शारदानन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतें पूरी तरह दूर कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उनका दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण करने सम्बन्धी प्रश्न आपसी समझौते द्वारा हल हो गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (घ) : सभी उचित माँगों को मान लिया गया है और समझौता हो गया है। समझौते की एक प्रति संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 747/67]

बनजारों को अनुसुचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करना

3246. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री सरजू पांडेय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनजारा समुदाय के नेताओं ने बनजारों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करने के लिये अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फुलरेणु गुह) : (क) हां।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न विचाराधीन है।

एशियाई फ्लू विषाणु

3247. **डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लाइफ' पत्रिका के एशिया संस्करण के 6 मार्च 1967 के अंक में पृष्ठ 29 पर एशियाई फ्लू विषाणुओं को नष्ट करने के लिये एक नई औषधि के आविष्कार के बारे में एक लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) बड़े पैमाने पर प्रयोग किये जाने के लिए यह औषधि कब तक तैयार हो जायेगी ; और

(ग) उक्त आविष्कार तथा चेचक के विषाणुओं को नष्ट करने के लिए एक अन्य औषधि के आविष्कार में सहायता करने में भारत में डा० डी० जे० बायर ने क्या योगदान दिया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त लेख में सीमेटरेल औषधि का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रजाति नाम अमेनटेडाइन हाइड्रोक्लोराइट है। वह औषधि शरीर के रोमकूपों पर काम करती है, जहां पर व्यूहाण्विक दीवार बना कर विषाणुओं को रोमकूपों में प्रवेश करके पाने से रोकती है।

परीक्षाणों में यह औषध एशियाई फ्लू को रोकने में कारगर सिद्ध हुई है । यह मालूम नहीं है कि क्या इस औषध को अमरीका में सामान्य रूप में प्रयोग किया गया है यद्यपि उपर्युक्त लेख में कहा गया है कि 'यह औषध बाजार में जा रही हैं और अमरीका के संघीय खाद्य तथा औषध प्रशासन ने इसकी गुन कारिता को स्वीकार कर लिया है ।

(ग) सरकार को नहीं मालूम कि उक्त ग्राविष्कार की सहायता करने में भारत में डा० डी० जे० बायर ने यदि कोई योगदान किया है । तथापि उन्होंने चेचक में एक अन्य औषध 'मारबोरन' के रासायनिक रोगनिरोधक महत्व के बारे में कुछ परीक्षण किये थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चेचक को फैलने से रोकने में यह औषध कुछ उपयोगी है । मारबोरन ब्रिटेन में बरौं वैलकम लेबोरेटरीज़ द्वारा बनाई जाती है और इसका रासायनिक नाम 'एन मीथिल–इसाटिन मायोसैमीकारबेजोन' है और प्रजाति–नाम 'मेथीसाज़ोन' है । भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के तत्वाधान में इस औषध के अगेतर परीक्षण किये जा रहे हैं ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये केन्द्रीय परिषद्

3248. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये एक केन्द्रीय परिषद् बनने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दे दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) होम्योपैथी सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की एक केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रस्ताविक परिषद की स्थापना के लिये विधान के प्रारूप के विवरण पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई जा रही है ।

Quarters for Dhobies

3249. Shri Hukam Chand Kachwal :
Shri Ram Singh Ayarwal ;

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether the scheme to settle the dhobies near the dhobi ghats in New Delhi has been implemented; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) The requirement of land for providing dhobi ghats and residential accommodation for dhobis in New Delhi is being assessed. After this is done, action will be taken to allot land to the New Delhi Municipal Committee to undertake construction of dhobi ghats and houses for dhobis.

Supply of Electricity at Lower Rates to Agriculturists

3250. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaya :

Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the questson of supplying electricity to consumers at a uniform rate and at a lower rate to the agriculturists has been examined; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) Introduction of uniform rates in all States on an all-India basis is not immediately feasible. However, uniformity in the rates charged for different classes of consumers within the jurisdiction of each State has been brought about in eight States. The other States are also working towards that end. For agricultural pumping, it is felt that the rate for power supply should not, as far as possible, exceed 12 paise per unit. It has, accordingly, been decided to subsidise electricity rates for agricultural pumping to the extent such rates are in excess of 12 paise per unit. The excenditure on the payment of subsidy is to be shared 50:50 by the Centre and the State Governments concerned. The subsidy scheme has been sanctioned for three years from 1966-67.

दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की बोतल में कीड़े

3251. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 में पूसा रोड के निकट दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो की एक बन्द बोतल में कुछ काले तथा भूरे कण तथा कीड़े पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी;

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं;

(घ) क्या हाल ही में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ङ) ऐसी बातों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई की गई स्टैन्डर्ड दूध की एक बोतल में बाह्य पदार्थों के पाये जाने के बारे में 14 अप्रैल, 1967 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। बोतल में एक मक्खी पाई गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना का एक सफाई दल जो चौबीसों घन्टे डेरी में तथा इसके बाहर सफाई व्यवस्था कि निगरानी रखता है। कीटनाशक दवाइयां प्रतिदिन छिड़की जाती है।

विभिन्न योजनाओं की अवधियों में मूल्यों में वृद्धि

3252. श्री मधु लिमये :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना की अवधि में मूल्यों में वस्तुत: कितनी वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि होने की आशा थी;

(ख) तीसरी योजना की अवधि में मूल्यों में कितनी वृद्धि होने की आशा थी और वस्तुत: वृद्धि कितनी हुई;

(ग) चौथी योजना की अवधि में मूल्यों में कितना उतार चढ़ाव होने का अनुमान है; और

(घ) मूल्य कम करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) थोक मूल्यों के सामान्य सूचक अंक में (1952-53 = 100) दूसरी आयोजना की अवधि में 28.5 प्रतिशत, तीसरी आयोजना की अवधि में 36.5 प्रतिशत और चौथी आयोजना की अवधि में 3 जून, 1967 तक 21.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पंचवर्षीय आयोजनाओं में मूल्यों के स्तर में होने वाली घटबढ़ के ठीक ठीक अनुमान नहीं दिये गये थे।

(घ) मूल्यों में अनुचित वृद्धि होने को रोकने के लिए सरकार कई दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय करती रहती है, जैसे कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में काफी और लगातार वृद्धि करना, देश में वस्तुओं की उपलब्धि बढ़ाने के लिये, जहां तक सम्भव हो, आयात-नीति को उदार बनाना, सरकारी माध्यमों द्वारा बड़े पैमाने पर अनाज को सस्ते दामों पर बांटना, कुछ मामलों में चीनी, मिट्टी के तेल, मिल के, लोकप्रिय किस्मों के कपड़े, बनास्पती, ओषधों और भेषजों तथा कागज जैसी कुछ अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों और वितरण का नियमन करना, अधिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोलना और बड़े-बड़े शहरों में बहु-विभागिय भण्डार खोलना। इसके अलावा, सरकार राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी नियत्रण द्वारा भी मांग के दबाव में होने वाली वृद्धि रोकने का प्रयत्न करती है।

मानव रक्त में डी० डी० टी०

3253. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचारी रोगों संबंधी राष्ट्रीय संस्था दिल्ली द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली की जनता के मानव रक्त में प्रति 10 लाख 180 अंश तक डी० डी० टी० का संकेन्द्रण है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने मानव शरीर में डी० डी० टी० के स्रोत का पता लगाने तथा वर्तमान पीढ़ी के लोगों में बड़े परिमाण में

डी० डी० टी० के अंश सकेन्द्रित होने के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरे तथा अजात संतानों में अवांछनीय जननिक परिवर्तनों के आरम्भ हो जाने के बारे में अग्रेतर जांच आरम्भ की थी; और

(ग) यदि हां, तो जाच का क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) संचारी रोगों सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्था, दिल्ली ने जार्जिया (अमरीका) में एटलान्टा में स्थित संचारी रोग केन्द्र के विषविज्ञान सम्बन्धी डिवीजन के सहयोग से जीवेक्षा और शव परीक्षा में लिये गये मानवीय चर्बी के नमूनों में निरजित उदागारों (क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स) के स्तर पर 1963 में जांच आरम्भ की थी। जांच के लिये चर्बी के 104 नमूने लिये गये थे। लगभग आधे नमूने ऐसे व्यक्तियों की शव-परीक्षा में लिये गये थे, जिनकी मृत्यु कीटनाशी विषाक्तता से भिन्न कारणों से हुई थी। विश्लेषण एटलान्टा स्थित संचारी रोग केन्द्र में किया गया था। परिणामों से संकेत मिले कि दो नमूनों को छोड़कर जिनमें प्रति दस लाख 180 और 291 अंश मिले, दिल्ली क्षेत्र से लिये गये 84 नमूनों में डी० डी० टी० से प्राप्त होने वाले पदार्थ प्रति दस लाख 8 से 118 अंश तक थे। दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों से लिये गये चर्बी के नमूनों में डी० डी० टी० से प्राप्त होने वाले पदार्थों का संकेद्रण और उनसे उत्पन्न पदार्थ अन्य देशों की तुलना में अधिक थे। उपलब्ध सामग्री से विषाक्तता के बारे में चिन्तित होने का कोई कारण नहीं है।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने इस विषय में अब तक कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० डी० टी० कारखाना, दिल्ली

3254. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की जनता के लिये पीने के पानी का मुख्य स्त्रोत ओखला वाटर वर्क्स यमुना नदी में नजफगढ़ नाला मिलने के स्थान से जिसमें दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने का दूषित पानी बहाया जाता है लगभग 10 मील नीचे की ओर ;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्लोरिनीकरण की प्रक्रियाओं से निरन्तर हवा में उड़ जाने वाली विषाक्त गैस और भाप जैसे क्लोरीन गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाप बेंजिन भाप आदि का पता लगाने तथा उनको रोकने के लिये डी०डी०टी० कारखाने के परिसार में निरन्तर गैस का विश्लेषण करने का कोई यन्त्र लगा हुआ नहीं है।

(ग) क्या डी० डी० टी० कारखाने में अपनाई जाने वाली पिसाई (ग्राइन्डिग) की प्रक्रिया में डी० डी० टी० के अति सूक्ष्म कण हवा में उड़ जाते हैं; और

(घ) दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाना में डी० डी० टी० नष्ट हो जाने के कारण होने वाली कितनी हानि प्रति वर्ष बट्टे खाते में डाली जाती है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां। बहाये जाने से पहले दूषित जल को भली भांति शोधित किया जाता है।

(ख) जी हां, किन्तु यदि कोई उड़जाने वाले भाप हुई तो उसके सुद्रवण (कंडसेशन) के लिए यंत्र के साथ क्लोरि‍ीकरण प्रक्रियाओं को पूर्णतया बन्द अवस्था में किया जाता है। अतः यह सत्य नहीं है कि भाप निरन्तर हवा में उड़ जाती है। संयन्त्र भी गैस का पता लगाने वाले यंत्र एवं विश्लेषण औजारों सहित सज्जित हैं जिसके द्वारा नमूनों की जांच की जा सकती है। पिछले एक साल में गैसों के उड़ जाने का कोई पता नहीं लगा। फिर भी कम्पनी ने एक निरन्तर गैस विश्लेषण यन्त्र के आयात का फैसला किया है।

(ग) जी हां। मार्च 1965 में डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली में किये गये एक शोषध एवं पर्यावरण अध्ययन में इन अनुमानों में धूल निस्यन्दन (डस्ट फिल्टर) की स्थापना की सिफारिश की। यह किया गया। कम्पनी ने निष्कासन वाहिनियों (उवटस) की भी व्यवस्था की है तथा धूल कम करने के लिए और कदम उठाये हैं।

डी० डी० टी० को कई कारणों से बट्टे खाते में डालना पड़ता है; जैसे सुखाने, पीसने, थैलियों में भरने और तौलने आदि में वास्तविक हानि तथा निर्मित सामग्री के लिये 50 प्रतिशत डी० डी० टी० के बिल बनाने तथा वास्तविक सामग्री, जो 50 और 51 प्रतिशत के बीच में है की भिन्नता। पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित मात्राएं बट्टे खाते में डाली गई :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)
1962-63	39.027
1963-64	32.227
1964-65	37.327
1965-66	50.010
1966-67	25.571

दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने से निकलने वाला खराब जल

3255. श्री मोहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने में से निकलने वाले खराब जल का उसके हानिकारक तत्वों को कम करने की दृष्टि से निरन्तर विश्लेषण नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारी लोग कैसे यह सुनिश्चित करते हैं कि बहने वाले दूषित जल के साथ कोई हानिकारक तत्व यमुना नदी के जल में न मिलने पायें ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां। बहाये जाने से पहले दूषित जल को भली भांति शोधित और निष्प्रभाव कर दिया जाता है।

(ख) दूषित जल की अम्लता, कार्बनिक, निलंबित तत्वों आदि की सामयिक पड़ताल द्वारा और दूषित जल के हानिकारक तत्वों का सुरक्षा सीमा के अन्दर ही रखना।

दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने से निकलने वाले दूषित जल को नजफगढ़ नाले में बहाया जाना

3256. **श्री ज्योतिर्मय :**
श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित डी० डी० टी० कारखाने से निकलने वाला दूषित जल (बेकार लिम्बर। जिसमें डी० डी० टी० तथा अन्य ऐसिड मिले होते हैं नजफगढ़ नाले में बहा दिया जाता है जो यमुना नदी में उस नाले के मिलने के स्थान से लगभग सात मील ऊपर की ओर है ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि जल के दूषित हो जाने से यमुना नदी में मछलियों के जीवन को बड़ा भारी खतरा है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां। बहाये जाने से पहले दूषित जल को भली प्रकार शोधित और निष्प्रभाव कर दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिया गया ऋण

3257. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री लाखन लाल गुप्त :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा बाजार से मांगे गये ऋण में धन लगाने के मामले में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं अधिकृत मूल्य से कम मूल्य पर ऐसी प्रतिभूतियां लगा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया उन बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिये ही सहायता देता है और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के धन लगाने के लिये सहायता नहीं देता है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित स्थिति रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले बाजार ऋण के प्रति भेदभावपूर्ण नीति के कारण पैदा हुई; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार कौन से उपाय करने का विचार कर रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्य सरकारों के ऋण के लिये प्रारम्भिक अंशदान उन मूल्यों पर तथा उन कार्यालयों अथवा बैंकों की शाखाओं पर स्वीकार करती है जिनका राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई ऋण अधिसूचनाओं में उल्लेख होता है। कोई भी ऐसा कार्यालय अथवा शाखा अधिसूचित मूल्य से कम मूल्य पर प्रारम्भिक अंशदान स्वीकार नहीं कर सकता है अथवा किया होगा तथापि बाद में किये गये अंशदान कम मूल्य पर हुए होंगे।

(ख) केन्द्रीय अथवा राज्यों के ऋण के लिये अंशदान करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कोई सहायता नहीं करता। राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के बेचने की कठिनाई के कारण रिजर्व बैंक खुले बाजार में अपने कारोबार में केवल केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का लेन-देन करता है और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में नहीं। तथापि रिजर्व बैंक राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के आधार पर अनुसूचित बैंकों को ऋण तथा अग्रिम धन देता है।

(ग) भेदभावपूर्ण व्यवहार जैसी कोई बात नहीं है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों को बेचने की कठिनाई के कारण उन्हें नहीं खरीदता है।

(घ) रिजर्व बैंक ने और केन्द्रीय सरकार ने भी राज्यों को सलाह दी है कि बाजार से केवल उतनी राशि के ऋण जारी करें जितनी राशि की वास्तव में प्रतिभूतियां बिक सकें ताकि प्रारम्भ में अंशदान करने वाले व्यक्तियों के बाद में निराशा में कोई बिक्री न की जाये।

अमरीकी शान्ति कोर के स्वयं सेवक

3258. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में अमरीकी शान्ति कोर के स्वयंसेवकों की गतिविधियों के बारे में कलकत्ता में सुरक्षा आसूचना विभाग से कोई सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड में सिविल निर्माण-कार्य

3259. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के दिल्ली स्थित कारखाने का बड़ा भारी सिविल निर्माण कार्य 1966 से पहले सदा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम को सौंपा जाता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में डी० डी० टी० फैक्टरी का विस्तार करने, अर्थात् लगभग 15 लाख रुपये की लागत से उसकी क्षमता को दुगना अर्थात् 2800 टन प्रति-वर्ष करने से सम्बन्धित सिविल निर्माण-कार्य एक गैर सरकारी ठेकेदार को दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो पहले वाली प्रथा को इस बार बदल देने के क्या कारण हैं; और

(घ) गैर-सरकारी ठेकेदार को ऐसा ठेका देने में कम्पनी ने क्या तरीका अपनाया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। सिविल निर्माण कार्य लगभग 12 लाख रुपये का है।

(ग) 17 अगस्त, 1960 को निदेशकों के बोर्ड ने फैसला किया था कि भविष्य में कम्पनी के निर्माण कार्य प्राइवेट वास्तु शिल्पी (अर्थात आर्किटेक्ट) द्वारा रूपांकित एवं पर्यवेक्षित किये जाने चाहिए तथा या तो विभागीय रूप में तुलनात्मक दरों पर ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित किये जाने चाहिए। यह फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को उच्च विभागीय प्रभार देने पड़ते थे जो $14\frac{1}{4}$ से $17\frac{1}{4}$ प्रतिशत के बीच में होते थे तथा कार्य की गति भी ढीली पाई गई थी। तदनुसार कम्पनी ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को और कोई कार्य नहीं दिया और 1961 में दिल्ली में कुछ निर्माण कार्य के लिए राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम को ठेकेदार के रूप में लगाया गया।

(घ) टेण्डरों के लिए एक प्रेस नोट जारी किया गया था। पेश कर्ताओं के सामने प्राप्त हुए टेण्डरों को खोला गया था और उनका मूल्यांकन किया गया था। एक प्राइवेट ठेकेदार को, जिसका न्यूनतम टैण्डर था, अर्थात् निर्धारित दरों से 37.5 प्रतिशत अधिक था, दूसरे ठेकेदारों के मुकाबले में (जिन में राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम भी शामिल है और जिसकी दर निर्धारित दरों से 120 प्रतिशत अधिक और न्यूनतम टेन्डर पेश करने वाले से 8.80 लाख रुपये ज्यादा था) ठेका दिया गया।

Funds and Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students in Rajasthan

3260. **Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :**

(a) whether Government are aware that the funds and scholarships were awarded to the students and families of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the Social Welfare Department of the State Government directly before the system of Panchayati Raj was introduced in Rajasthan but under the arrangements made by Panchayat Samities and village Panchayats after the introduction of Panchayati Raj, these funds are not being properly utilised for the benefit of these students for the last ten years; and

(b) if so, whether Government propose to form a Committee of M. Ps. to institute an enquiry into this matter ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phul Renu Guha) : (a) Panchayat Samities were entrusted with the work of distribution of scholarships in primary and middle schools. Subsequently, the work relating to distribution of scholarships to students in middle classes was withdrawn from Panchayat Samities and the Education Department has been doing this work. The State Government is re-examining the scheme for scholarships in primary schools, in the light of complaints of delay in disbursements.

(b) This does not appear to be called for.

Subletting of Shops in New Delhi Markets

3261. **Shri P. L. Barupal**
Shri J. B. Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Works Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the shops in the newly constructed markets in the various areas in New Delhi have been sublet on rent by their allottees;

(b) if so, the number of such shops and the localities where they are situated;

(c) the action taken against the persons concerned; and

(d) steps taken to ensure that such irregularities do not occur in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) Instances of subletting of shops do come to the notice of the Government from time to time. Such cases occur not only in the newly constructed markets but also in allottees is not known.

(c) Cases of subletting come to notice when the sublettees approach the Government for regularisation of the shops in their favour or when complaints are received from the various persons. The following action is taken in such cases :-

(i) When a shop is sublet to a third party and the sublettee approach the Government for regularisation, the shop is regularised in favour of the sublettee in accordance with the existing instructions for the Administration of Markets, provided he can establish that he is in occupation of the shop, clears the entire arrears of rent and agrees to pay licence fee equal to the market rent fixed for the shop plus 50% thereof.

(ii) In cases where the Government come to the conclusion that the shop has actually been sublet to a third party, but the sublettee does not approach for regularisation of the shop, the allotment is cancelled and action taken to evict him under the Eviction Act.

(d) Transfer of shops by their occupants to third parties is a normal businees practice and appropriate provision exists in the Instructions for the Administration of Markets.

Rural Industrial Projects

3262. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the principles followed for including any Development Block in the rural industrial project;

(b) the number of such Development Blocks in Madhya Pradesh where this project has been taken up; and

(c) the time by which the essential Development Block areas which have not been included at present in this project would be brought under that project ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library, See No. L.T.-748/67]

उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र

3263. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ग्रामीण तथा नागरीय दोनों क्षेत्रों में इस समय कितने परिवार नियोजन केन्द्र काम कर रहे हैं; और

(ख) 1967-68 में उड़ीसा में कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) 284

(ख) 15

उड़ीसा में आदिम जातीय खंड

3264. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय आदिम जातीय खंडों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1967-68 में उस राज्य में कितने ऐसे खंड खोलने का विचार है; और

(ग) उक्त अवधि में कोरापूत तथा गंजम जिलों (उड़ीसा) में ऐसे कितने खंड खोले जायेंगे ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 75।

(ख) कोई नहीं।

(ग) कोई नहीं।

उड़ीसा के लिये ग्राम्य आवास योजना

3265. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में गांवों में मकान बनाने की योजनाओं के लिये उड़ीसा को कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी;

(ख) उक्त अवधि में इस कार्य के लिये उस राज्य ने वास्तव में कितनी राशि खर्च की; और

(ग) वर्ष 1967-68 में राज्य को इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) प्रथम नौ महीनों में किये गये वास्तविक खर्च और शेष तीन महीनों के लिये अनुमानित खर्च के आधार पर उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार–सन् 1966-67 में उन्हें 1·49 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ग) सन् 1967-68 में आवंटित की जाने वाली राशि के बारे में अन्तिम निर्णय योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के बाद किया जायेगा।

उड़ीसा में भूकम्पीय सर्वेक्षण

3266. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाल ही में कोई भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज कल्याण सम्बन्धी योजनायें

3267. श्री वासुदेवन नायर : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज सुरक्षा की एक व्यापक योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये एक विशेष समिति बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री फूलरेणु गुह) : (क) इस समय सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की मांग

3268. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर होने वाले व्यय की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की पंचवर्षीय योजना में की जाये;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच इस विषय पर सिद्धान्त के रूप में विचार किया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने उसी पत्र में केन्द्र से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार को उस सम्बन्ध में अधिक वित्तीय सहायता दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के पत्र में यह सुझाव दिया गया था कि इस मामले में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त दायित्व को केन्द्रीय आयोजना तथा राज्य की आयोजनाओं के बीच आनुपातिक आधार पर बांट दिया जाय।

(ख) जी, हां। विचार करके पाया गया है कि इस प्रकार के प्रसाशनिक व्यय को केन्द्र अथवा राज्यों की आयोजनाओं में शामिल नहीं किया जा सकता। यह भी सम्भव नहीं है कि अतिरिक्त दायित्व को केन्द्र तथा राज्यों की आयोजनाओं के आकार में कटौती करके केन्द्र तथा राज्यों में बांट लिया जाय, क्योंकि ऐसा करने तथा इस निमित्त केन्द्रीय सहायता देने में कोई अन्तर नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंजूर किये गये बढ़े हुए महंगाई भत्ते के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए कोई सहायता देना केन्द्र के लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि राज्य प्रशासन पर किया जाने वाला खर्च खुद राज्य सरकार को वहन करना होता है।

तीसरी योजना में उड़ीसा का परिवार नियोजन कार्यक्रम

3269. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये तीसरी योजना में उड़ीसा के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) इस प्रयोजना के लिए 1966–67 में उड़ीसा को कितनी राशि दी गई थी और 1967–68 में कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) 76.06 लाख रुपये।

(ख) 75·15 लाख रुपये।

(ग) 1966–67 में दी गई राशि
(1965–66 के 14·62 लाख रुपयों की

बकाया राशि सहित)·····················76·02 लाख रुपये
1967–68 के लिए अब तक आवंटित
की गई राशि·····························91·09 लाख रुपये

उड़ीसा में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

3270. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में अब तक कुल कितने मकान बनाये गए हैं और इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा को अब तक कुल कितना धन नियत किया गया है;

(ख) क्या 1967–68 में उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत और अधिक मकान बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा किन स्थानों में मकान बनाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) इस योजना के अधीन सितम्बर 1952 से 31 मार्च, 1966 तक उड़ीसा में 2922 मकान बनाए गए। इस योजना के अधीन उड़ीसा सरकार को 31 मार्च, 1967 तक 105·84 लाख रुपये की राशि दी गई।

(ख) और (ग) राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना एक अनवरत योजना है और राज्य सरकारों को इस योजना के अधीन औद्योगिक श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है; सन् 1967–68 में इस योजना के अधीन 15 लाख रुपये की व्यवस्था करने का विचार है। स्वीकृत परियोजनाओं और सन् 1967–68 की प्रथम तिमाही में उनकी स्थापना के ब्यौरे उस तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के राज्य सरकार से प्राप्त हो जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे।

Delay in the Execution of Russian-Aided Projects

3271. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 749-A on 6th April, 1967 and state :

(a) whether information has since been received by Government about the causes of delay in respect of the projects undertaken with Russian collaboration;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which they would be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Most of these projects involve complex technology and take fairly long gestation periods.

While some of these projects have already been completed according to schedule, in a few cases there has been some delay due to various fact rs, such a constructon of civil works, procurement of machinery and equipment, etc. The detailed information has, however, not been received in all cases.

(c) A statement will be laid on the Table of the House in the current Session.

Production of Diesel Oil

3272. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroluem and Chemicals** be pleased to state :

(a) the target fixed for the production of Diesel Oil in the Fourth Five Year Plan and whether this target would be su cient to meet the demand;

(b) the estimated total requirement which has been earmarked for agriculture; and

(c) whether Government propose to grant rebate on tax on diesel oil to be utilised for agriculture purposes ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) No targets productwise have been fixed, but the target for refining capacity has been tentatively approved. On the basis of this target, a little over 5 million tonnes of diesel oils (high-speed and light diesel oils) are expected to be produced during the year 1970-71. Then, as during the earlier years of the Plan, the production is estimated to be adequate to meet the demand.

(b) In 1970, the estimated requirements of Light Diesel Oil for pumping sets for agriculture is about 800 000 tonnes and of High Speed Diesel Oil for pumping sets and for tractors for agriculture about 500,000 tonnes.

(c) No such proposal is under Government's consideration at present.

नागार्जुन सागर बांध

3273. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रा० कु० सिंह :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री निहाल सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर बांध को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह बांध कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) नागार्जुन सागर बांध के कार्य में तेजी से प्रगति हो रही है। बांध का स्तर स्पिलवे में ई० एल० 525 से ई० एल० 546 तक, बायें नॉन-ओवरफ्लो सैक्शन में ई० एल० 585 (औसत) और दायें नॉन-ओवरफ्लो सैक्शन में ई० एल० 585 (औसत) हो गया है। कार्यभार के रूप में मेसीनरी और कंक्रीट की कुल अनुमानित मात्रा का 97 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

(ख) बांध का काम, स्पिलवे पुल तथा वास्तुकला सम्बन्धी बातों को छोड़कर, जून, 1968 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

केरल के तट से दूर क्षेत्रों में तेल की खोज

3274. श्री अ० क० गोपालन : श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री राममूर्ति :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963 में केरल के तट से दूर क्षेत्रों में तेल की खोज करने के बारे में परिवहन मंत्रालय से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या कोई-प्रारम्भिक जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अब तक प्राप्त हुए परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हैं।

तटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बारे में रूस के साथ करार

3275. श्री अ० क० गोपालन : श्री राममूर्ति :
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री चक्रपाणि :

क्या पैट्रोलियम और रसायन, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से तकनीशनों की सहायता से हमारे देश के तटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए सोवियत संघ तथा भारत सरकार के बीच दिल्ली में एक करार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) तटवर्ती क्षेत्रों का भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और वी/ओ टैक्नोएक्सपोर्ट, मास्को के बीच एक समझौता हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) कारोमण्डल तट के साथ खम्बात की खाड़ी में कुछ संरचनायें पाई गईं; कुछ अन्य चिन्हों की भी प्राप्ति हुई है, जहां और सर्वेक्षणों की आवश्यकता है।

केरल में सिंचाई परियोजनायें

3276. श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल में आरम्भ की गई छः सिंचाई परियोजनायें कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया गया;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है;

(घ) तीसरी योजना की समाप्ति तक कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ङ) ये परियोजनायें कब पूरी होंगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) छः परियोजनायें ये हैं :

(1) पम्बा

(2) कुट्टियाडी

(3) चित्रुरपुजहा

(4) कांजिरापुजहा

(5) पजहास्सी

(6) काल्लडा ।

(ख) जी हां । साधनों की कठिन स्थिति के कारण ।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 749/67]

गाज़ीपुर ओपीयम एण्ड अलकली वर्क्स के कर्मचारियों की मागें

3277. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मादक पदार्थ आयुक्त को गाजीपुर ओपियम एण्ड अलकली वर्क्स के कर्मचारी संघ से अनुग्रह उत्पादन पुरस्कार के भुगतान, लगभग 56 रिक्त स्थानों के भरने तथा उस कारखाने में विभिन्न पदों के वर्गीकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) कर्मचारियों को उत्पादन पुरस्कार नहीं दिया गया, क्योंकि पुरस्कार देने के लिए निर्धारित उत्पादन-प्रतिमानों की अफीम वर्ष 1965-66 में पूर्ति नहीं हुई थी।

कारखाने में रिक्त पदों को भरने तथा विभिन्न पदों के वर्गीकरण के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पोर्ट केनिंग के निकट छिद्रण कार्य

3278. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 परगना (पश्चिम बंगाल) से पोर्ट केनिंग के निकट बोदरा में छिद्रण कार्य हर प्रकार सन्तोषजनक रूप से चल रहा है ;

(ख) क्या अपेक्षित शक्ति का बहिर्धमन निवारक उपकरण न होने के कारण कोई कठिनाई रही है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि आवश्यक उपकरणों के न होने के कारण इस क्षेत्र में छिद्रण कार्य रुक न जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख) बहिर्धमन निवारक उपकरण के कुछ भागों में टूट फूट के कारण छिद्रण कार्य को लगभग 4 महीनों तक बन्द कर दिया गया।

(ग) बहिर्धमन निवारक उपकरण के मरम्मत से छिद्रण कार्य को पुनः शुरू कर देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उड़ीसा में आयकर सम्बन्धी काम का भार

3279. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दस वर्षों में उड़ीसा राज्य में आयकर निर्धारण तथा अपीलों का काम बहुत बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में एक पृथक आयकर ज़ोन बनाने की मांग की गई है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथा सम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) उड़ीसा के लिये एक अलग आयकर आयुक्त की नियुक्ति की मांग की गयी है।

(ग) इस प्रस्ताव पर 1964 में विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि राजस्व तथा कार्य-भार को देखते हुए उड़ीसा के लिए आयकर आयुक्त के अलग कार्य-क्षेत्र के निर्माण को उचित नहीं कहा जा सकता। पिछले वर्ष फिर इस मामले की समीक्षा की गयी थी। यह निश्चय किया गया था कि सभी प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर आगे विचार अधिक उपयुक्त समय पर किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र

3280. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कितने रोगियों के लिये व्यवस्था है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन केन्द्रों को 1966-67 में कुल कितनी राशि के ऋण अथवा अनुदान दिये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 कुष्ठ रोग निवारण यूनिट और 30 सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र काम कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से 5 कुष्ठ रोग निवारण यूनिट स्थापित किये गये हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश में प्रत्येक यूनिट से 1,800 से 2,000 कुष्ठ रोगियों तक का पता लगाने तथा उनका उपचार करने की आशा की जाती है।

(ग) पंचवर्षीय योजना में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, जिनमें कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम भी शामिल है, 1966-67 में उत्तर प्रदेश सरकार को 161.27 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। कुष्ठ रोग निवारण केन्द्रों के लिये विशेष रूप से स्वीकृत की गई राशि बताना संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों की सहायता योजना वार नहीं अपितु सभी योजनाओं के लिये एक मुश्त दी जाती है ?

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले पांच यूनिटों के लिये विशेष रूप से 1966-67 में 64,250 रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था।

गांवों में बिजली लगाना

3281. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है और वर्ष 1967 की समाप्ति तक कितने और गांवों में बिजली लगाई जाने की संभावना है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के गांवों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत गांवों में बिजली लगाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) 31 मार्च, 1967 को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बिजली लगाये गये गांवों की संख्या उनकी प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 750/57]

1967-68 में गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

मद्रास राज्य की मिट्टी के तेल की आवश्यकता

3282. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य की मिट्टी के तेल की सामान्य मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) वितरण के लिये इस समय तेल की कितनी मात्रा दी जाती है ; और

(ग) मद्रास राज्य की मिट्टी के तेल की सामान्य मांग पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अप्रैल, 1966 से मार्च, 1967 के दौरान राज्य में मिट्टी के तेल की वास्तविक बिक्री प्रतिमास 19 600 मीटरी टन हुई, अतः यही राज्य की आवश्यकता मान ली जाये।

(ख) वर्तमान कोटा प्रतिमास 21,400 मीटरी टन है।

(ग) मांग की पूर्ति के लिये वर्तमान आवंटन पर्याप्त प्रतीत होता है।

भारत में खाद्य अपमिश्रण के मामले

3283. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1966 से अब तक प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में खाद्य पदार्थों में अप मिश्रण के मामलों में कितने मुकदमे चलाये गये ;

(ख) कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या क्या तथा कितना-कितना दण्ड दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

Orphanages Run by Christian Missions

3284. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the amount of monthly or annual assistance given by Government to the orphanages run by the Christian missions during 1965-66;

(b) the number of children, community-wise, living in the Government-aided orphanages; and

(c) whether Government are aware that these orphans are imparted compulsory Christian education; and

(d) if so, whether this is being done in accordance with Government policy ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

विदेशों से कारें लाने वाले अधिकारी

3285. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से मोटर गाड़ियां लाने वाले सरकारी अधिकारियों को सीमा शुल्क नही देना पड़ता ;

(ख) यदि हां, तो इस बात के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों से सरकारी अधिकारी ऐसी कितनी कारें तथा अन्य मोटर गाड़ियां भारत में लाये, जिन पर सीमा शुल्क नहीं लिया गया ;

(घ) उक्त अवधि में इन कारों आदि को लाने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ङ) इन अधिकारियों ने ऐसी कितनी कारें भारत में 3–4 वर्ष से अधिक समय तक पास रखीं और कितनी कार एक वर्ष के बाद बेच दी गई ;

(च) क्या सरकार को पता है कि ये अधिकारी इन कारों को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं; और

(छ) क्या सरकार का विचार भारत में ऐसी मोटर गाड़ियों के विक्रय मूल्य पर नियंत्रण लगाने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) यह सत्य नहीं है कि विदेशों से मोटर गाड़ियां लाने वाले सभी कर्मचारियों को सीमा–शुल्क नहीं देना पड़ता है । विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के मुख्य अधिकारियों को ही अपनी नियुक्ति की समाप्ति पर वापस भारत आते समय अपनी व्यक्तिगत मोटर कारों पर शुल्क की अदायगी से छूट दी जाती है, जिसमें शर्त यह है कि मोटर कारें उनके वापस भारत आने से कम से

कम दो महीने पहले से विदेश में उनके पास रही हों और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती रही हों ।

(ग) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(च) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है परन्तु देश में वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव है कि जब ऐसी कारें बेची जाएंगी तो उनके ऊंचे दाम मिलेंगे ।

(छ) इस प्रकार की गाड़ियों के विक्रय-मूल्य पर पाबन्दियां लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

समाज सेवा अनुसंधान कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्विति के लिए स्वायत्तशासी निकाय

3286. श्री श्रीधरन : श्री विश्वम्भरन :
श्री कामेश्वर सिंह : श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने देश में समाज सेवा अनुसंधान कार्यक्रमों की समूची आयोजना के लिए तथा कार्यान्विति के लिये एक स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने की स्थापना करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) समाज विज्ञान अनुसंधान सम्बन्धी समिति ने देश में समाज विज्ञान अनुसंधान के लिये एक परिषद स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तरिम सिफारिश की थी । योजना आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले इस समिति के पूरे प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा है ।

दामोदर घाटी योजना

3287. श्री कामेश्वर सिंह : श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री श्रीधरण : श्री जि० ब० सिंह :
श्री निहाल सिंह ;

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम बांध की बिजली पैदा करने की अनुमानित क्षमता कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस गिरावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस बात के लिये कि जलाशयों के तलों में मिट्टी अधिक न बैठने पाये, भूमि संरक्षण सम्बन्धी गहन उपाय किये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात

3288. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में विक्रय कार्यालय खोलने के बाद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा समय सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

मंत्रियों के बंगलों में बिजली के मीटर

3289. श्री अब्दुल गनी दार :
श्री आत्म दास :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रियों के निवास स्थानों में एक से अधिक मीटर लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने निवास स्थान ऐसे हैं जहां एक से अधिक मीटर लगे हुए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन अतिरिक्त मीटरों के लिये बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करना पड़ता;

(घ) किसी मंत्री के निवास स्थान पर प्रति मास अधिक से अधिक कितनी बिजली की छूट मिलती है; और

(ङ) क्या कारण है कि मंत्रियों को अतिरिक्त मीटरों के लिए बिलों का, जो दो सौ रुपये प्रति मास से अधिक राशि के होते हैं, भुगतान नहीं करना पड़ता ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जिन मंत्रियों के यहां एक से अधिक मीटर लगे हुए हैं उनकी संख्या 46 है।

(ग) से (ङ) मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक मंत्री पानी और बिजली सहित निशुल्क सज्जित वास पाने का अधिकारी है। मंत्री स्वेच्छा से सहमत हो गये हैं कि उन्हें जो वास आवंटित हैं, उनमें पानी और बिजली के व्यय की सीमा 2400 रु० प्रति वर्ष हो। यदि इस सीमा से अधिक व्यय हो तो 1964-65 के वर्ष से वे क्षतिपूर्ति को तैयार हैं। यह सीमा केवल वास के "निजी हिस्सों" पर ही लागू होती है जिसमें नौकरों के क्वार्टर और धोबी घाट सम्मिलित हैं। वासों के "सरकारी हिस्से" में जिनमें सुरक्षा द्वार की बत्तियां तथा गार्ड रूम शामिल हैं, का व्यय सरकार उठाती है।

अमरीकी सहायता

3290. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० प्रधानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में भारत को अमरीका से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) यह सहायता किस प्रकार तथा किन परियोजनाओं के लिये प्रयोग में लाई गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मांगी गयी सूचना का विवरण अनुबन्ध 1 के रूप में इसी के साथ लगा हुआ है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 751/67]

हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी को लाभ

3291. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री स० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी को कुल कितना लाभ हुआ; और

(ख) क्या 1966-67 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा हो चुका है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पिछले तीन महीनों में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी को हुए लाभ का निर्धारण फैक्टरी के 1966-67 के लेखों को अन्तिम रूप देने के बाद ही किया जा सकता है।

(ख) वर्ष 1966-67 में उत्पादन 1.43 करोड़ रुपए का हुआ था, जबकि अनुमान 1.77 करोड़ रुपए के उत्पादन का लगाया गया था। इस कमी का मुख्य कारण यह था कि जनवरी, 1967 में कामगारों ने 25 दिन की सिट डाऊन/टूल डाऊन स्ट्राइक की थी और बाद में उत्पादन की गति धीमी हो गई।

उड़ीसा की अर्थोपाय स्थिति

3293. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ल० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को अपनी अर्थोपाय स्थिति सुधारने के लिये 1966–67 में कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) गत वर्ष उड़ीसा सरकार को कुल 12 करोड़ 70 लाख रुपये की अर्थोपाय सहायता दी गई थी। इसमें से 3 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि, जो कि जून, 1966 में दी गई थी, वर्ष 1966–67 में ही वसूल हो चुकी थी, शेष 9 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि में से जो 31 मार्च, 1967 को दी गई थी कुछ राशि इस वर्ष वसूल की जायेगी और कुछ राशि अगले वर्ष।

Civilian State in Office of Controller General of Defence Accounts

**3294. Shrl Hukam Chand Kachwai : Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Y S. Kushwah :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of Civilian Clerks working in the Southern, Western, Eastern and Central Commands in the office of the Controller-General of Defence Accounts;

(b) the number of persons recruit d since December, 1965; and

(c) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates among them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) In addition to the Command Offices mentioned in the question the Controller General of Defence Accounts has under his control other Controllers of Defence Accounts dealing with Navy, Air Force, Factories, Pensions etc. The total number of Civilian Clerks in all these offices as on 1st April, 1967 was 19,161;

(b) 1,987; and

(c) Scheduled Castes ... 276
Scheduled Tribes ... 25

ट्रैक्टरों पर आयात शुल्क

3295. श्री अटल बिहारी बाजपेयी : श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बलराज मधोक : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने उनसे प्रार्थना की है कि उन ट्रैक्टरों पर आयात शुल्क न लिया जाये, जो विदेशों में काम करने वाले पंजाबियों द्वारा अपने सम्बन्धियों को उपहार स्वरूप भेजे जाते हैं; और

(ख) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से यह भी अनुरोध किया है कि राज्य सरकार के स्तर पर ट्रैक्टरों का आयात करने की अनुमति दी जाये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) ऐसी कोई प्रार्थना मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि केवल खेती के लिये आयात किये गये ट्रैक्टरों पर आयात शुल्क नहीं लगाया जाता ।

राजघाट नई दिल्ली के निकट राष्ट्रीय पार्क

3296. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री बलराज मधोक :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नई दिल्ली में राजघाट के निकट एक राष्ट्रीय पार्क के विकास के लिये एक करोड़ रुपये की लागत की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक योजनेतर व्यय करने के क्या कारण हैं, जबकि चहुं ओर मितव्ययता करने की बहुत अधिक आवश्यकता है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बहुत कीमती योजना पर पुनर्विचार करने अथवा उसे समाप्त करने का विचार किया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आर० आर० एम० काफी हाउस, नई दिल्ली

3297. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री बलराज मधोक :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली स्थित पी० आर० आर० एम० काफी हाउस के कर्मचारियों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि काफी हाउस के लिये एक छतरी-नुमा इमारत का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाये;

(ख) क्या समिति ने खर्च में हिस्सा बटाने की भी पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। पहले यह निर्णय किया गया था कि कनाट प्लेस में एक अस्थायी ढांचा बनाया जाए और उसे पी० आर० आर० एम० काफी हाउस चलाने के लिए इण्डियन काफी वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटिड को किराये पर दे दिया जाए। परन्तु नई दिल्ली नगरपालिका की ओर से इस योजना पर आपत्ति किए जाने पर इस प्रस्थापना को छोड़ दिया गया। अब संस्था को नगरपालिका के परामर्श से अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करने की सलाह दी गई है।

नकली तथा बेकार गर्भ निरोधक सामग्री

3298. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में, विशेषकर बम्बई के बाजार में, नकली तथा बेकार गर्भ निरोधक सामग्री बड़े पैमाने पर बिक रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : जी नहीं। सूचित किये गए कुछ मामलों में औषधि कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में रोकी हुई भूमि पर खेती

3299. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि रोकी हुई भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ने दिल्ली के लैफ्टीनेंट गवर्नर को यह प्रस्ताव किया है कि

दिल्ली की ऐसी रोकी हुई भूमि पर, जिसकी किसी अन्य योजना को कार्यान्वित के लिए तत्काल जरूरत नहीं है, अस्थायी रूप से काश्तकारी करने की अनुमति दी जाए।

(ख) सरकार ने अभी तक 25,000 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया है। इसमें से 24,000 एकड़ भूमि विभिन्न एजेंसियों को एलाट कर दी गई है। शेष भूमि वृहद् योजना के अनुसार 'ग्रीन' है और इस पर काश्तकारी शुरू करने की योजना विचाराधीन है।

आयकर विभाग में न्यायिक तथा कार्यकारी कृत्यों को पृथक-पृथक करना

3300. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में एक ही अधिकारी को अर्थात आयकर आयुक्त को न्यायिक तथा कार्यकारी दोनों ही शक्तियां प्राप्त हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सहायक आयकर आयुक्त पर प्रशासनिक नियंत्रण आयकर आयुक्त का होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अपक्षपात न्याय सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार न्यायिक तथा कार्यकारी अधिकारियों को पृथक-पृथक नियुक्त करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। आयकर आयुक्त आयकर विभाग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वह अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा तक ही न्यायिक कर्तव्यों का पालन करता है, उदाहरण के लिये यह नजरसानी की दरख्वास्तों को निपटाने का न्यायिक कर्तव्य करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। आयकर अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय सहायक आयुक्त को अपील करने और अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील करने की कानून में पहले से ही व्यवस्था है। अपीलीय सहायक आयुक्तों को अपने अपीलीय कर्तव्य पालन की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है और ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का आयुक्त को तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, विधि मंत्रालय के अधीन एक स्वतन्त्र न्यायिक संस्था है।

पनाशी बांध

3301. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संथाल परगणा में पनाशी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में प्रारम्भिक काम पहली पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस परियोजना के काम में और कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उस परियोजना को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अजय नदी (संथाल परगना) पर पनाशी बांध योजना के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन मार्च, 1967 में प्राप्त हुआ था और इस पर तकनीकी रूप से विचार किया जा रहा है। यह परियोजना अभी मंजूर नहीं हुई है।

नागार्जुन सागर बांध को केन्द्रीय सरकार के अधिकार में लेना

3302. **श्री पार्थसारथी** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि केन्द्रीय सरकार कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर-परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में अपने अधिकार में ले ले; और

(ख) यदि हां तो नागार्जुन सागर परियोजना को केन्द्रीय परियोजना के रूप में स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला अभी विचाराधीन है।

तेल निकालने के लिये इटली की फर्म एस० एन० ए० एम० के साथ करार

3303. **श्री स० कुण्डू** : **श्री हेम बरुआ** :
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री श्रीनिवास मिश्र** :
श्री नाथ पाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत में तेल के कुएं खोदने तथा उनसे तेल निकालने के लिये इटली के ई० एन० आई० फर्म ग्रुप की एक फर्म मैसर्स एस० एन० ए० एम० के साथ कोई करार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन करारों पर कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा खर्च होगी; और

(ग) इन करारों के अन्तर्गत तेल के कितने कुएं खोदे गये हैं और वे कहां-कहां पर खोदे गये हैं तथा इस खुदाई कार्य का क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने स्नाम स्पा के साथ देश के अन्दर अधत

के लिए दो करार और खम्भात की खाडी में अतटीय व्यधन के लिए एक करार किया है ।

(ख) इन दो करारों के अन्तर्गत देश के अन्दर व्यधन के लिए निम्नलिखित अदायगी की गई है ।

विदेशी मुद्रा	रुपये
85,94,712,00 डालर	1,36,69,838.00

अतटीय व्यधन के करार में विदेशी मुद्रा में 4.999 मिलियन डालर तथा भारतीय मुद्रा में 27 लाख रुपये की अदायगी की व्यवस्था थी । किन्तु कोई व्यय नहीं किया गया, क्योंकि करार अन्त में रद्द कर दिया गया था ।

(ग) पहले दो ठेकों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में चार कुएं व्यधित किये गये किन्तु इन कुओं में तेल या गैस का कोई संचय नहीं मिला । फिर भी, महत्वपूर्ण स्थान मण्डल (Valuable sub-surface) भूगर्भीय सूचना मिली थी जो इस विस्तृत प्रदेश में तेल । गैस के पूर्वेक्षण के भविष्य अध्ययन के लिए सहायक होगी । उपर्युक्त कारण से तीसरे ठेके के अन्तर्गत अतटीय व्यधन से सम्बन्धित कार्य को हाथ में नहीं लिया जा सका ।

इड्डिक्की पन-बिजली परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा

3304. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री म्रादिचन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इड्डिक्की पन-बिजली परियोजना को औजार तथा उपकरण प्राप्त करने के लिये कनाडा द्वारा दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त कुछ और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस कार्य के लिये अपेक्षित अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का प्राक्कलन केरल बिजली बोर्ड तैयार कर रहा है । इस बोर्ड से प्राक्कलन मिलने पर इस आवश्यकता को पूरी करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

3305. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 के लिये नियत की गई 98 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से उड़ीसा के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) यह अतिरिक्त राशि किन योजनाओं पर व्यय की जायेगी; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 98 करोड़ रुपये की इस राशि में से 38 करोड़ रुपये राज्यों की योजनाओं के लिये हैं। 38 करोड़ रुपये अभाव-ग्रस्त राज्यों की सहायता के लिये नियत है और 5 करोड़ रुपये सहकारी भू-बन्धक बैंकों के ऋण पत्र खरीदने के लिये हैं जैसा कि संसद के समक्ष रखे गये केन्द्रीय आय-व्ययक के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुपूरक में संकेत दिया गया था।

55 करोड़ रुपये की योजना सहायता में से 2 करोड़ रुपये उड़ीसा राज्य के लिये नियत किये गये हैं। कमी के लिये (स्केयरसिटी) राहत सहायता का वितरण इस बात पर निर्भर करेगा कि समय-समय पर कितनी आवश्यकता पड़ती है और राज्य-वार नियतन पहले नहीं किया जा सकता। जहां तक भू-बन्धक बैंकों के लिये 5 करोड़ रुपये की राशि का सम्बन्ध है, अब तक कोई राज्य-वार वितरण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त योजना सहायता, जिसका ऊपर संकेत दिया गया है, समूची तौर पर राज्य योजना के लिये हैं और किन्हीं विशेष योजनाओं से सम्बन्धित नहीं है।

Smuggling of Mica to Pakistan and China.

3306. Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Finance be pleased to state;

(a) whether it is a fact that mica is smuggled from India to Pakistan and China annually;

(b) whether it is also a fact that this mica is smuggled through Bihar-Nepal border, because there is no import duty on mica there;

(c) if so, the number of persons against whom action has been taken by Government in this regard and the nature of action taken during the last one year;

(d) the value of the mica recovered during the last one year; and

(e) the steps taken to stop this smuggling ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) and (b) As far as the Government are aware, there is no such smuggling of mica.

(c) Does not arise.

(d) During the last one year no mica has been seized while being smuggled to Pakistan or China.

(e) Does not arise.

Ban On Brothels in Union Territories

3307. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Social Welfare be pleased to state;

(a) the number of persons arrested for running brothels in the Union Territories in 1965—66;

(b) the steps so far taken to stop prostitution in the Union Territories; and

(c) the steps Government propose to take to ban the brothels altogether ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Black-Listing of Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (Pvt.) Ltd.

3308. Shri P. L. Barupal :
Shri Mudrika Singh :

Will the minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state;

(a) whether a black-listed firm continues to be black-listed even in spite of the fact that a Court honourably acquits it of all the offences with which it was charged and ordered for suspension of its black-listing;

(b) whether there is any time-limit to keep a firm black-listed; and what are the principles governing the black-listing of a firm; and

(c) whether the firm of M/s Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (Pvt.) Ltd. Bombay still continues to be black-listed when the Bombay High Court has honourably acquitted it ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) A blacklisting order remains in force until it is revoked. If a firm is acquitted by a Court of the offences on account of which the blacklisting orders were passed, this would be a ground for considering the revocation of blacklisting order. If the operation of an order of blacklisting is suspended by the Court, it would be held in abeyance.

(b) No time limit has been fixed for the duration of blacklisting; the period is fixed on the facts of each case. Blacklisting may be ordered on the ground of malpractices in dealings with Government departments or undertakings.

(c) In July 66, the Punjab High Court directed the suspension of the order dated 25-1-1964 blacklising M/s Bharat Barrel & Drum Manufacturing Co. (P.) Ltd. until further orders. The blacklisting order has, therefore, been held in abeyance.

इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिये ढोल

3309. श्री रामधन :
श्री न० कु० सालवे :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने सीधे टेंडर संख्या ओ० पी० टी ई एन–7–1–65 के द्वारा वर्ष 1966–67 के लिये अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये तेल के ढोलों की सप्लाई के टेंडर मांगे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बताये गये मूल्य कम थे। उपरोक्त टेण्डर के अनुसार ढोलों की सप्लाई के लिये क्रयादेश मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को ही दिये गये;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) अधिक मूल्य पर क्रयादेश देने के कारण इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त टेंडर के अनुसार उक्त दोनों फर्मों ने इण्डियन आयल कारपोरेशन को हाट रोल्ड चादरों से बने हुए ढोल सप्लाई किये और उक्त कारपोरेशन से कोल्ड रोल्ड से बने हुए ढोलों के दाम लिये; और

(च) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता की आवश्यकताओं के लिये मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को क्रयादेश, जिन के लिये उन्होंने न्यूनतम दर पेश किये थे, दिये गये थे। बम्बई की आंशिक आवश्यकताओं के लिये मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम्ज् एण्ड बैरल्ज् मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को क्रयादेश, जिन के लिये उन्हीं का दूसरा न्यूनतम टैण्डर था, दिये गये थे, मैसर्स भारत बैरल्ज् के दर न्यूनतम थे;

(ग) बिड्स (bids) के तमाम पहलुओं पर ध्यानपूर्वक सोच विचार के पश्चात् भारतीय तेल निगम ने बम्बई की आवश्यकताओं के लिये मैसर्ज स्टैण्डर्ड ड्रम्ज् एण्ड बैरल्ज् मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी एवं दो अन्य प्रदायकों को क्रयादेश दिये।

(घ) भाग (ग) में दिये गये निर्णय के फलस्वरूप 1.77 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्चा हुआ।

(ङ) और (च) : भारतीय तेल निगम द्वारा मामले की जांच हो रही है। वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स जयन्ती शिपिंग कम्पनी के डा० धर्म तेजा

3310. श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री वाल्मीकी चौधरी :
श्री शिवचंडिका प्रसाद :

क्या वित्त मन्त्री 30 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी के डा० धर्म तेजा, पर प्रति वर्ष कितना धन कर तथा आय कर लगाया गया तथा उनसे इन करों की कितनी रकम वसूल की गई;

(ख) क्या उसकी चल और अचल सम्पत्ति तथा उसकी आय के मूल स्त्रोत का पता लगाने के बारे में कोई जांच की जा रही है; और

(ग) जयन्ती शिपिंग कम्पनी की आय, व्यय, लाभ और हानि के विवरण तथा वार्षिक सन्तुलन पत्र किन-किन अवधियों के तैयार किये गये तथा प्रकाशित किये गये हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) धन कर के बारे में अनन्तिम कर-निर्धारण किया जा चुका है। निर्धारित धनकर की राशि तथा वसूली का विवरण नीचे लिखे अनुसार हैं:—

वर्ष	लगाया गया कर	वसूल कर
	रु०	रु०
1962-63	22,880	22,880
1963-64	1,27,951	1,27,951
1964-65	2,60,802	2,38,122
1965-66	2,60,802	2,60,802

धनकर के नियमित निर्धारण की कार्यवाही अभी होनी है। जहां तक आयकर का सवाल है अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जयन्ती शिपिंग कम्पनी के 31-3-1962, 31-3-1963, 31-3-1964 तथा 31-3-1965 को समाप्त वित्तीय वर्षों के तल-पट तथा हानि-लाभ के लेखे प्रकाशित किये जा चुके हैं।

Counterfeit Coins

3311 Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that counterfeit fifty-paise coins bearing the head of the former Prime Minister, Shri Nehru, are in circulation;

(b) if so, the steps taken to trace the gang responsible for the circulation of these coins; and

(c) the places from where such coins are being brought for circulation and the persons involved ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) A few cases of counterfeit coins have been detected, but their number is insignificant compared to the total number of genuine coins in circulation.

(b) Counterfeiting of coins is an offence under the Indian Penal Code and investigations and prosecutions for such offences are launched by the Police which under entry

2 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution is a State subject. In the cases referred to in (a) above action has been or is being taken by State Governments.

(c) The places from which such coins are being brought is not known; but the cases were detected mostly in the States of Bihar, Assam, West Bengal & Uttar Pradesh.

दिल्ली में टाइप दो और टाइप तीन के क्वार्टरों में वाशबेसिन

3312. श्री तुलसीदास जाधव : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में टाइप दो और टाइप तीन के सरकारी क्वार्टरों में वाशबेसिन नहीं लगाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन क्वार्टरों में यह सुविधा प्रदान करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री, (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : टाइप दो और तीन के क्वार्टरों में वाशबेसिन नहीं लगाए गए हैं । किसी भी मकान में सेनिटरी और पानी सप्लाई के सामान आदि पर आने वाला खर्च उस मकान की कुल लागत के $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक ही किया जाता है । यह राशि इतनी कम है कि छोटे दर्जे के मकानों में वाशबेसिन लगाने की लागत इससे पूरी नहीं की जा सकती ।

L. I. C. Loans

3313. Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sradhakar Supakar :

Will the **Minister of Finance be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that big industrialists are able to get loans from the Life Insurance Corporation easily as compared to smaller ones ;

(b) if so, the amount of loans given to Birla, Tata and Dalmia group of Industries during the last three years and the terms of the loans ; and

(c) the steps taken by Government to enable the small industrialists to get the loans from the Life Insurance Corporation, easily

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Loans are given on the merits of the applications irrespective of the fact whether these are made by the big industrialist or the smaller ones.

(b) Details of the loans given to three business groups during the last three years ending on 31st March, 1967 are given below :

Business Groups	Amount of loan sanctioned (Rs. in lakhs)	Amount of loans disbursed (Rs. in lakhs)	Principal terms & conditions Interest	Period years
1. Birla	550.00	43.50	9% per annum, reducible to 8% on prompt payment.	13
2. Tata	70.00	70.00	do	15
3. Dalmia	Nil	Nil	—	--

(a) . Does not arise in view of the reply given to part (a) above.

Rural Electrification in Madhya Pradesh

3314. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the total amount of assistance given by Government to the Madhya Pradesh Government so far for making available power for electrification and operating pumping sets in rural areas of the State ;

(b) the number of villages electrified ; and

(c) the number of pumping sets for which power was made available with the help of Central assistance ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) (a) : During the last three Plan periods, financial assistance to the Government of Madhya Pradesh for Rural Electrification by way of loans :

		Rs. in lakhs
I Plan	For extension of power	48.50
II Plan	facilities to increase employment	40.00
III Plan	opportunities	611 83

In 1966-67, a loan assistance of Rs. 175 lakhs was sanctioned.

(b) and (c) The number of villages and pumping sets electrified in Madhya Pradesh up to 1966-67 (31-3-1967) are shown below :

Villages electrified	1,359
Pumping sets energised	6,200

Vishvayatan Yogashram, New Delhi

3315. **Shri Raghuvir Singh Shastri**　**Shri Molahu Prasad :**
Shri Prakash Vir Shastri :　**Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Shiv Kumar Shastri :　**Shri Ram Singh Ayarwal**
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state .

(a) whether a Government Building on Jantar Mantar Road, New Delhi was rented out to Vishvayatan Yogashram many years ago ;

(b) whether his ministry got that building vacated about 2 years back, as rent for the same had not been paid for several years and some bungling had been detected in respect of the grant given by them to the Ashram ;

(c) whether this Ashram has cleared off arrears of rent after receiving fresh grant last year ; and

(d) if not, the the action taken by Government to recover the rent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) (i) Yes.

(ii) In view of the gross mis-management of funds and wasteful expenditure by the Yogashram authorities, the Ministry of Education discontinu d the grants to the Yogashram after November 1964. Grant was, however, revived in the year 1966-67 after that Ministry was satisfied with the management of the affairs and accounts of the Ashram.

(c) The Ashram has cleared the arrears of rent in November, 1965, even before receiving fresh grants last year.

(d) Does not arise.

Smuggling of Spirit

3316. Shri Bramhanandji :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 11 drums of spirit were recovered from a car coming from U. P. to Delhi on the 1st June, 1967 ;

(b) if so, the place from where that spirit was being brought ; and

(c) the number of persons against whom action has been taken by Government in this connection and the nature of action taken ?

The Minister of State in The Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) Yes.

(b) Meerut (U. P)

(c) A case has been registered by the Delhi Police against one person under Sub-Section (1) of Section 61 of the Punjab Excise Act, 1914, in force in Delhi State.

उर्वरक संयंत्र

3318. श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि बिडला समूह ने सरकार को सूचित किया है कि एल्यूमिनयम पर लगे अत्यधिक उत्पादन शुल्क को दृष्टि में रखते हुए उनके लिये उर्वरक संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पेन्शन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मंहगाई भत्ता

3319. श्री म० ला० सौंधी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :
डा० रानेन सैन :
श्री मेघ चन्द्र :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा निवृत्ति के समय मिलने वाले अन्तिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत भाग पेन्शन के रूप में देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से लागू होगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन पेन्शनरों को, जिन्हें मंहगाई भत्ता नहीं मिलता, कुछ मंहगाई भत्ता देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : 1-10-1963 से मंजूर की गई एतदर्थ वृद्धियों के अलावा पेंशन-भोगियों को महंगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है । साधनों की स्थिति के कारण इस किस्म के अतिरिक्त दायित्व उठाना संभव नहीं है ।

Arrests by Central Customs Officials

3320. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Srinibas Misra :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Customs officials have apprehended 113 persons proceeding towards Persian Gulf without passports.

(b) whether the purpose of their travelling in this manner has been ascertained from them;

(c) if so, the details in this regard ; and

(d) the action taken against the said persons ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) on 29th May, 1967 a mechanied craft of Indian registration was detained by the Central Excise officers at Bassein (Bombay). It is suspected that this craft was about to sail unauthorisedly for the Persian Gulf area. 105 passengers and 8 crew members of the craft were arrested by the police authorities for alleged violation of the passport regulations,

(b) to (d) The police and customs authorities are conducting further investigations in the matter.

दिल्ली में गर्भ निरोधक सामग्री की कमी

3321. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री आत्म दास :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रूढिगत गर्भ–निरोधक सामग्री की ऋण सप्लाई कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) दिल्ली में केवल कण्डोमों की थोड़ी सी कमी है ।

(ख) मानक-स्तर के देश में तैयार किये गए कण्डोम अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भारत सरकार ने विदेश से कण्डोमों के आयात करने की व्यबस्था की है और आशा है कि नियमित सप्लाई की शीघ्र ही व्यवस्था कर दी जाएगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में पश्चिम बंगाल के लिये धन का नियतन

3322. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री रमानी :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में पश्चिम बंगाल के लिए कितनी रकम नियत की गई थी ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में पश्चिम बंगाल को इस रकम में से वस्तुतः कितनी रकम दी गई ?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 31 करोड़ 30 लाख रुपये।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Systems of Medicine

3324. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on Allopathic, Ayurvedic and Unani systems of medicine separately, during the last 20 years ;

(b) the number of institutions opened for imparting education in Allopathic and Ayurvedic systems of medicine so fatr separately ; and

(c) whether it is fact that the Ayurvedic System of Medicine is cheaper and more effective than the Allopathic System of Medicine and if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to promote the Ayurvedic System of Medicine ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a) The available information is given in the attached statement. **[Placed in Library, See no. LT. 752/67].**

(b) The total number of medical institutions imparting allopathic education is 90, while for Ayurveda there are 101 such institutions.

(c) The Ayurvedic System is considered to be cheaper than the Allopathic System, but whether it is more effective is a matter of opinion, With a view to encouraging the Ayurvedic System, the under-mentioned allocations have been made in the various Five-Year Plans for the development of research, training and education in indigenous systems of medicines, including Ayurveda :-

Plan	Allocation (Rs, in crores)
First Plan	0.40
Second Plan	4.00
Third Plan	9.80

सरकारी क्वार्टर

3325. श्री म० ला० सोंधी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 से 1967 तक की अवधि में सरकारी क्वार्टरों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ख) इस राशि का कितना भाग टाइप 5 तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के क्वार्टरों के निर्माण पर तथा कितना भाग टाइप 1 से टाइप 4 तक के क्वार्टरों के निर्माण पर खर्च किया गया ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है, और एकत्रित हो जाने पर वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में होस्टलों में रहने का स्थान

3326. श्री म० ला० सोंधी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में होस्टलों में रहने का स्थान जो बिल्कुल अस्थायी होता है, और जो अत्यन्त आवश्यकता वाले कर्मचारियों को अलाट करने के लिये होता है, कुछ अधिकारियों को अस्थायी तौर पर दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ख) : होस्टलों में रहने का स्थान ऐसे सरकारी अधिकारियों को दिया जाता हैं, जिन्हे शीघ्र ही नियमित वास मिल जाने की संभावना हो, परन्तु उन्हें अस्थायी वास की अत्यधिक आवश्यकता हो और उन्होंने अस्थायी अवधि के लिए आवेदन किया हो । यदि ऐसे अधिकारियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद होस्टलों में कोई स्थान शेष बच जाए, तो वह अन्य जरुरतमन्द सरकारी अधिकारियों को एलाट कर दिया जाता है और नियमित वास प्राप्त करने पर उन्हें वह स्थान तत्काल खाली कर देना होता है ।

तम्बाकू उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन

3327. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) तम्बाकू उत्पादकों से वर्ष 1964–65, 1965–66 तथा 1966–67 में राज्यवार कितना शुद्ध राजस्व प्राप्त हुआ तथा उन उत्पादकों को ऋण और बढ़िया बीजों के रूप में राज्यवार क्या–क्या सुविधायें दी गई ;

(ख) क्या तम्बाकू के लिये मानक मूल्य निर्धारित करने तथा इस बात को देखते हुए कि साधारणतया तम्बाकू के व्यापारियों तथा निर्यातकों द्वारा बहुत अधिक मुनाफा कमाया जाता है, बेचने योग्य सारे तम्बाकू को राज्य व्यापार निगम अथवा भारतीय खाद्य निगम जैसे अन्य निकायों के माध्यम से इकट्ठा करने का सरकार का विचार है ;

(ग) तम्बाकू उत्पादकों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या प्रोत्साहन देने का विचार हैं ; और

(घ) वर्ष 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के तम्बाकू उत्पादकों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(घ) पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले के तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों से 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में प्राप्त राजस्व नीचे दिया गया है :

कूच-बिहार जिले के तम्बाकू उगाने वाले किसानों से वसूल किया गया राजस्व

वर्ष	रुपये
1964-65	2146
1965-66	3313
1966-67	2640

Manufacture of Counterfeit Notes in Bangalore

3328. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether four persons were arrested at Bangalore on the charge of counterfeiting two rupee currency notes on the 3rd June, 1967;

(b) if so, whether any political persons are also involved;

(c) if so, the details thereof; and the action taken by Government against the persons concerned; and

(d) the amount of counterfeit notes recovered from the arrested persons ?

The Deputy Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d) The information is not available with Government as the investigation and prosecution of offences relating to counterfeiting of currency and bank notes are offences under the Indian Penal Code and are dealt with by the State Police authorities. The factual position is, however, being ascertained from the State Government and the information will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

पंजाब की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए धन का नियतन

3329. **श्री रामकिशन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अधिक धन के नियतन की मांग की है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) (क) : जी नहीं । नवम्बर, 1966 में राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् और तब जिन वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाया गया था, उनके आधार पर राज्य की चौथी योजना पर खर्च 280 करोड़ रुपये तय किया गया था । तत्पश्चात् राज्य की चौथी

पंच वर्षीय योजना के लिए अधिक धन का नियतन करने के बारे में राज्य सरकार से कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

3330. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों के भविष्य के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय सम्मेलन बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अनधिकृत बस्तियों के प्रश्न पर 22 अप्रैल, 1967 को निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री द्वारा बुलाई गई एक बैठक में विचार किया गया और उसमें निम्नलिखित निर्णय किए गए :—

(i) केवल उन्हीं अनधिकृत मकानों को नियमित किया जाए जो 1 सितम्बर 1962 से पहले, अर्थात् दिल्ली वृहद योजना के लागू हो जाने की तारीख से पहले बने हुए थे और जो 'ग्रीन' भूमि अथवा सड़कों या सामुदायिक सुविधा आदि के लिए नियत की गई भूमि पर स्थित नहीं थे और जिन्हें स्वीकृत योजना और क्षेत्र की सेवा सम्बन्धी योजनाओ में समयोजित किया जा सकता है।

(ii) दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकार को उन क्षेत्रों के विकास की योजनायें तैयार करके कार्यान्वित करनी चाहिए, जिसमें अनधिकृत बस्तियां स्थित हैं।

(iii) इन निकायों को उन अनधिकृत मकानों आदि के मालिकों से जिन्हें नियमित कर दिया गया है, विकास सम्बन्धी प्रभार वसूल करने के अधिकार दिये जायें और उसके लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम और दिल्ली विकास अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर दिए जायें। इस समय इन निकायों को विकास सम्बन्धी प्रभार वसूल करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

(v) निगम/दिल्ली विकास प्राधिकार को अनधिकृत बस्तियों की विकास सम्बन्धी योजनाओं में धन लगाने के लिए आवर्तक निधियां स्थापित करनी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए वे ऋण के लिए केन्द्रीय सरकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं।

जैसलमेर में गैस

3331. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्री यज्ञ दत्त शर्मा : श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन के लिए इसके प्रयोग की सम्भावनायें क्या हैं; और

(ग) इसके विस्तार तथा प्रयोग के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जिला जैसलमेर के मनहेर तिब्बा में व्यधित किये गये एक कुएं में गैस का पता लगा है।

(ख) और (ग) इस मालूमात के महत्व को जानने के लिए कुछ और कुओं का व्यधन करना पड़ेगा। भूकम्पीय सर्वेक्षणों को भी जारी रखा जायेगा तथा इस प्रकार उपलब्ध दित्ता के आधार पर और व्यधन कार्य के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। अभी समय से पूर्व गैस के उपयोग के लिए योजनाओं को बनाना कठिन है।

केन्द्रीय राजस्व में राज्यों का हिस्सा

3332. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नयी दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों की बैठक में कुछ मुख्य मंत्रियों ने मांग की है कि केन्द्रीय राजस्व में राज्यों का अधिक हिस्सा होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) कई राज्यों ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के लिए केन्द्र से अधिक सहायता की प्रार्थना की थी।

(ग) अधिक केन्द्रीय सहायता के सुझावों पर, उनके गुण-दोषों, उपलब्ध साधनों और उनसे पूरी की जाने वाली मांगों को ध्यान में रखकर, विचार किया जाता है।

नई दिल्ली स्थित विलिंग्डन अस्पताल में एक रोगी की मृत्यु के कारण

3333. श्री रवि राय :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल में आंख, नाक तथा गला (इ० एन० टी०) चिकित्सा विभाग में श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा नामक एक व्यक्ति 14 अप्रैल, 1967 को दाखिल किया गया तथा अगले दिन ही उसकी मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या सरकार ने उसकी मृत्यु होने के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच से पता चला है कि श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा का विलिंग्डन अस्पताल में दाखिल होने से पहले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक औषधालय में बाहरी-रोगी के रूप में इलाज चल रहा था। 14 अप्रैल, 1967 को नासल हैमरेज के लिए उन्हें विलिंग्डन अस्पताल के कैजुअल्टी विभाग में दाखिल किया गया और उनकी पर्याप्त रूप से चिकित्सा की गई। उनमें रक्तक्षीणता थी और रक्त तैयार रखा गया था। जब तक वह अस्पताल में रहे, उनके नाक से रक्तस्त्राव नहीं हुआ, किन्तु दूसरे दिन तड़के थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो गई, सम्भवतः आन्तरिक हैमरेज के कारण हुई थी। केस हिस्टरी से तथा एकाएक आन्तरिक हैमरेज हो जाने से ऐसा लगता है कि वह काफी दिनों से किसी हैमरेज वाले रोग से पीड़ित थे। आन्तरिक हैमरेज से उन्हें नहीं बचाया जा सकता था।

चौथी पंचवर्षीय योजना

3334. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में हाल में नई दिल्ली में हुए राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के प्रकाशित किये जाने के बाद आर्थिक स्थिति में जो

परिवर्तन हुए हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित सम्मेलन में चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

नदियों को राजस्थान में होकर निकालना

3335. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिमालय से निकलने वाली दो नदियों को राजस्थान के मरुस्थली इलाके में से होकर निकालने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इन नदियों के प्रवाह मार्ग को बदलने से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) रावी नदी के फालतू पानी को माधोपुर व्यास सम्पर्क से होकर व्यास नदी में मिलाया जा रहा है और इस पानी को हरीके में लाकर वहाँ से राजस्थान नहर व्यवस्था में प्रयोग के लिये लिया जा रहा है ।

(ख) राजस्थान नहर परियोजना को, जिस पर लगभग 184 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है, दो प्रक्रमों में क्रियान्वित करने का विचार है, प्रथम प्रक्रम में, जिसकी वर्ष 1969–70 तक पूरी हो जाने की आशा है, राजस्थान फीडर, 196·42 किलोमीटर तक राजस्थान मुख्य नहर तथा इस क्षेत्र में उससे निकलने वाली शाखाओं तथा वितरकों का निर्माण किया जायेगा । दूसरे प्रक्रम में, जिसकी वर्ष 1977 के बाद किसी समय पूरी होने की अनुमान है, 196·42 किलोमीटर से आगे की शेष मुख्य नहर तथा उससे निकलने वाली उसकी सभी शाखाओं तथा उपशाखाओं का निर्माण किया जायेगा ।

(ग) दोनों प्रक्रमों के पूरे हो जाने पर, आशा है राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर जिलों में इस परियोजना से प्रतिवर्ष 11 लाख 60 हजार हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी ।

दिल्ली में भूमि

3336. **श्री कार्तिक ओरावों : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी भूमि के खरीददारों ने दिल्ली प्रशासन के भूमि तथा आवास विभाग से उनके प्लाट वापस किये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या कुछ खरीददारों के विक्रय दस्तावेजों में उल्लिखित इस शर्त की कि दिल्ली विकास अधिकार से खरीदे गये प्लाटों पर उन्हें दो वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर मकान बनाने पड़ेंगे, छूट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) दण्ड लगाए बिना 31 दिसम्बर, 1967 तक अवधि बढ़ा देने का निर्णय किया गया है।

टैक्समैकों (कपड़ा मशीनरी निर्माण समवाय) पर मारा गया छापा

3337. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :
श्री संजी रूपजी :
श्री प० मु० सैयद :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर 1964 में टैक्समैको (कपड़ा मशीनरी निर्माण समवाय) पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोष सिद्ध करने वाले दस्तावेज पकड़े गये थे और क्या कम्पनी के एक हिस्सेदार की गिरफ्तारी के आदेश दिये गए थे; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1964 में कोई तलाशी नहीं ली गई थी। किन्तु 20 तथा 22 सितम्बर 1965 के बीच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मेसर्स टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, के व्यापार-स्थान, तथा उसके कारखाने के कार्यालय की तलाशी ली गई थी।

(ख) कुछ अपराधारोपक कागजात पकड़े गये थे। कम्पनी के किसी भी भागीदार को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दिया गया।

(ग) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के उपबन्धों के उल्लंघन के सम्बन्ध में दो 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये हैं। पहला नोटिस 14-9-66 को और दूसरा नोटिस 1-6-67 को जारी किया गया था। मामलों का प्रवर्तन निदेशक द्वारा न्याय-निर्णय किया जा रहा है।

उड़ीसा की वार्षिक योजना के लिए संसाधन

3338. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की 1967-68 की वार्षिक योजना के लिये परिव्यय तथा राज्य के संसाधनों के बारे में ब्यौरा तैयार हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो योजना का कुल परिव्यय कितना है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी;

(घ) वार्षिक योजना को चलाने के लिये उड़ीसा सरकार ने कितनी रकम जुटाने की योजना बनाई है;

(ङ) संसाधन वार, विभिन्न संसाधनों से कितनी राशि प्राप्त होगी;

(च) ये संसाधन मूल प्राक्कलनों से कितने कम रहेंगे; और

(छ) उड़ीसा की 1967—68 की योजना का मूल तथा संसोधन परिव्यय कितना है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) (क) से (छ) 15 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2486 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। राज्य के अधिकारियों के साथ और आगे विचार-विमर्श के बाद कार्यक्रम सलाहकार ने उड़ीसा राज्य के वर्ष 1967—68 की वार्षिक योजना के लिए अस्थायी तौर पर 46 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है। 46 करोड़ रुपये के इस कुल परिव्यय में 26 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता होगी और 20 करोड़ रुपये राज्य संसाधनों से प्राप्त होने का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा पहले राज्य-संसाधनों के जिन मुख्य स्त्रोतों का अनुमान लगाया गया था, उनका तथा उन मुख्य स्त्रोतों का, जिनके बारे में राज्य-अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद अनुमान लगाया गया है, संकेत देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 753/67]**

मनीपुर में उपलब्ध बिजली

3339 श्री मेघचन्द्र : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्र में इस समय कुल कितनी बिजली उपलब्ध है तथा यह सप्लाई किन-किन स्त्रोतों से की जाती है;

(ख) क्या निकट भविष्य में इस सप्लाई को बढ़ाने की कोई सम्भावना है; और

(ग) क्या इस बिजली की सप्लाई का प्रबन्ध एक बिजली बोर्ड को दिया जा रहा है और यदि हां, तो कब तथा किस आधार पर ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मनीपुर में इस समय बिजली पैदा करने की कुल अधिष्ठापित क्षमता 1450 किलोवाट है। सप्लाई के स्रोत हैं :—

(एक)	इम्फाल डीजल पावर हाउस	1000 किलोवाट
(दो)	इम्फाल व्यवस्था से सम्बन्धित दो छोटे डीजल पावर स्टेशन	150 किलोवाट
(तीन)	लीमारवोंग हाइड्रो--इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन	300 किलोवाट
	कुल :—	1450 किलोवाट

(ख) जी, हां।

(ग) इस बिजली की सप्लाई का प्रबन्ध किसी बिजली बोर्ड को सौंपने का कोई विचार नहीं है।

मनीपुर में सिंचाई की योजनाओं का परिव्यय

3340. **श्री मेघचन्द्र :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में सिंचाई की योजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) अब तक वस्तुतः कितनी भूमि में सिंचाई की गई है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए यदि कोई योजना बनाई गई है तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मनीपुर में तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बड़ी तथा मझली सिंचाई योजनाओं पर कोई राशि खर्च नहीं की गई।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़ी तथा मझली सिंचाई योजनाओं के लिये मनीपुर प्रशासन ने 20 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।

(ग) बड़ी तथा मझली सिंचाई योजनाओं से अब तक कोई सिंचाई-क्षमता पैदा नहीं की गई है।

(घ) चौथी योजना में लोकटाक झील के पानी का उपयोग करने के लिए मनीपुर प्रशासन का विचार कॉन्टूर केनाल का निर्माण आरम्भ करने का है।

विदेशों में जीवन बीमा निगम के कार्यालय

3341. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में जीवन बीमा निगम के कितने कार्यालय हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन कार्यालयों के कर्मचारियों पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) उक्त अवधि में कुल कितना बीमा कारोबार किया गया; और

(घ) उक्त अवधि में उन कार्यालयों में कुल कितना लाभ कमाया गया ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सदन की मेज पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया. देखिये संख्या एल० टी० 754/67]

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

भारतीय तेल निगम द्वारा मिलावटी तेल बेचा जाना

3342. **श्री गा० शं० मिश्र :** पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय तेल निगम द्वारा गैर-सरकारी पक्षों को मिलावटी तेल बेचने की प्रक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : मिलावटी उत्पाद जो परिशोधन द्वारा या और किसी प्रकार से प्रयोग में नहीं लाये जा सकते, सामान्यतः भारतीय तेल निगम द्वारा व्यापारियों से मगंवाये हुए कोटेशनस के आधार बेच दिये जाते हैं।

विदेशी साहित्य का आयात

3343. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में विदेशी साहित्य पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अश्लील पुस्तकें भी बहुत बड़ी संख्या में आयात की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या पुस्तकों की छानबीन करने की कोई व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1965–66 में विदेशों में छपी पुस्तकों, तथा पत्र-पत्रिकाओं के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा की रकम नीचे लिखे अनुसार है :

छपी पुस्तकें ... . 255 लाख रुपये

पत्र तथा पत्रिकायें ... ... 7 लाख रुपये

(ख) विदेशों से अश्लील पत्र-पत्रिकाओं के बड़े पैमाने पर आयात किये जाने का सरकार को पता नहीं है। लेकिन, ऐसी पुस्तकों के आयात के छुट-पुट मामले कभी-कभी सीमा शुल्क गृहों के नोटिस में आते हैं।

(ग) सीमा शुल्क अधिकारी आयात होने वाली पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की जांच पड़ताल करते रहते हैं और यदि कोई अश्लील सामग्री नोटिस में आती है, तो उसको सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जब्त कर लिया जाता है। सरकार ने कला तथा साहित्य की रचनाओं को अश्लील साहित्य से पृथक करने में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करने के लिए साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया है।

पैट्रोलियम का मूल्य

3344. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में जहां से पैट्रोलियम निकलता है पैट्रोलियम का मूल्य सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सारे देश में पैट्रोलियम का एक ही मूल्य निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भूतपूर्व में इस विषय पर जांच की गई थी और फैसला किया गया था कि एक रूप मूल्य अव्यवहारिक है। इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण पर सरकारी उपक्रमों की संसदीय समिति की वर्तमान रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए, फिर भी इस विषय पर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

बम्बई में गन्दी बस्तियों को हटाना

3345. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री मधु लिमये :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में बम्बई में गन्दी बस्तियों को हटाने के काम के लिए केन्द्रीय निधि से कितनी राशि दी गई;

(ख) इसमें से कितनी राशि का प्रयोग किया गया; और

(ग) बम्बई में गन्दी बस्तियों को हटाने का काम शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के अधीन विभिन्न परियोजनाओं की मंजूरी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है और उनके लिए राशि भी उन्हीं द्वारा सीधे ही निर्माण एजेंसियों को दी जाती है। किए गए खर्च के आधार पर अप्रैल, 1956 से 31 मार्च, 1967 तक 25,416 गृह-यूनिटों के निर्माण के लिए, जिनमें से 19,890 गृह-यूनिट बम्बई शहर में हैं, महाराष्ट्र सरकार को 6·63 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

उड़ीसा में नगरीय विकास

3346. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में नगरीय विकास के लिये उस राज्य के लिये कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) किन-किन नगरों तथा कस्बों का विकास किया गया;

(ग) उनका व्यौरा क्या है;

(घ) भुवनेश्वर तथा पुरी के विकास के लिए कितनी राशि नियत की गई थी;

(ङ) उड़ीसा की इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गये पर्यटन अथवा धार्मिक महत्व के स्थानों के नाम क्या हैं; और

(च) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी राशि नियत की गई थी ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) तृतीय पंच-वर्षीय योजना में उड़ीसा के किन्हीं शहरों के विकास के लिए वृहद योजना तैयार करने के लिए 11·60 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। योजनाओं की वास्तविक कार्यान्विति के लिए राज्य अपने संसाधनों से धन की व्यवस्था करेगा।

(ख) और (ग) राउरकेला, कटक, चौदवेर, भुवनेश्वर, पुरी और वरहामपुर की वृहद योजनाओं के निर्माण का कार्य आयोजना और सर्वेक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(घ) और (च) भारत सरकार पूरे राज्य के लिए राशि का आवंटन करती है, अलग-अलग परियोजनाओं के लिए नहीं।

(ङ) पुरी।

तेल शोधक कारखानों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

3347. श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री न० कु० सांघी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने के लिये इण्डियन आयल कम्पनी गुजरात तथा गोहाटी तेल शोधक कारखानों के बीच हाल ही में एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य तेल शोधक कारखानों के साथ भी ऐसे करार किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख) जी हां। 30 मई, 1967 को भारतीय तेल निगम (शोधनशालाएं प्रभाग) और गुजरात तथा गोहाटी शोधनशालों के कर्मचारियों के यूनियनों के बीच में एक करार

पर हस्ताक्षर हुए। करार का मुख्य ब्यौरा यह है कि 31-3-66 को कर्मचारियों को प्राप्त हुआ महंगाई-वेतन को उसी तारीख से उपलब्ध मूल वेतन में जोड़ दिया जायेगा तथा 1-4-1966 से कर्मचारियों को दी जाने वाली नई वेतन तक प्राप्ति के लिए इसे 20 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता उन दरों पर दिया जायेगा जिन दरों पर पुनरीक्षित वेतनमान पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। एक उपदान योजना भी लागू की गई है। करार 1.4.1966 से लागू है और कर्मचारियों की बकाया दिया जायेगा। तीन सालों तक लागू रहेगा।

(ग) जहां तक बरौनी शोधनशाला का सम्बन्ध है, कर्मचारियों के साथ इसी प्रकार के एक करार के होने की शीघ्र सम्भावना है।

सरकारी इमारतों के निर्माण की जांच करने के लिए अनुभाग

3348. श्री य० अ० प्रसाद : श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठेकेदारों को देय राशि का भुगतान करने से पहले सरकारी इमारतों के निर्माण की जांच करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा एक अनुभाग स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुभाग बनाये जाने के क्या कारण हैं जबकि मंत्रालय की ओर से मुख्य तकनीकी परीक्षक (चीफ टैक्नीकल एग्जामिनर) पहले ही यह कार्य कर रहा है; और

(ग) मुख्य तकनीकी परीक्षक किस दिशा में अप्रभावी पाया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।
(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

T. B. Hospitals in India

3349. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of T. B. Hospitals in the country, Statewise;

(b) the number of beds available therein;

(c) whether the number of beds are sufficient to cater to the demand; and

(d) if not, the arrangements proposed to be made by Government in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a) and (b) The available information is given in the attached statement. [Placed in Library, see No. LT-755/67]

(c) No.

(d) More T. B. beds are being established in successive Five Year Plans.

Social Welfare Schemes

3350. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of Social Welfare Schemes being implemented at persent by Government;

(b) the amount sanctioned to each Social Welfare Organisation during the years 1965-66 and 1966-67 separately;

(c) whether Government give assistance to the religious organisations also; and

(d) if so, the names thereof ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phul Renu Guha) : (a) Important schemes implemented directly by the Department of Social Welfare (Social Welfare Division) are listed in annexure I, **[Placed in Library, See No. LT-756/67]**

(b) The information is given in annexure II. **[Placed in Library, See No. LT-756/67]**

(c) and (d) No grants are given to Organisations of a purely religions character.

मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिये पी० एल० 480 की निधियां

3351. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा घाटी में सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को पी० एल० 480 निधियों में से दस करोड़ रुपये की राशि देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के लिये पी० एल० 480 निधियों में से धन का नियतन

3352. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से पूछे बिना ही पी० एल० 480 निधियों में से धन राज्यों को उनके विकास कार्यों के लिये सीधे दिया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में राज्यवार तथा वर्षवार राज्यों को कितनी राशि दी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की सूची में पंजीकृत फर्में

3353. **श्री गा. शं. मिश्र :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में पंजीकृत फर्मों की सूची बनाने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस विभाग के विभिन्न निदेशालयों द्वारा फर्मों से पूछताछ करने की प्रक्रिया समान नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब ऐसी फर्मों से पूछताछ नहीं की जाती है, जिन्हें सरकार से लाइसेंस तो प्राप्त हैं परन्तु वे पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत नहीं है, हालांकि माल के संभावित सप्लायर के रूप में पहले उन फर्मों से भी पूछताछ की जाती थी;

(घ) ऐसी कितनी फर्में हैं, जो सरकार से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंसों अथवा आयात लाइसेंस का प्रयोग तो कर रहे हैं, परन्तु इस समय माल सप्लाई करने वाली पंजीकृत फर्मों की सूची में नहीं है;

(ङ) ऐसी कितनी फर्में हैं, जो पंजीकृत तो हैं और जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में आर्डर मिले थे परन्तु वे करार की शर्तों के अनुसार माल सप्लाई नहीं कर सकी; और

(च) पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी फर्में काली-सूची में रखी गई ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में पंजीकृत फर्मों तथा उन फर्मों के बारे में, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है, निम्नलिखित रजिस्टर रखे जाते हैं :—

पंजीकृत फर्मों का संक्षिप्त इन्डैक्स रजिस्टर ।

स्टोर-वाइज डाइरेक्टरी आफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स ।

कॉन्साइज इन्डैक्स रजिस्टर ऑफ रिमूव्ड फर्म्स किसी फर्म का पंजीकरण किये जाने पर, एक कार्ड तैयार किया जाता है जिसमें उसका नाम, पता, पंजीकरण की तारीख तथा उन वस्तुओं का नाम लिखा है जिसके लिये उसे पंजीकृत किया है और उसे पंजीकृत फर्मों का संक्षिप्त इन्डैक्स रजिस्टर में जोड़ दिया जाता है । पंजीकरण के बाद यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसे इस कार्ड में दर्ज किया जाता है । जब किसी फर्म का पंजीकरण रद्द किया जाता है, तो पंजीकृत फर्मों का संक्षिप्त इन्डैक्स रजिस्टर से उसका कार्ड निकाल लिया जाता है और उसे रिमूव्ड (पंजीकृत फर्मों की सूची से हटाये गये) फर्मों का संक्षिप्त इन्डैक्स रजिस्टर में जोड़ा जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पूर्ति तथा निपटान निदेशालय को 10,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सामान के लिये जो इन्डेन्ट मिलते हैं उनके लिये वह सामान्यतः विज्ञापन देता है। जो फर्में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की सूची में पंजीबद्ध नहीं हैं, वे भी टेंडर खरीद कर मांग के लिये अपने मूल्य दे सकती हैं। कतिपय मामलों में और कुछ विशेष कारणों से विज्ञापन की पद्धति का त्याग करना अनिवार्य हो जाता है। इन मामलों में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की सूची में पंजीबद्ध कुछ फर्मों से टेन्डर मांगे जाते हैं। कुछ मामले पंजीबद्ध फर्मों से भिन्न, उन फर्मों से भी टेन्डर मांगे जाते हैं जिन्हें अपने अनुभव के द्वारा पूर्ति तथा निपटान निदेशालय यह समझता है कि वे फर्में सामान सप्लाई कर सकती हैं। अतः पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया नहीं अपनाता है।

(घ) किसी फर्म को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की सूची में सप्लाई करने वाली स्वीकृति फर्म के रूप में पंजीबद्ध कराना अनिवार्य नहीं है। अतः सरकार से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त सभी फर्मों के लिये पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की सूची में पंजीबद्ध करना अनिवार्य नहीं है। पूर्ति तथा निपटान निदेशालय चाहे तो उन वस्तुओं को नहीं भी दे सकता है जिनके उत्पादन अथवा आयात के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं। अतः पूर्ति तथा निपटान निदेशालय इन फर्मों के आंकड़े नहीं रखता है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय इस मार्गदर्शी सिद्धान्त का पालन करता है कि सामान यथासभव देश के अन्दर के साधनों से ही खरीदा जाये। देश के अन्दर के साधनों से सामान खरीदने के बारे में तकनीकी विकास महानिदेशालय से परामर्श लिया जाता है। जहां कहीं वह यह सिफारिश करता है कि नये लाइसेंस प्राप्त उद्योग सामान सप्लाई कर सकते हैं, वहां उन फर्मों से पूछताछ की जाती है, भले ही वे फर्में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की सूची में पंजीबद्ध न हों।

(ङ) ऐसे प्रत्येक मामले की वैयक्तिक गुण-दोषों के आधर पर विचार किया जाता है। ऐसी पंजीबद्ध फर्मों के आंकड़े पृथक नहीं रखे जाते हैं जिनका कार्य किसी अवधि विशेष में खराब अथवा असंतोषजनक रहा हो।

(च) 73.

भारतीय तेल निगम द्वारा पैट्रोल पम्पों की स्थापना

3354. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रमानी :
श्री भगवान दास :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री कं० हाल्दर :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े नगरों में पैट्रोल पम्प लगाने के मामले में इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की विस्तार योजनाओं के मार्ग में विदेशी नियन्त्रणाधीन तेल कम्पनियां बाधक बनी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनीपुर में लोकतक विद्युत् परियोजना

3355. **श्री मेघचन्द्र :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में लोकतक विद्युत् परियोजना के लिये कुल कितनी राशि नियत करने का विचार है ;

(ख) क्या अपेक्षित तकनीकी जांच पड़ताल का काम पूरा हो चुका है ; और

(ग) परियोजना कब चालू हो जायेगी तथा उसकी बिजली पैदा करने की और सिंचाई की क्षमता कितनी होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोकटाक परियोजना के लिये 1 करोड़ रुपये की राशि अस्थायी तौर पर नियत करने का विचार है ।

(ख) फील्ड सम्बन्धी जांच हाल ही में पूरी हुई है और परियोजना रिपोर्ट, जिसमें लागत का प्राक्कलन शामिल है, तैयार की जा रही है ।

(ग) इस परियोजना के चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किये जाने की संभावना है । इसे परियोजना से 60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर 70,000 किलोवाट बिजली पैदा होने का अनुमान है और इससे लगभग 18,000 हेक्टर भूमि की सिंचाई होने की आशा है ।

नई दिल्ली की कर्बला कालोनी में पेय जल की सप्लाई

3356. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री प्रो० प्र० त्यागी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की स्थित कर्बला कालोनी के नलों में पानी नियमित रूप से नहीं पहुंचता हालांकि उस बस्ती के निवासी नई दिल्ली नगरपालिका से इस बारे में कई बार अनुरोध कर चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बस्ती के नलों में नियमित रूप से पानी आता रहे इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) कर्बला कालोनी के निवासियों ने अपनी कालोनी में आन्तरिक वितरण की जो दोषपूर्ण व्यवस्था की हुई है उसके कारण वहां पानी की कमी हो जाती है । यदि इस दोषपूर्ण व्यवस्था को दूर किया जाये, तो वहां नियमित रूप से पानी आने लगेगा ।

कर्बला के क्वार्टरों में शौचालय तथा स्नानागारों के लिये एक ही कनेक्शन हैं और वहां के निवासियों ने इन कौमन कनेक्शनों से अपने क्वाटरों को पाइप-लाइन खींच ली हैं और इस प्रकार अनधिकृत नलों की व्यवस्था की है। प्रत्येक ब्लाक के कौमन शौचालय तथा स्नानागारों के लिये जिस नल से पानी की सप्लाई होती है वह इतना बड़ा नहीं कि ब्लौक के बहुत से क्वाटरों को पानी की आवश्यकता पूरी कर सके। यदि वहां के निवासी इस दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था को दूर कर दें, तो समस्या खुद-बखुद हल हो जायेगी।

नई दिल्ली नगरपालिका ने कर्बला कालोनी को पानी की सप्लाई करने वाले 'म्यूनिसिपल मेनों' की शृंखला मजबूत कर दी है और इससे इस कालोनी की समूची मांग पूरी हो सकती है।

कनाडा द्वारा सहायता

3357. श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री वेदव्रत बरूआ :
श्री इब्राहम सुलेमान सेट :
श्री न० कु० सांघी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार अपने भारत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पचास वर्षीय ब्याज मुक्त गैर-परियोजना ऋण देने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण देने की क्या शर्तें हैं और क्या कोई करार किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, हां। कनाडा की सरकार ने गैर प्रायोजना कामों के लिए भारत सरकार को देने के लिए 21 फरवरी, 1967 को 118.5 लाख कनाडियन डालर का विकास-ऋण मंजूर किया है। ऋण देने के लिए कोई शर्त नहीं रखी गयी है। यह ऋण रासायनिक खाद, रासायनिक खाद बनाने की चीजें आदि खरीदने और डीजल रेल इंजनों के हिस्से खरीदने के लिए है।

ऋण की शर्तें ये हैं : ऋण 50 वर्षों की अवधि में चुकाया जायगा जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है और इस ऋण पर कोई ब्याज या ऋण-निर्धारण-शुल्क नहीं दिया जायगा।

Free Medical Treatment to Central Government Pensioners

3358. Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ra Gopal Shalwale :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether Government of India propose to provide free medical treatment to the pensioners of the Central Government throughout the country ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a) No.

(b) The resources position of the Government make it difficult to provide free medical treatment to pensioners of the Central Government throughout the country. However, medical facilities through the already established dispensaries of the Central Government Health Scheme have been extended to pensioners residing in Delhi/New Delhi.

केन्द्र में तथा राज्यों में कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था

3359. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जब राज्यों में तैनात किया जाता है तो क्या उन्हें राज्य सरकारों द्वारा क्वार्टर दिये जाते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को, जब उन्हें राज्य सरकार की सेवा के निमित्त दिल्ली में तैनात किया जाता है, क्वार्टर देती है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार के किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों में किए गए पारस्परिक प्रबन्ध के अधीन सरकारी स्तर पर मामलों पर विचार करके एक दूसरे के कर्मचारियों को वास दिए जाते हैं।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों की प्रार्थना पर यथासंभव राज्य सरकारों के अधिकारियों को दिल्ली में वास दिए जाते हैं।

गोआ में उर्वरक कारखाना

3360. श्री शिंकरे : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ में गैर-सरकारी क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये की लागत का उर्वरक कारखाना लगाने की मंजूरी दी है ;

(ख) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा कितना धन खर्च किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां।

(ख) कारखाने की क्षमता इस प्रकार होगी :—

1. अमोनिया 200,000 मीटरी टन प्रति वर्ष

2. यूरिया 340,000

कारखाने में 1970–71 तक उत्पादन होने की सम्भावना है ।

(ग) उर्वरक कारखाना की स्थापना के लिए पार्टी द्वारा की गई प्रगति निम्न प्रकार है :—

भूमि : भूमि के अर्जन के लिए गोआ सरकार ने कार्यवाही आरम्भ कर दी है और सितम्बर, 1967 में पार्टी को भूमि सौंपने की आशा है ।

संयन्त्र और उपकरण : परियोजना के लिए सितम्बर, 1967 से पहले दो इंजीनियरिंग फर्मों को बिडस (bids) के लिए चुना गया है । एक कम्पनी को नवम्बर, 1967 तक कार्य की कार्यान्विति के लिए इंजीनियर्स और परामर्शदाता के रूप में चुना जायेगा । क्योंकि परियोजना को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है; अतः खर्च की गई धनराशि उपलब्ध नहीं है ।

Import of Liquid Ammonia

3361. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the quantity of liquid ammonia imported annually to meet the requirements in the country and the amount of foreign exchange incurred therefor; and

(b) the reasons for not producing liquid ammonia in India ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) Nil,

(b) Liquid ammonia is produced in all the fertilizer factories in the country.

कानपुर का दर्जा बढ़ाना

3362. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब कानपुर की जनसंख्या दस लाख से अधिक हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कानपुर को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नगरों की जनसंख्या दश वर्षीय जनगणना द्वारा मालूम की जाती है । 1961 की जनगणना के अनुसार (कानपुर छावनी सहित) कानपुर नगर समूह की जनसंख्या 9,71,062 है ।

(ख) किसी नगर को 'ए' वर्ग में लाने के लिए उसकी जनसंख्या कम से कम 16 लाख होना जरूरी है । चूंकि कानपुर की जनसंख्या 16 लाख से कम है इसलिए उसे 'ए' श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ।

दिल्ली में मकानों की समस्या

3363. श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मकानों की समस्या अत्यन्त गम्भीर है जिसके कारण मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या और अधिक बस्तियों का निर्माण करने के लिये, जिनमें गरीब तथा मध्यम वर्ग के परिवारों को उचित दर पर आवास प्रदान किया जायेगा, कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली में मकानों की समस्या अत्यन्त गम्भीर है जिसके कारण निम्न/मध्यम आय वर्ग के परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) दिल्ली प्रशासन निम्न और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों की सहायता के लिए इस मंत्रालय की निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है :—

1. सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना
2. गन्दी बस्ती सफ़ाई/सुधार आवास योजना
3. निम्न आय वर्ग आवास योजना
4. मध्यम आय वर्ग आवास योजना
5. ग्राम आवास परियोजना
6. दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन, विकास तथा निपटान की योजना
7. झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अलाट करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग घरों का भी निर्माण कर रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकार भी किराये-खरीद आधार पर आवंटन के लिये अगले 2–3 वर्षों में लगभग 1600 मकान बनाने का विचार रखता है।

1966–67 में परिवार नियोजन पर व्यय

3364, श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1966 से मई, 1967 के अन्त तक परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कितना धन व्यय हुआ ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले

3365. **श्री घुलेश्वर मीना** : **श्री ख० प्रधानी**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष में 31 मई, 1967 तक विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कितने मामले पकड़े गये; और

(ख) अपराधियों को दण्ड देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विदेशी-मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के संदिग्ध उल्लंघनों के जो मामले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1-1-67 से 31-5-67 की अवधि में रजिस्टर किये गये हैं उनकी संख्या 796 है ।

(ख) इन 796 मामलों में से 59 मामले प्राथमिक पूछ-ताछ करने के बाद बन्द कर दिये गये हैं क्योंकि इनमें विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत किसी अपराध का पता नहीं चला । 15 मामलों में न्यायनिर्णय की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है । बाकी के मामले जांच-पड़ताल/न्यायनिर्णय-कार्यवाही के विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

उड़ीसा के स्वर्णकारों को सहायता

3366. **श्री ख० प्रधानी** : **श्री घुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के स्वर्णकारों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 31 मई, 1967 तक, वर्षवार, कितनी राशि स्वीकृत की ; और

(ख) उड़ीसा में अब तक कितने स्वर्णकारों को सहायता दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना को व्यक्त करने वाला एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 757/67]**

हरिजन सेवक संघ, दिल्ली तथा भारतीय दलित वर्ग लीग, नई दिल्ली

3367. **श्री सूरज भान** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1950 से लेकर अब तक हरिजन सेवक संघ दिल्ली तथा भारतीय दलित वर्ग लीग, नई दिल्ली को पृथक-पृथक कुल कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई;

(ख) इन दो संस्थाओं को अनुदान देने के लिए किस आधार पर चुना गया था;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों की कुछ अन्य संस्थाओं ने भी इस प्रकार की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी और यदि हां तो उनकी प्रार्थना किस आधार पर अस्वीकृत कर दी गई थी; और

(घ) 26 जनवरी, 1950 से लेकर अब तक इन दोनों संस्थाओं ने क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य किये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क)

(1) हरिजन सेवक संघ, दिल्ली—51,37,170 रुपये ।

(2) भारतीय दलित वर्ग लीग, नई दिल्ली—20,12,984 रुपये ।

(ख) ये दोनों अखिल भारतीय संस्थायें थीं तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए इनके काम का रिकार्ड अच्छा था ।

(ग) हां, कुछ संस्थाओं द्वारा अनुदानों के लिये किये गये अनुरोध अस्वीकार कर दिये गये थे क्योंकि ये संस्थायें या तो अखिल भारतीय नहीं थी अथवा उनके काम का रिकार्ड अच्छा नहीं था । रुपये की कमी के कारण भी कुछ अनुरोध स्वीकार नहीं किये गये थे ।

(घ) उपरोक्त दोनों संस्थाएं अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये काम कर रही हैं, जिसका प्रभाव अस्पृश्यता के सामाजिक दोष को दूर करने पर पड़ा है ।

नूनमती तेल शोधन कारखाने का मिट्टी का तेल तैयार करने वाला गोहाटी स्थित सैक्शन

3368. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमती तेल—शोधन कारखाने का मिट्टी का तेल तैयार करने वाला गोहाटी स्थित सैक्शन प्रायः बिगड़ जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह सैक्शन फालतू पुर्जे अथवा तकनीकी जानकारी अथवा दोनों के अभाव के कारण बेकार रहता है;

(ग) क्या आसाम और पश्चिमी बंगाल में मिट्टी के तेल की कमी का यह भी एक कारण है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राजस्व मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता । वास्तव में मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं रही है, जैसा कि कहा गया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

जमुना बाज़ार दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, I call the attention of the Minister of Works, Housing and Supply to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Reported demolition of Shanties in Jamuna Bazar, Delhi and arrests made in that connection."

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jagannath Rao) :

12 जून, 1967 को जमुना बाजार क्षेत्र से अनधिकृत झोंपड़ी वालों को हटाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया था और वह लैफ्टीनेंट गवर्नर द्वारा अनुमोदित किया गया था, और उसके अनुसार कार्यवाही 17, 18 और 19 जून को की गई थी। यह कार्यवाही पिछले 5–6 वर्षों में की गई इसी प्रकार की अन्य कार्यवाहियों के सिलसिले में ही की गई थी और यह दिल्ली की वृहद् योजना के उपबन्ध के अनुसरण में विकास के प्रयोजन के लिए आवश्यक सरकारी जमीन के खाली कराने के लिए है।

निगमबोध श्मशान भूमि के निकट की पुराने शहर की दीवार और रिंग रोड के बीच पड़ने वाले क्षेत्र, रिंग रोड को चौड़ा करने, साईकिलों और पैदल व्यक्तियों के लिए मार्ग बनाने तथा निगमबोध श्मशान भूमि के निकट गाड़ी आदि ठहराने के लिए स्थान बनाने की व्यवस्था करने के लिए, अत्यन्त आवश्यक हैं। अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिंग रोड पर चले जाने के परिणाम स्वरूप रिंग रोड पर यातायात अत्यधिक बढ़ गया है और यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे चौड़ा करना और साइकिलों के लिए तथा पैदल व्यक्तियों के लिए मार्ग बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इसी प्रकार से निगमबोध श्मशान भूमि में मृतकों के संस्कार के लिए आने वाले अनेकों व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्मशान भूमि के पास गाड़ी आदि ठहराने के स्थान की व्यवस्था करना भी अत्यन्त आवश्यक है।

जमुना बाज़ार क्षेत्र में लगभग 3000 परिवार अनधिकृत रूप में रह रहे थे। परन्तु उनमें से केवल वही क्षेत्र खाली कराये गये हैं जिनकी उक्त प्रयोजनों के लिए तुरन्त आवश्यकता थी। जिस क्षेत्र को खाली कराया गया है, उसमें 776 अनधिकृत ढांचे थे, जिनमें से 683 रिहायशी निवासों के रूप में और 93 व्यापारिक कामों के लिए, जैसे गोदाम, वर्कशाप, डेरी, दुकानों आदि के रूप में इस्तेमाल किये जा रहे थे। व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाली झोंपड़ियों के मालिकों को कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया। परन्तु निवासी झोंपड़ी वालों को झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना के अधीन दिल्ली नगर निगम द्वारा विकसित की गई सीलमपुर कालोनी में भेज दिया गया। अपना सामान सीलमपुर ले जाने के लिए झोंपड़ी वालों को मुफ्त परिवहन सम्बन्धी सुविधायें दी गई। प्रत्येक परिवार को 25 वर्ग गज का एक-एक प्लाट दिया गया। इस कालोनी में पहले ही 5000 परिवार रह रहे है और वहां सड़क, स्कूल, सामुदायिक

शौचालय, सड़क की बिजली और हैंड–पम्प आदि सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। निवासी झोंपड़ी वालों ने सीलमपुर कालोनी में जाने के कार्य में प्राधिकारियों को प्रायः सहयोग दिया है।

हटाये जाने की इस कार्यवाही का विरोध उन व्यापारिक झोंपड़ी वालों द्वारा किया गया, जिन्होंने इस क्षेत्र में गोदाम और वर्कशापें बना रखी हैं। 18 जून, 1967 को झोंपड़ी गिराने की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की आशंका से सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट, कोतवाली ने उस दिन प्रातः 9.30 वजे धारा 144 के अधीन निषेध आदेश जारी कर दिया था। लगभग 10 बजे महानगर परिषद के एक सदस्य ने जनसंघ के एक सक्रिय सदस्य के साथ वहां एक जलूस निकाला और झोंपड़ी गिराने वाले दल की ओर बढ़ने का यत्न किया। इसलिये उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। 18 जून,1967 को कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। निषेध आदेश का उल्लंघन 19 जून को भी होता रहा और उसके परिणाम स्वरूप 105 व्यक्तियों को गिरफ्तार करना पड़ा। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में एक राज्य सभा का सदस्य, 5 महानगर परिषद के सदस्य और 15 नगर निगम के कौंसिलर थे।

झोंपड़ियों को हटाने का यह कार्य तत्कालीन दिल्ली की सलाहकार समिति और दिल्ली नगर निगम के परामर्श से सरकार की इस नीति के अनुसरण में किया गया था, कि सरकारी जमीन से अनधिकृत रूप से रहने वाले सभी झोंपड़ी वालों को हटा दिया जाये।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, it was decided that the unauthorised squatters will be shifted from their residences only after proper arrangements have been made for latrines, water taps, light, medical facilities and roads etc. But at Jamuna Bazar, Prem Nagar etc. they are shifting them without providing for those facilities. They removed those who voted for the congress and the administration is now in the hands of Jan Sangh. The Lt. Governor is also of Jan Sangh minded. The press people who went there were arrested and their cameras snatched away. Will some enquiry be made into it and if so by whom ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सफाई का कार्यक्रम उस निर्णय के अनुसार किया गया है जो पहले ही ले लिया गया था। मैं यह नहीं मानता कि यह किसी विशेष वर्ग के लोगों को तंग करने के लिए किया गया है। सम्भव है वहां प्रबन्ध उतने व्यक्तियों के लिए न हो जितने वहां पहुंच गये हैं। मैं स्वयं वहां जाने को तैयार हूं कि प्रबन्ध ठीक चल रहा है अथवा नहीं। किसी जांच आयोग के बैठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : मन्त्री महोदय को पहले ही वहां जाना चाहिये था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को पता है कि 200 परिवार उनमें से ऐसे हैं जो वहां 40 वर्ष से भी अधिक वर्षों से रह रहे हैं तथा उन्होंने झोंपड़ी बनाने के लिए ऋण भी लिया है ? क्या सरकार उन्हें फिर बसाने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : क्योंकि वह गरीब लोग हैं, इसी कारण तो उन्हें अलग बसाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। यदि कोई शिकायत हुई तो मैं स्वयं वहां जाने को तैयार हूं।

Shri Shashi Bhushan Bajpai (Khargonvae) : Mr.Speaker, Sir it was decided during the days of Prime Minister Nehru that no body would be removed without making proper

arrangements worth place where they are to be shifted. But it has not been done upto this time. It is due to political victimisation or otherwise why they have not removed people living at Jhandewala ?

श्री जगन्नाथ राव : दिल्ली में जितने भी गैर कानूनी रूप में रह रहे हैं वे सब हटाये जायेंगे परन्तु यह सब कार्य धीरे धीरे किया जा रहा है।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : Is the Minister aware that in the resolution of the ad hoc committee regarding slum clearance and improvement of 20th December, 1963 it was decided that no squatter would be removed unless arrangements for water, cleanliness and electricity are made at the place of new residence. But the same has been violated in this case ? Will the Minister give an assurance that it will now be followed as the number of slum dwellers in Delhi is about 2.5 lakh people ?

श्री जगन्नाथ राव : जिस प्रस्ताव का जिक्र किया है वह वास्तव में ऐसा ही है, परन्तु झगड़ा यह है कि प्रबन्ध पूरे हैं अथवा नहीं। संभव है कि अधिक लोगों के लिए प्रबन्ध न हो। मैं स्वयं उस क्षेत्र में जाऊँगा जहां से उन्हें हटाया गया है तथा जहां उन्हें बसाया गया है।

Shri Amrit Nahata (Badmer) : Will the Minister while rehabilitating them take into consideration the fact that their place of work is not away from the place of their residence ?

श्री जगन्नाथ राव : यह प्रत्येक मामले में संभव नहीं है। यदि संभव होता तो ऐसा कर दिया जाता।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Is all the anger shown here now by the members on that side is due to the fact to revive the lost prestige of Congress ? Is this not being done in accordance with the resolution of 1963 which was passed when congressmen were in power in Delhi Municipal Corporation ?

श्री जगन्नाथ राव : जो लोग पटरियों पर बैठे हैं उन सब को हटाया जायेगा चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी दल से हो। यदि एक सिद्धान्त के अनुसार किया गया है।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I am sorry and I protest against the fact that in the name of showing sympathy to the squatters they are dragging the name of Jan Sangh and Shri Bibhuti Mishra has even spoken against an officer who is not present here to defend himself not has the Minister thought it fit to stop the member from so doing or contradict his statement.

I want to know whether or not it is the responsibility of the Central Government and not of the Delhi Administration to rehabilitate those who have been uprooted now and the Delhi police comes under the Central Government ?

I am surprised to see that the hon. Members are not aware of the fact that Delhi Police is directly under the control of the Central Government and is not under the Delhi Administration.They do not consult the elected representatives of Delhi when go for dismantling the huts. I may clear the position that Jan sangh is not in favour of dismantling the huts. May I know from the Prime Minister whether Shri Malhotra, Executive Councillor has written a letter to her in which he has suggested to

call a meeting to discuss the problem of Juggi Jaupri in which the question of rehabilitating the people who are coming to Delhi every day ? In my view 20 crores of rupees will be required to rehabilitate the persons who have come to Delhi from 1960 to 1967.

Shrimati Sushila Rohatgi (Bilhaur) : I rise on a point of order. I would like to know whether the Delhi Police obeys the orders of Central Government or Delhi Administration ?

Shri A. B. Vajpayee ; Delhi Police carry out the orders of Lt. Governor and not of the Delhi Administration.

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) मैंने इस समस्या पर उप-राज्यपाल, मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली के मेयर, महानगर परिषद में विरोधी दलों के नेता तथा अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की है । झुग्गी झोंपड़ी गिराने का कार्य नगर निगम वाले करते हैं । यदि वे आवश्यकता समझते हैं तो पुलिस पार्टी को साथ ले जाते हैं । पहले सूचना इस कारण नहीं दी जाती क्योंकि लोग न्यायालय में जाकर 'स्टे आर्डर' ले आते हैं । यद्यपि योजना केन्द्रीय सरकार की है तथापि उसको लागू करने का काम नगर निगम करता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि क्या श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें सुझाव दिया गया है कि इस समस्या पर चर्चा करने के लिये बैठक बुलाई जाये । प्रधान मंत्री को 'हां, अथवा नहीं' में उत्तर देना चाहिए ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी हां ।

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargova) : The question is why the persons who are being displaced are not being provided alternative place and necessary amenities ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi- Sadar) : The job of the slum clearance is of the Central Government and they also frame policies in this regard. The allotment of alternative place and the question of providing other essential amenities is also to be decided in consultation with Central Government.

This is the first time that all the people eligible or non-eligible have been provided alternative places. The present agitation is carried on by some rich people whose workshops have also been dismantled and have not been given alternative places. I would like to know from the Central Government why they have not permitted the corporation to develop the eighty sq. yard plots made available to the eligible persons previously. I would also like to know whether the Government will make some arrangements for the non-eligible people ? Whether it is also a fact that the people displaced from 'Purana Kila' were not provided the amenities which are being provided to-day to the persons being displaced ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह श्री कंवरलाल गुप्त द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री जगन्नाथ राव : गन्दी बस्तियां साफ करने सम्बन्धी योजना में 80 गज के प्लाट देने की व्यवस्था है । परन्तु जब हमें यह पता लगा कि जिन लोगों को ये प्लाट दिये जा रहे

हैं वे इन प्लाटों को दूसरे लोगों को बेच रहे हैं तो हमें योजना का पुनरीक्षण करना पड़ा। 25 अप्रैल को हुई बैठक में हम इस बात पर सहमत हो गये थे कि झुग्गी झोपड़ी वालों को 15 वर्ग गज के बजाय 25 वर्ग गज के प्लाट दिये जायें। बैठक में यह भी तय पाया कि जिन अपात्र लोगों के पास 31 दिसम्बर, 1965 को सरकारी भूमि थी तो उनको भी मितव्ययता के आधार पर प्लाट दिये जाने चाहिए।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : During the last five years about 25 thousands Jhuggis were cleared and the dwellers resettled in Madangiri where essential amenities did not exist at that time whatsoever. But now the agitation has been started because the Godown of the ex-Mayor, Shri Bachiter Singh has been dismantled. I would like to know whether the persons who took part in this agitation were the members of the Advisory Committee of the Home Minister ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि श्री विचित्र सिंह का इससे कोई सम्बन्ध है।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं इसको चुनोती देता हूं।

श्री जगन्नाथ राव : मैंने माननीय सदस्य को केवल इतना कहा है कि वह किसी के विरुद्ध आरोप न लगायें। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है जिन व्यक्तियों ने इस आन्दोलन में भाग लिया है वे बाहर के थे। इससे यह सिद्ध होता है कि.उनका अपना इसमें कोई हित नहीं था बल्कि वे झुग्गी वालों के हित में ही ऐसा कर रहे थे। सलाहकार समिति के सदस्यों के बारे में जो बात कही गई है मैं उसका पता करूंगा।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से निर्वाचित सभी संसद सदस्यों को इस विषय पर बोलने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा सम्भव नहीं है।

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : I rise on a point of order. I would like to know when this scheme of Jhuggi Jaupri came into existence and the names of the framers of the said scheme ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE. QUESTION OF PRIVILEGE

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I would like the hon. Speaker to hear our views before this motion is disallowed.

अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हुआ तो आपको बुलाया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You please listen to him. This question was raised yesterday.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस बारे में आपको पहले ही लिख चुका। मैं चाहता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

Shri A. B. Vajpayee : I want you to take up this question.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं अथवा यह चाहते हैं कि मैं निर्णय लेने से पूर्व उनको किसी अन्य समय अवसर दूं।

Shri A. B. Vajpayee : I want that it should be discussed in the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके साथ बातचीत करने के बाद ही अपना निर्णय दूंगा परन्तु अभी नहीं।

Shri A. B. Vajpayee : No, it is a very important question. Decision on this question cannot be taken in the Chamber.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पुनः सभा का समय क्यों लेना चाहते हैं। कल हमने इस समूचे मामले हर चर्चा की थी।

Shri A. B. Vajpayee : You can allow it tomorrow. I can discuss it with you.

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अन्ततः चैम्बर में बैठ कर अध्यक्ष नहीं बल्कि सभा ही निर्णय करती है। यदि माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत हो जाते हैं अथवा मैं उनके साथ सहमत हो जाता हूं तो मामला सरल हो जायेगा। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैंने अभी इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया है और न ही इसको रद्द किया है। हम इस पर विचार करेंगे।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विकास प्राधिकार (पेंशन) नियम

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार (पेंशन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 840 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 739/67**]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री जगन्नाथ राव : मैं श्री कृष्णचन्द्र पंत की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 890 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 891 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 910 जो दिनांक 12 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 915 जो दिनांक 17 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 740/67]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 38वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 892 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 39वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 893 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 40वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 894 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 41वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 10 जून 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 895 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 42वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 17 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 914 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 741/67]**

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (12वां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 888 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (14वां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 889 में प्रकाशित हुए थे ।**[पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०742/67]**

नियम समिति

RULES COMMITTEE

दूसरा प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 743/67]**

आपात स्थिति को जारी रखने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. CONTINUANCE OF EMERGENCY

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : I rise on a point of order. It has been the practice that no statement is issued to the Press unless it is made in the House. But in this case news have already appeared in the Press.

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रकार यह समाचार निकल गया होगा । परन्तु यह मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य नहीं है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : मैंने गत मार्च में सभा को बताया था कि आपात शक्तियों के प्रयोग को केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया गया है और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जहां कि अभी भी असाधारण स्थिति है, शेष देश से 1 जुलाई, 1967 से आपात को समाप्त करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्राप्त करने का हमारा विचार है ।

ऐसी घोषणा करने में सरकार के तीन उद्देश्य थे । पहला यह कि कुछ क्षेत्रों में बाह्य कारणों से अभी भी ऐसी स्थिति है कि वहां पर आपात को जारी रखने के अतिरिक्त सरकार

के पास कोई चारा नहीं है। दूसरे हमारा यह विचार था कि ऐसा करने के लिए सरकार के पास कोई विशिष्ट संवधानिक अधिकार होना चाहिए। तीसरे हमारा यह विचार था कि आपात शक्तियों को जिनका कि पहले ही प्रयोग नही किया जा रहा है, औपचारिक रूप से वापिस ले लिया जावे।

सरकार का विचार सीमावर्ती क्षेत्रों में आपात को जारी रखने के लिये संविधान में संशोधन करने का था। प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातों पर विरोधी दलों के नेताओं के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत की गई थी। परन्तु उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इसलिए हमने इस समय संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को सभा में प्रस्तुत न करने का निर्णय किया है।

हाल ही में सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति का पुनर्विलोकन किया है। आसाम के कुछ भागों में विशेषतः मिजो पहाड़ियों तथा इससे संलग्न क्षेत्रों में स्थिति अशांत है। नागालैंड, मनीपुर तथा संलग्न क्षेत्रों की घटनाओं को देखते हुए वहा आत्मतुष्टि करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चीन इन विद्रोहियों की गतिविधियों में विशेष रुचि ले रहा है। पाकिस्तान नागा लोगों, मिजो तथा अन्य आदिम जातियों को विभिन्न प्रकार की सहायता दे रहा है। चीन तथा पाकिस्तान की साठ-गांठ से स्थिति अधिक गम्भीर हो गई है।

राष्ट्र की सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा की दृष्टि से आगामी महीनों में आपात की उद्घोषणा को जारी रखना आवश्यक है क्योंकि बाह्य आक्रमण का अधिक खतरा है। हमें यह परामर्श दिया गया है कि विशेष संवैधानिक मंजूरी के बिना कुछ क्षेत्रों में आपात को जारी नहीं रखा जा सकता। फिर भी हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं आवश्यक हो, स्थिति का मुकाबला करने के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में आपात शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। राज्य सरकारों को भी हमारा यही परामर्श देने का विचार है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हम भी यह चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिये परन्तु हम यह देख रहे हैं कि सरकार उस बहाने से आपतकाल की शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय तो केवल स्पष्टीकरण ही मांगा जा सकता है। हम इस पर चर्चा बाद में कर सकते हैं। मध्यान्ह भोजन के लिये केवल 10 मिनट रह गये हैं।

श्री रंगा : इस विषय को दस मिनटों में समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। हम सब प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय मंत्री यह आश्वासन देते हैं कि आपातकाल की शक्तियों का केवल सीमित प्रयोजनों के लिये ही प्रयोग किया जायेगा। परन्तु इन शक्तियों का जिस प्रकार विगत समय में प्रयोग किया गया है उसे देखते हुए हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। क्या वह हमें यह बताना चाहते हैं कि नागा समस्या, आसाम समस्या तथा अन्य ऐसी समस्यायें इन आपातकाल शक्तियों से ही हल हो सकती हैं और दूसरी शक्तियों से नहीं ?

अतः हम आपातकाल को उस प्रकार जारी रखने के पक्ष में नहीं हैं जैसा कि मंत्री महोदय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रायः यह प्रथा चल रही है कि जब मन्त्री महोदय वक्तव्य देते हैं तो उस पर चर्चा नहीं होती। केवल स्पष्टीकरण ही मांगा जाता है।

श्री रंगा : यहां स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तब तो एक घंटा लग जायेगा।

श्री रंगा : अवश्य लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा करने की मांग बाद में कर सकते हैं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : यह बहुत महत्व का विषय है।

श्री रंगा : केवल दिल्ली के मामले पर एक घंटा चर्चा चली थी।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपकी यह मांग है तो मैं चर्चा की अनुमति देने को तैयार हूं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आसाम को सब से अधिक नुकसान होने वाला है।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Sir, we want to have a discussion on the statement given by the hon. Minister recently and I am sure that we will be given an opportunity to express our feelings in regard thereto. Sir, I want one clarification. I would like to know whether the hon. Minister had not taken into accounts all those things which have made him to withdraw the assurance given by him in regard to lifting of the emergency from 1st July.

Shri Y. B. Chavan : My statement may please be referred to.

Shri A. B. Vajpayee : You had mentioned in your statement that emergency will continue in limited areas. I would like to know why the hon. Minister is not going further in that way. Has he come to this conclusion that his amendment Bill is not going to pass. The hon. Minister had also given an assurance that another meeting consisting of the spokesmen of opposition would be called.

Shri Y. B. Chavan : That was called.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communication (Dr. Ram Subhag Singh) : The hon. Member was not present in that meeting also.

Shri A. B. Vajpayee : Shall I understand that Government is going back from her words because she has begun to realise that an amending Bill to the constitution is not likely to pass.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : That is the fear. What else can be the cause ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जब मैंने यह आपातकाल को हटाने की घोषणा की थी उस समय भी सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी स्थिति थी। तब भी हमारी यह राय थी कि हम उन क्षेत्रों में आपातकाल जारी रखने के लिये संविधान में संशोधन

लायेंगे । इसीलिये मैंने विरोधी दलों की दो बार बैठक भी बुलाई थी । दूसरी बैठक में मुझे यह संकेत मिला कि वह इससे सहमत नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : It is quite evident, They fear that Government may be defeated and that is why they are not lifting emergncy.

श्री कंडप्पन (मैंदूर) : माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आपात-काल की शक्तियां लागू रहेंगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 372 के अन्तर्गत आप प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकते । परन्तु माननीय सदस्य तो उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तीन वर्ष पहले स्पष्टीकरण की प्रथा चली थी परन्तु धीरे धीरे स्पष्टीकरण के स्थान पर भाषण होने आरम्भ हो गये । इसलिये स्पष्टीकरण से अब काम नहीं चल सकता । हमें इस पर एक घंटे की चर्चा करनी चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य उठे ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइये । एक बज चुका है । स्पष्टीकरण के नाम पर यदि मैं भाषण करने की अनुमति दे दूं तो अच्छी बात नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Speeches are not being made, Only questions are being asked.

अध्यक्ष महोदय मैं : चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : हम पहले ही नोटिस दे चुके हैं । वह स्वीकार नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिये मैं स्वयं ही समय निश्चित करुंगा ।

श्री हेम बरुआ : आसाम में मूल अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आसाम सब के लिये महत्वपूर्ण है, केवल श्री हेम बरुआ के लिये ही नहीं । अतः हमें नियमों में परिवर्तन कर लेना चाहिये । परन्तु इस विषय पर हम आज चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमें रेलवे बजट पर चर्चा आज समाप्त करनी है । इस विषय पर चर्चा करने के लिये मैं समय निश्चित कर लूंगा । नियमानुसार इसके लिए कोई माननीय सदस्य नोटिस दे दे ।

श्री उमानाथ (पुदुक्कोटै) : नोटिस पहले ही दिया जा चुका है ।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen hours of the Clock

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Subha then reassembled after lunch at fourteen of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न के बारे में

RE. POINT OF PERSONAL EXPLANATION

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, two days back when you were occupying the Chair you had said that Shri Banerjee had made wrong allegations. You had also said that he will have to produce evidence to substantiate these allegation or he will have to apologize to the House. On that day Shri Banerjee was not present in the House. Today he has come and he should be given a chance to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे याद है कि मैंने यह कहा था। उसी विषय पर आज विशेषाधिकार का विषय उठाया जाना था परन्तु अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि वह इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस विषय का विशेषाधिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। कृपया मुझे दो मिनट बोलने का समय दिया जाये।

Shri Madhu Limaye : Can anything he said about him in his absence.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप केवल दो मिनट तक ही बोलना चाहते हैं, तो बोलिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

Shri Madhu Limaye : Shri Banerjee should be allowed to clarify his position. Supposing privilege motion does not come up then in that case then he will be misunderstood in this hon. House and outside too.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं। परन्तु प्रश्न समय का है।

श्री स० मो बनर्जी : मैंने नोटिस दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : उन्हें इस समय अनुमति नहीं दी जा सकती। हम अनुदानों की मांगें (रेलवे) पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री विरमल राव (काकिनाडा) : उन्हें अनुमति दिये जाने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

Shri Madhu Limaye : He cannot submit.

श्री विश्मल राव : आप इस बारे में माननीय सदस्य निर्णय नहीं कर सकते ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I have a point of order. You have a right to give permission under rule 357.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 357 के अन्तर्गत उन्हें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कराने का अधिकार तो है परन्तु उन्हें मुझे लिखकर देना चाहिये कि वह क्या कहना चाहते हैं ताकि मैं यह देख सकूं कि उसमें कोई विवाद वाली बात तो नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : He is not raising any debatable point.

डा० राम सुभग सिंह : मुझे इस पर आपत्ति है । सुबह अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि कोई बात हो, तो उसके बारे में उनके साथ में बातचीत की जा सकती है । गृह मंत्री के वक्तव्य के बाद कार्यसूची में कोई बात नहीं है । इसलिये हमें रेलवे बजट पर आ जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार के बारे में कोई बात नहीं है । वह एक वाक्य कहना चाहते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : वह कैसा वक्तव्य देना चाहते हैं ।

Shri Madhu Limaye : He is just making a clarification.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी अनुपस्थिति में कुछ कहा गया था, अब मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते हैं मुझे लिखकर दे दीजिये । मैं उसे यहां पर पढ़ दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने कल अध्यक्ष महोदय को लिखा था । मैं उपस्थित नहीं था तो मेरे विरुद्ध आरोप लगाये गये थे ।

डा० राम सुभग सिंह : गृह मंत्री के वक्तव्य के बाद रेलवे बजट पर बहस होनी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to raise a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : मै मानता हूं कि नियम 357 के अन्तर्गत आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कर सकते हैं । आपने अभी कहा था कि आपने अध्यक्ष महोदय के साथ कुछ बातें की थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : आपने कहा था कि यदि मेरे पास स्पष्ट प्रथम दृष्टया साक्ष्य हुए तो हम विचार करेंगे और यदि न हुए तो मुझे सभा से माफी मांगनी पड़ेगी । मैं सभा से माफी नहीं मांगता हूं । मैं यह कहता हूं कि मंत्रिमण्डल के कई मंत्री बिड़ला के एजेंट हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय । आप ऐसी बातों की कैसे अनुमति दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह क्षमा नहीं मांगना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye : You had said that he should write to the Speaker and he has written to.

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना वक्तव्य दे चुके हैं। अब हम रेलवे की मांगों पर आते हैं।

श्री क० कु० नायर (बहराइच) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आरम्भ में आपने कहा था कि श्री बनर्जी को अवसर मिलेगा परन्तु उन्हें दो मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिये। वह उसके लिये सहमत हो गये। तब एक नियम का उल्लेख किया गया जिसके अन्तर्गत आप अपने विवेक से किसी भी सदस्य को स्पष्टीकरण करने की अनुमति दे सकते हैं। दूसरी ओर के सदस्य निश्चयपूर्वक यह चाहते थे कि श्री बनर्जी को बोलने की अनुमति न दी जाये और तभी उन्होंने यह कोलाहल मचाया। मेरा निवेदन है कि यदि इस तरह से निर्णयों को असफल बनाने का प्रयास किया गया तो सभा में काम नहीं चल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ने बीच में यह भी कहा था कि उन्होंने इस विषय पर अध्यक्ष महोदय के साथ बातचीत की थी ; यदि यह ठीक है तो अब उन्हें अवसर देने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैंने उन्हें लिखकर दिया था। अत: मुझे एक मिनट बोलने का समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य दे चुके हैं।

श्री क० कु० नायर : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में तो आपने अपना विनिर्णय दे दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी अनुपस्थिति में आप जो कुछ चाहें नहीं कह सकते। आप अपना विनिर्णय दे चुके है। आप चाहते हैं कि मैं क्षमा मांगू। परन्तु क्या मैं बिड़ला के एजेंटों से क्षमा मांगू।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी अनुपस्थिति में कुछ कहा गया था। उस पर उन्होंने कहा है कि वह बात गलत थी। यही काफी है। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है उन्हें नियमानुसार लिखना चाहिये।

श्री यू० मू० सलीम (नलगोंडा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 357 में यह लिखा है कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य स्पष्टीकरण कर सकता है। क्या आपने अपनी अनुमति दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आरम्भ में मैंने कहा था कि वह स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री यु० यू० सलीम : यदि आप उन्हें अनुमति दे चुके हैं तो पुन : अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : (हावड़ा): नियम 357 के अन्तर्गत अध्यक्ष पीठ को यह देखना होता है कि क्या सदस्य विवादवाला प्रश्न तो नहीं उठा रहा है।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : आपने उन्हें दो मिनट बोलने की अनुमति दी थी। परन्तु चूंकि डा० रामसुभग सिंह इससे सहमत नही थे इसलिये दस मिनट बीत चुके हैं। हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है।

श्री रामसुभग सिंह : माननीय सदस्य मुझ पर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। आप कौन होते हैं।

श्री उमा नाथ (पुट्टुकोटै) : अध्यक्ष महोदय के साथ बात करने पर आपत्ति उठाने वाले आप कौन होते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्री गोपालन बोले थे तो वह शिष्टाचार से बोले थे, मैंने कुछ नहीं कहा। तब आप क्यों चिल्ला उठे।

श्री उमानाथ : क्योंकि तुरन्त बाद डा० राम सुभग सिंह ने उठ कर यह कहना आरम्भ कर दिया :

डा० रामसुभग सिंह : नहीं, मैंने नहीं।

श्री उमानाथ : मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आपने मेरे से पूछा था कि मैं चिल्ला क्यों उठा। जैसे ही यह प्रश्न उठा उन्होंने कहना आरम्भ कर दिया कि ऐसी चर्चा की कैसी अनुमति दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिये। हमें इस सभा में शिष्टाचार से काम करना चाहिये।

श्री अ० क० गोपालन : इसके लिये मंत्री महोदय को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये। यदि वह इस तरह न करते तो मामला पहले ही समाप्त हो जाता।

डा० राम सुभग सिंह : मैंने पिछली बार ऐसा कहा था आज नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब स्पष्टीकरण करने के लिये प्रार्थना की गई थी तो मुझे यह डर था कि कहीं इस पर चर्चा न चल पड़े। तब मैंने कहा था कि मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं दूंगा। इस पर इस ओर के सदस्यों ने यह कहा कि माननीय सदस्य कहीं विवाद वाला मामला न उठा दें। उन्होंने अनुमति देने पर आपत्ति नहीं की।

डा० रामसुभग सिंह : अध्यक्ष महोदय ने सुबह श्री बाजपेयी और श्री बनर्जी को कहा था कि आप इस बारे में मेरे साथ बातचीत कर लेना। उसके बाद उन्होंने गृहमंत्री को वक्तव्य देने

देने के लिये कहा । वक्तव्य के बाद अब हमें रेलवे बजट पर आना चाहिये । इसमें कोई अदल-बदल नहीं होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्री बाजपेयी ने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था तो श्री बनर्जी भी उस सम्बन्ध में खड़े हुए । अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया कि वह उनके साथ इस बारे में बातचीत करेंगे । इस मामले का विशेषाधिकार प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह केवल उनकी अनुपस्थिति में उनके बारे में कही गई बात का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहते हैं । उन्हें केवल दो मिनट लेने चाहिये ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : आपने मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्हें सुनने दीजिये ।

Shri S.M. Banergee : When I was not present in this House on 20th instant on account of my illness then you had observed that either Mr. Banergee will have to produce evidance to substantiate the allegations or he will have to apoligize to the House. Had I been in this House I must have said that there is absolutely nothing to apologize those persons who have been accepting the money from Shri Birla can apologise and not I. Any committee or commission can go through these allegations. May I submit that we have as much respect as the members of the other side. As far as other question of apol o gize is concerned, any body can apologise. Even you had to apologise, sir,**

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

Shri S.M. Benergee : These things should be enquired into.

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) ; मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विक्रमचन्द महाजन (चम्बा) : इसे कार्यवाही वृतान्त से अवश्य निकाला जाना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Instead of this matter being expunged it should be referred to the committee of Privileges.

Shri K. N. Tiwari : On a point of order, Sir. Shri Banergee is in the habit of making allegatitions without substantiating them. I would therefore submit these should be expunged from the record. He should make allegations only in case he is definite about them.

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह मामला समाप्त हो गया है ।

Shri S.M. Banergee :**

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह मामला समाप्त हो गया है ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**Expunged as orderd by the Chair,

Shri Madhu Limaye : In case you say anything more, I will have to raise a point of order.

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs (Shri Muthyal Rao) : Sir, shri S.M. Banerjee has made allegation, even by defying your orders. Therefore these should be expunged from the record.

श्री उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें देखकर निकलवाऊंगा ।

Shri Madhu Limaye : It cannot be done like that.

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी सीमा से बाहर चले गये थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे भड़काया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें स्पष्टीकरण के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिये थी ।

Shri Madhu Limaye : We would like to know what has been expunged from the record. I was the first to raise a point of order, I must be given a chance first of all.

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अनुसार ।

Shri Madhu Limaye : Under Rule 376. Secondly these people are raising hue and cry unnecessarly.

Mr. Deputy Speaker : Thye are not.

Shri Madhu Limaye : They are doing so for the last 20 to 25 minutes and you are saying they are not.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें केवल एक वाक्य से आपत्ति थी।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : वे आपका पांच वर्ष तक कुछ नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस पर उन्होंने आपत्ति की उस पर मैंने भी की ।

Shri Madhu Limaye : This things has happened only now. But they are making a noise for the last fifteen minutes.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : जब श्री बनर्जी ने बयान दिया तो यह सुझाव दिया गया था कि उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये । मेरी यह प्रार्थना है कि उसे न निकाला जाये क्योंकि मैं श्री बनर्जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रक्रिया का भली मान्ति ज्ञान है । चूंकि श्री बनर्जी ने अपनी सीमा का उल्लंघन करके बात कही थी इसलिये मैं यह देखूंगा कि वह सब कुछ कार्यवाही वृत्तान्त में न जाये ।

Shri george Fernandes (Bombay South) : Under what Rules you will expunge his wordings from the record ?

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। आप इसे कैसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं।

Shri George Fernandes : I rise on a point of order, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बनर्जी को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करने की अनुमति दी थी और साथ यह भी कहा था कि वह सीमा से बाहर कुछ न कहे। अब उन्होंने उस सीमा को पार करके कुछ कहा है। अतः यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जा सकती।

Shri George Fernandes : You please see rule 380.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं पुकारा है।

Shri Madhu Limaye : The hon. Member is speaking on a point of order.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : जो आप चाहते थे माननीय सदस्य ने उससे अधिक एक वाक्य ही तो कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहने की बात नहीं है, सवाल नियम का है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ। परन्तु जब उन्होंने एक बात कह दी है तो वह कार्यवाही वृतान्त का अंग बन गयी है। जब तक माननीय सदस्य उसे वापिस न लेना चाहें आप उसे कैसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य अपनी सीमा के बाहर की बात कहता है तो क्या यह अध्यक्षपीठ का उत्तरदायित्व नहीं है कि वह यह देखे कि कोई सदस्य सीमा का का उल्लंघन नहीं करता है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यदि जो आप कह रहे हैं सही है और यदि आप उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना चाहते हैं तो......

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अभी निकाला नहीं है। मैं जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं और तब......

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं आपसे सहमत हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सहमत हैं तो कृपया बैठ जाइये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यदि आपका सुझाव मान लिया जाये तो इससे यह होगा कि जब कोई सदस्य अपना बयान देता है तो आप उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं। फिर यह रिकार्ड न रह कर एक ढोंग बन जायेगा। इसलिये आपको यह तरीका नहीं अपनाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 380 देखिये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : आपको ऐसा नहीं करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यदि अपमानजनक बयान हो तब क्या किया जाये ।

Shri Madhu Limaye : Where is Chair in it ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आरोप द्वेष पैदा करने के लिए लगाये जायें तो अध्यक्षपीठ द्वारा कैसे मौन रहा जा सकता है । इन बातों को ध्यान में रखकर ही मैं अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यदि कोई चीज द्वेषपूर्ण कही जाये तो आप उसे नियम 327 अथवा 227 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस शक्ति का भी प्रयोग करूंगा । इसलिए मैंने कहा है कि—

मैं रिकार्ड देखूंगा और निर्णय करूंगा ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1967–68 (जारी)
DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1967–68 (Contd.)

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेकानाल) : महोदय मैंने इन मांगों पर कई कटौती प्रस्ताव रखे हैं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 220 का सम्बन्ध उड़ीसा में तालचेर को विमलागढ़ से मिलाने वाली एक नई रेल पटरी बिछाने से है । वह रूरकेला को कटक से भी मिलायेगी ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 221 का सम्बन्ध जल्दी से अम्बागुड़ा को लान्जीगढ़ रोड से मिलाने वाली नई रेल पटरी बिछाने का है । ऐसे ही कटौती प्रस्ताव संख्या 222 का सम्बन्ध कटक से पाराद्वीप बन्दरगाह को मिलाने वाली नई रेल पटरी बिछाने से है ।

मैंने कटौती प्रस्ताव संख्या 273, 543, 544, 536 तथा 537 भी प्रस्तुत किए हैं जिनका सम्बन्ध एक दूसरे से है । यदि इन्हें कार्यान्वित किया गया तो इसका उड़ीसा तथा भारत की अर्थ व्यवस्था, उद्योग तथा कृषि पर प्रभाव होगा ।

जैसा कि आपको विदित है उड़ीसा में 1000 वर्गमील क्षेत्र के लिए केवल 14 मील रेल की पटरी है जबकि शेष भारत में यह औसत 31 मील आती है ।

उड़ीसा के पश्चिमी भागों को, जो कि खनिज पदार्थों में बहुत अधिक है का रेल द्वारा तट की रेलों से कोई मिलाप नहीं है । रेलवे के कम होने के कारण वहां के खनिज भण्डारों के विदोहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसी कारण रेलवे संचार को बढ़ाना वहां बहुत आवश्यक है ।

चौथी योजना में उड़ीसा सरकार ने तालचेर औद्योगिक समूह के कार्यान्वित करने की इच्छा प्रकट की है और इसकी आगे बहुत सम्भावना है ।

कुल रेलों के बारे में वहां की राज्य सरकार ने भारत सरकार से भी कहा है। उनमें से एक है तालचेर–विमलागढ़ रेलवे। तालचेर में कोयले के लगभग 50 करोड़ टन के भण्डार हैं तथा वहां एक तापीय बिजलीघर भी है जो कि पहले चरण में ही 200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। पांचवी योजना तक समूह की समता दो गुनी हो जाएगी और इसलिए कच्चा माल भी दो गुना प्राप्त करना होगा। इसी कारण बिमलागढ़ से तालचेर तक रेलवे पटरी बनाने की शीघ्र आवश्यकता है।

रूरकेला इस्पात कारखाने से डुमारो को मिलाने वाली पहले ही एक रेल की पटरी है। यदि इसे तालचेर से मिला दिया जाता है तो तालचेर समूह के लिए कच्चा माल भेजना सरल हो जायेगा।

रूरकेला को भुवनेश्वर से मिलाने वाली सीधी कोई रेल पटरी नहीं है परन्तु रूरकेला से भुवनेश्वर को प्रतिदिन हजारों व्यक्ति आते जाते हैं और उन्हें 650 किलोमीटर का एक चक्कर दार मार्ग लेना पड़ता है। इस रेल के निर्माण से इन व्यक्तियों की कठिनाई दूर हो जायेगी।

इस मिलाने वाली रेल पटरी के बनने के बाद वहां पीने का पानी, विश्रामगृह आदि की भी यात्रियों को सुविधायें दी जानी चाहिए।

उड़ीसा के पश्चिमी भाग के लिए लान्जीगढ़–अम्बागुड़ा है जो कि आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा को मिलाती है और जिस पर 53 करोड़ रु० की लागत आई थी।

रेलवे मंत्री को चाहिए कि निर्यात प्रोत्साहन योजना से इसके लिए अधिक राशि प्राप्त करके उड़ीसा के लोगों की बहुत समय की मांग को पूरा किया जाए। मैं आशा करता हूँ कि रेलवे मन्त्री उड़ीसा के निर्माण और विकास में साझेदार बनेंगे और इस बात पर अधिक ध्यान नहीं देंगे कि वहां किस दल की सरकार है।

श्री ज० अहमद (घुबरी) : महोदय मैं एक ऐसे राज्य से चुनकर आया हूँ जो बहुत पिछड़ा हुआ है तथा मेरा निर्वाचन क्षेत्र उस राज्य में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र में सब गारो पहाड़ियां हैं तथा घुबरी उपखण्ड में ग्वालपाड़ा जिला है। गारो पहाड़ियों के बारे में मंत्री महोदय को पता है कि वहां एक गज में भी रेल की पटरी नहीं है। 1964–65 तक घुबरी भारत का सबसे बड़ा पटसन का केन्द्र था। यहां से लगभग 1964-65 में 30 लाख मन से भी अधिक पटसन निर्यात किया जाता था। सबसे सस्ता संचार नदी का था परन्तु 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के समय से यह बंद पड़ा है और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। हमारे व्यापारी भी पाकिस्तान से होकर अपने माल का निर्यात करना नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान ने सितम्बर 1965 के युद्ध में हमारा करोड़ों रुपयों का माल अपने कब्जे में ले लिया था।

इस समय आसाम से भारत के अन्य भागों के लिए सबसे सस्ता संचार रेलवे है। यदि सरकार चाहती है कि वहां के लोगों को सस्ते संचार की सुविधा दी जाए तो वह रेल की ही

सुविधा हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आसाम को शेष भारत से मिलाए रखा जाये तो आप बड़ी लाइन की रेल की पटरी घुबरी तक बढ़ा दो।

ग्वालपाड़ा में सबसे उत्तम पटसन उत्पन्न होता था और उसका मुकाबला पूर्वी पाकिस्तान में स्थित नारायणगंज की पटसन से किया जा सकता है। पहले यहां 30 लाख मन पटसन उत्पन्न होता था परन्तु अब यह केवल 9 लाख मन ही रह गई है। सम्भवत: पटसन का बहुत भाग तो तस्करी से पाकिस्तान में पहुँचा दिया जाता है क्योंकि वहां अधिक मूल्य मिल जाता है यह तस्करी अब भी जारी है। संचार व्यवस्था के अभाव के कारण परिवहन का खर्च बहुत अधिक पड़ता है। एक सड़क के अतिरिक्त जो अभी बनाई गई है वहां कोई सड़क नहीं है। वहां के पुल भी बहुत मजबूत नहीं हैं कि बड़े ट्रक उन पर से होकर गुजर सकें। इसी कारण पटसन छोटे ट्रकों द्वारा ले जाया जाता है। संचार व्यवस्था की कमी के कारण गारो पहाड़ियों को अपना व्यापार बढ़ाने की सुविधायें नहीं मिलती। इसी कारण मैं रेल मंत्रीजी से कहूँगा कि वहां संचार व्यवस्था सुधारी जाये।

एक सुझाव यह था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया जाये। यदि इस समय पुल नहीं बनाया जा सकता तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वहां नावों का पुल ही बना दिया जाये तथा बड़े रेल लाइन की पटरी को गोहाटी तथा गारो पहाड़ियों तक बढ़ाया जाये, क्योंकि वहां से काफी कोयला निर्यात किया जा सकता है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह हमारे लिये आवश्यक होगा।

क्योंकि आसाम की इतने समय तक अवहेलना की गई है. इसी कारण वहां इतनी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी कारण वहां कभी नागाओं की समस्या तथा कभी मीजो लोगों की समस्या और कभी त्रिपुरा में समस्या उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए संचार, विकास तथा सुरक्षा के हिसाब से यह बहुत आवश्यक हैं कि भारत सरकार आसाम के लोगों की शिकायतों को कम करने के बारे में कुछ किया जाये और उनमें भी विशेष रूप से गारो पहाड़ियों तथा ग्वालपाड़ा जिले के लोगों की शिकायतों का दूर करना है।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : I must say that the increase in Railway fares is very little. On the one hand the labour leaders ask for more wages for the workers and greater amenities for the passengers but on the other hand they are not prepared for higher fares. I cannot understand this attitude on their part.

I want to draw the Minister's attention to the doctors in the railway department. For promotion only one-third are taken from the railways and two-thirds from outside. Their status should be equal to that of C. H. S. doctors and they should be given same facilities as are given to the C. H. S. doctots.

There are two organisations for protection of railway property etc viz. R. P. F. and G. R. P. The R. P. F. are giving a better account of themselves than the G. R. P. Since the G. R. P. come from states to the railways they suffer under the dual control whereas the R. P. F. do not suffer from such attitude. Hence I want R. P. F. to be given more encouragement.

It should be explained to the Parliament and to the people whether the deisel or the coal engines are working better as this is creating unnecessary misgiving among the people.

In order to augment the income of railways, advertisement posters or sign boards should be put up inside and outside the railway compartments.

Similerly the cooperation of labour and political leaders should be sought to increase the income of railways. Public opinion should be mobilised to put an end to thefts of lighting apparatus and fans in the railways.

There is the demand for a restaurant at bettiah which should be acceded to. There is encroachment on railway land at Raxol which should not be permitted.

We want the railway trains to halt at Bhiticarba where Gandhiji did some work. I have been asking for it for the last six years but the same has not been done. I request again for it.

श्री सोमसुन्दरम (थंजाबूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रेलों में बहुत भीड़ रहती है तथा लोगों को रेल का टिकट प्राप्त करने के लिए कई बार दो-दो और तीन-तीन दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मद्रास से पुट्टुकोटै होते हुए काराई-कुडी पहुंचने के लिए रेलवे पटरी की बहुत दिन से मांग चल रही है। वहां अभी पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बे रामेश्वरम एक्सप्रेस में लगाये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तीसरे दर्जे के डिब्बे भी इस गाड़ी में लगाये जायें।

थंजाबूर से पुट्टुकोटै केवल 30 मील है। मैं चाहता हूँ कि वहां एक रेल की पटरी बनाई जाये और इससे बड़ा लाभ होगा। इसकी स्वीकृति तो 1938 में ही हो गई थी परन्तु दूसरे विश्व महायुद्ध के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका।

इसी प्रकार पुट्टुकोटै तथा विरुद्धाचलम के बीच भी रेलवे पटरी बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी।

मद्रास तथा तूतिकोरिन के बीच रेलगाड़ी बहुत विलम्ब से चलती है। क्योंकि इस पर बड़ी भीड़ रहती है और इसमें शायद आप नई रेल भी न चला सकें। इस कारण वहां दोहरी रेल की पटरी बिछाई जानी चाहिए।

कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में मेरा कहना यह है कि अब आपात स्थिति समाप्त हो गई है, इस कारण जो काम के घंटों में बढ़ोत्तरी हुई थी वह समाप्त की जानी चाहिए।

रेल के कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने की आयु 55 से बढ़ा कर 58 वर्ष कर दी थी। क्योंकि इससे नये लोगों को अवसर नहीं मिलता, इस कारण इसे फिर 55 वर्ष ही कर दिया जाये। साथ ही 25 वर्ष सेवा करने के बाद सेवा निवृत्त करने के सुझाव को वापिस लिया जाये।

रेल दुर्घटनाओं को "अनिवार्य" तथा "जिन्हें रोका जा सकता था" को दो श्रेणियों में गिना जाता है। सारी दुर्घटना अनिवार्य होती हैं और इस कारण सब को पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति का अनुपात 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दिया जाये। स्व० श्री लाल बहादुर जी जब रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने इस प्रकार का

आश्वासन भी दिया था कि 1956 में प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 220 रु० के वेतन तक पहुँचने दिया जायेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ है।

मंहगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए दैनिक मजदूरों को 3 रु० से कम देना ठीक नहीं है। दक्षिण रेलवे पर स्त्रियों को 3 रु० तथा पुरुषों को 4 रु० प्रतिदिन दिये जाने चाहिए।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : Mr Deputy Speaker, I will like to speak on my cut motion. The four Districts of Madhya Pradesh inhabited by 25-30 lakh adivasis have been badly neglected so far the railways are concerned. Inspite of 20 years of independence this area has made no progress. The condition of the area in every respect, i. e, education, railway facilities, industrial development, forest development etc., is just the same as it was 20 years ago. The people of the area have been agitating for Daot-Khandwa and Daot-Indore rail links for a long time but their appeals have gone unheeded. This entire belt of 200-250 miles is rich in forest and mineral wealth. whenever a demand is made for location of cement and other industries, the plea of lack of railway link is put forward. This Daot-Khandwa line is important not only for the economic and industrial progress of the area but from the security point of view also.

Similiar is the case with Daot-Indore rail link. Indore is a big industrial centre but this area is deprives of the link with it. The central and western Railways pass through the region by passing this area of 40-50 thousand sq. miles. Late Shri Lal Bahadur Shastri during his visit to indore had declared that it is the first thing of Central Government policy to provide rail link in such areas and exploit the hitherto untepped wealth worth crores of rupees. I will appeal to you to extend the railway facilities to these people also. If this is done the people of that area will no longer remain backward and poor. I will also like to draw your attention to the fact that position in regard to Ajmer-Khandwa line is also static, there has been no improvement since its construction. It takes 12 hours to travel from Delhi to Ratlam, a distance of 500 miles but it takes 4 to 4½ hours to cover a distance of Just 80 miles from Ratlam to Indore. Fast trains should be introduced in this line. I appeal to you to take up all these measures in the Fourth Five Year Plan.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I will like to draw the attention of the Railway Minister to my constituency, which is the most backward area of Madhya Pradesh. Manikpur-Jhansi line, which touches my constituency, is sick-named as 'Kangal' (bankcrupt) line and in fact this area is very poor. Only, two trains are there, one in the morning and the other in the evening, that too without light, fan etc. Some two years back we were told that an Express train would be introduced but in fact the passenger train was changed into a fact passenger with the result that it started running late by 3-4 hours instead of 1/2 hour as was the earlier

In Bundelkhand, Tikamgarh is a rich producer of ginger, sugarcane, oilseeds, potato, fish, vegetables etc., Panna and Chhatarpur are abundant in forest wealth and betral leaves. Satna has rich potentialities of cement, coal etc., but none of these industries are able to foster there as the area is devoid of adequate railway facilities. All these articles are transported to other places, that too, mostly by trucks. People of the area have been demanding rail link from Lalitpur to Chhatarpur via Tikamgarh, to Panna and Satna viz Khajuraho, a famous tourist centre The railway line from Satna to Rewa, a provision for which was made in the First Five Year Plan is yet to be constructed though the Fourth Plan has started. I reguest the hon. Railway Minister to provide for these

raily links in the Fourth Plan so that the 25 lakh people of madhya region may come out of the extreme poverty and backwardness and a state may be made of the industrial development of the area.

Next I will draw your attention to the railway facilities at Newari Station, the only rail link for Tikamgarh District. There is no godown or proper storage arrangements at the station as a result of which the supplies of fertilisers, sugar, salt, foodgrains etc. meant for the people of the area rot there. A number of accidents have taken place at this station resulting in deaths of passengers. The wall of the platform should be raised as the old people and children find it difficult to board the train. The train from Jhansi for Manickpur arrives here at 9-9. 15 at night when there is no bus service for Tikamgarh and as such people find it difficult to pass the night therefor lack of sufficient accomodation in waiting room and drinking water facilities, which is restricted to 4 months in summer. All these facilities, should be provided there. I will urge upon the Railway Minister not to let the truck operators reap a rich harvest mainly on account of absence of adequate railway facilities in the area.

I will repeat in the end my request to make a provision in the Fourth Plan for the construction of Rewa and Satna railway lines via Lalitpur, Tikamgarh, Chhatarpur and Panna.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : इस विषय का हमारे निर्वाचन क्षेत्रों से सीधा सम्बन्ध है और स्थानीय प्रश्नों को उठाने के लिये यही अवसर मिलता है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि या तो समय बढ़ाया जाये अन्यथा हम देर तक बैठें।

उपाध्यक्ष महोदय : जो लोग सामान्य चर्चा में भाग ले चुके होते हैं, उन्हें प्राय: इस अवसर पर अवसर नहीं दिया जाता। अभी अध्यक्ष महोदय आने वाले हैं, यदि वे सुविधाजनक समझें, तो समय बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि हमें आज इस विषय पर चर्चा समाप्त करनी है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैंने रेलवे बोर्ड के समाप्त किये जाने का कटौती प्रस्ताव रखा है। यह संस्था अंग्रेजों के समय की है जब एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में केवल 5 अथवा 6 सदस्य होते थे जिसके कारण उन्हें अपने विभागीय अध्यक्षों की सहायता की काफी आवश्यकता रहती थी। अब तो प्रत्येक बात के लिये रेलवे मंत्री उत्तरदायी हैं। इस सभा में हमने रेलवे बोर्ड के अकुशलता, विलम्ब अन्य बातों के बारे में सुना और रेलवे बोर्ड अपने अस्तित्व के लाभ सिद्ध नहीं कर सका है। और न ही यह रेलवे मंत्री के लिये सहायक है। इसलिये में सरकार से अपील करता हूं कि इसे समाप्त कर दिया जाये, रेलवे बोर्ड ने एक नक्शा निकाला है जिसमें भारत और नेपाल के साथ उत्तर में चीन दिखाया गया, तिब्बत का नाम ब्रैकेट तक में नहीं लिखा गया है। इस नक्शे की एक प्रति मैंने मंत्री महोदय को भेजी है। मैं आशा करता हूं कि ये गलती ठीक कर दी जायेगी और भविष्य में फिर ऐसा नहीं होगा।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव गत वर्ष बनाये गये दक्षिण-मध्य जोन के बारे में है, जिससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। इसमें वाल्टेयर, गुंटकल और विजयवाड़ा डिवीजनों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि यह बहुत बड़ा हो जाता है, तो हुबली और रायचूर को इसमें से

निकाल दिया जाये। यह एक भाषायी इकाई होना चाहिए क्योंकि आजकल प्रादेशिक भाषाएं शिक्षा का माध्यम होती जा रही है और अधिकारियों के तबादले होने पर उनके बच्चों की शिक्षा में माध्यम बदल जाने से कठिनाई होती है। पहले अवसर पर मैंने डी. बी. के. रेलवे को दक्षिण जोन को सौंपने के लिये अनुरोध किया था यह सत्र समाप्त होने से पहले रेलवे मंत्री यह बता सकेंगे कि ऐसा कर दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के समय कही गयी बातों का कार्यवाही से निकाला जाना

EXPUNCTION OF REMRKS MADE BY SHRI S. M. BANERJEE IN COURSE OF PERSONAL EXPLANATION

उपाध्यक्ष महोदय :मुझे विशेषाधिकार समिति की बैठक में जाना है। मैं जाने से पहले श्री स० मो० बनर्जी द्वारा मेरी निर्धारित सीमा से बाहर बातें कहने के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे उनके वक्तव्य का पाठ अब प्राप्त हो गया है।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दीजिये और वहां पर इसे निपटाइये।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमडे) उचित यह होगा कि इसके बारे मे आप उनकी उपस्थिति में निर्णय करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही विनिर्णय दे चुका हूँ कि मैं मूल रिकार्ड मंगाकर देखूंगा और यदि पता लगा कि उन्होंने व्यैक्तिक स्पष्टीकरण करने की अनुमति देने के समय निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया है, तो मैं उन अन्शों को निकाल दूंगा। अब मैं उन वाक्यों को पढ़ुंगा।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) उन्हें अपने पहले एक वक्तव्य के बारे में भी शिकायत थी कि ऐसा उनकी अनुपस्थिति में किया गया। इसमें कोई हानि नहीं होगी यदि इसे कल तक अथवा उनके उपस्थित होने तक स्थगित रखा जाये। माननीय सदस्य को पुन: शिकायत का मौका नहीं दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी प्रकार की काल्पनिक बातों को लेकर शिकायत और व्यवस्था के प्रश्न का विषय बनाया जा सकता है। मैं पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं कि मैं रिकार्ड देखूंगा और मैंने जो अनुमति दी थी, यदि उनके द्वारा उसका उल्लंघन किये जाने का पता लगा, तो वे वाक्य निकाल दिये जायेंगे। यहां रिकार्ड मेरे सामने है। उस विनिर्णय के अनुसार दो वाक्य निकाले जाते हैं। इस बारे में वे कुछ नहीं कर सकते हैं।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : on a point of order, I will draw your attention to Rule 380 which clearly lays down

"यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से, आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।"

The Speaker is empowered to expunge any matter on these four grounds said on no other ground anything said in this House can be expunged. You just now said that you shall expunge those portions where he has exceeded the limits laid down by you when you gave him permission. My submission is that you can order expunction on these four grounds only and cannot go beyond that.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप को कानून की कुछ जानकारी है, तो शब्दों को पढ़कर आप ये महसूस करेंगे कि वे प्रत्यत्त ही मानहानिकारक हैं।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : श्रीमान् अध्यक्षपीठ का अधिकार तर्क का विषय नहीं है। यह इसलिये अन्तिम नहीं है कि यह ठीक है बल्कि इसलिये ठीक है कि यह अन्तिम है। आपने विनिर्णय दे दिया और यह अन्तिम है। सारी बात को नये सिरे से आरम्भ नहीं करने देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह रिकार्ड के लिये मैं स्पष्ट कर रहा हूं यह पूर्णत: मानहानिकारक है और मेरे द्वारा उन्हें दी गई अनुमति के बाहर है और इन्हें कार्यवाही के वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1967–68 जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY) 1967–68 Contd.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : सचिवालय में यहां कोई ऐसा व्यक्ति है, जो विशाखापतनम से बहुत नाराज है। 1963 में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का वचन दिया गया था और 1966 में इससे इन्कार कर दिया गया। जस्ता पिघलाने का एक कारखाने की भी बात थी लेकिन आय-व्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कहा गया है कि इसको शामिल नहीं किया जा सका। विशाखापतनम में सूखी गोदी के लिये 50 लाख रुपये नियत किये गये थे परन्तु 15 लाख खर्च किये जाने के बाद अचानक इस कार्य को बन्द कर दिया गया। वाल्टेयर स्टेशन का काम भी अध बीच में छोड़ दिया गया इस पाप को धोने के लिये वाल्टेयर स्टेशन की पहले से कहीं अधिक भव्य इमारत बनानी चाहिए, जो भारत की सर्व श्रेष्ठ इमारतों में से एक हो।

[**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharyya *in the Chair*]

रेलवे कर्मचारियों की शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने के लिये उचित व्यवस्था नहीं है। वे संसद सदस्यों के पास नहीं जा सकते। वर्तमान व्यवस्था इतनी जटिल और समय लेने वाली है कि लोक क्षुब्ध हो जाते हैं। इसके लिये प्रशासन से भिन्न एक अधिकारी होना चाहिए

जो दोनों की बातें सुनकर शीघ्र ही निष्पक्ष सलाह दे। न तो अधिकारियों के लिए और नहीं संसद सदस्यों के लिये प्रतिदिन उनकी शिकायतें सुनना शोभाजनक है। यात्रि सुविधाएं लगभग नगण्य हैं, इसके बारे में सर्वसम्मति है। उत्तर भारत में प्लेटफार्मों पर भीड़ होगी परन्तु विजयवाडा में सभी संसद सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि देखें वहां पर कितनी भीड़, गन्दगी है तथा सुविधाओं का अभाव है। यात्रि सुविधाएं हम दान के रूप में नहीं मांगते बल्कि ये हमारा अधिकार है। 89 प्रतिशत आय तीसरे श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त होती है, फिर उनके लिये प्रतिक्षालय क्यों नहीं है, केवल पहली और दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये ही क्यों है। हम चुनाव के तमाम उनके वोटों की भीख मांगते हैं और बाद में गन्दे कपड़े की तरह व्यवहार करना उचित नहीं है। श्री पुनाचा के रेलवे मंत्री बनने के बाद कुछ सुधार हुआ है। मैं सुझाव दूंगा कि भारत में ए. बच्चों के लिये एक स्पेशल गाड़ी होनी चाहिए, शिक्षा संस्थाएं से न छोड़ने से पहले छात्रों को इस गाड़ी में भारत भ्रमण की न केवल निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था अपितु खाने-पीने रहने आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए: आपने संसद सदस्यों को भारत भ्रमण की सुविधा दी है लेकिन अन्य चीजों के महंगी होने के कारण 70 प्रतिशत उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।

Shri P. G. Sen (Purnea) : Although I well come the railway budget yet I would say that increase in the fares would bring hardships to the common man.

It will be appreciable job if the hon. Minister succeeds in removing over crowding in the trains. Dhanbad and Bubhneshwar Bogies should not be attached to the Assam Mail. Diesal should be used in the Assam Mail.

Atleast all shuttle train should be started in the Kumaos Section. In addition to be a railway district Katihar is also a big business centre. Common man has to visit Katihar to purchase their necessities. Therefore, there is a necessity for introducing some more trains.

Railway line from Baroni to Jogbeni should be converted into broad guage.

Difference in the food prices supplied by the catering department of railway invarious zones is not justified. In northern zone they charge high prices.

With these words, I thank the chair for providing me an opportunity to speak.

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : इस समय रेलवे में तीन निर्माण सम्बन्धी एकक, एक विकास संगठन ओर इनके ऊपर रेलवे मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड काम कर रहे हैं।

जहां तक रेलवे बोर्ड का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इसमें बहुत विलम्ब होता है और जनरल मैनेजर से आने वाले पत्र यहां पर पड़े रहते हैं। मेरा सुझाव है कि रेलवे बोर्ड को समाप्त कर इस कार्य को रेलवे के जनरल मैनेजरों में बांट दिया जाये। इससे जनरल मैनेजर यह महसूस करेंगे कि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और कार्य का शीघ्र निपटान करेंगे। इस प्रकार रेलवे में कार्यकुशलता बढ़ेगी।

मार्च में दिये गये मरम्मत तथा रखरखाव के प्राक्कलनों तथा इस समय प्रस्तावित प्राक्कलनों में अन्तर है। ऐसा कहा गया है कि यह अन्तर इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण है। मंत्री

महोदय के भाषण से पता लगता है कि इस समय कम यातायात की आशा है। यदि यह ठीक है तो इसके फलस्वरूप मरम्मत आदि पर भी कम व्यय होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बात की जांच करें कि 70 लाख रुपये की वृद्धि के क्या कारण हैं।

इस समय देश में चार रेलवे सेवा आयोग हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय समूचे देश में रेलवे के लिए एक सेवा आयोग की सम्भावना पर विचार करे। इससे रुपये में बचत होगी।

इस वर्ष कोयला आदि पर 17.5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। यदि अच्छे नियंत्रण तथा अच्छी खरीद से एक प्रतिशत की भी बचत की जाये तो 17.5 लाख की बचत की जा सकती है।

वस्तुओं के गुम हो जाने तथा उनको क्षति पहुंचने के बारे में सरकार को प्रोत्साहन योजना पर विचार करना चाहिये। मेरे विचार में वस्तुओं को गाड़ी में उतारने तथा उनमें चढ़ाने के समय ही वस्तुओं को क्षति पहुँचती है। यदि इस काम से सम्बन्धित कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाये तो वे अधिक सावधानी से काम करेंगे तथा तोड़-फोड़ कम होगी।

जहां तक विभागीय कैंटीनों का सम्बन्ध है इस वर्ष छः करोड़ रुपये की बिक्री तथा 3.40 लाख रुपये की हानि का अनुमान है। मेरा सुझाव यह है कि यदि रेलवे इनको मुनाफे पर नहीं चला सकता तो इनको गैर-सरकारी लोगों के हाथ सौंप देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

भारत-पुर्तगीज रेलवे के जिन कर्मचारियों को भारतीय रेलवे में काम पर ले लिया गया था उनका रेलवे बोर्ड के साथ काफी समय से सेवा की शर्तों के बारे में झगड़ा चल रहा है। मंत्री महोदय को इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

गोआ में 75 लाख टन लोह अयस्क का उत्पादन होता है परन्तु इसमें से रेलवे केवल 5 लाख टन लोह अयस्क ही ढोती है। इसलिए एक नई रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता है। यदि इस वर्ष ऐसा करना सम्भव नहीं है तो अगले वर्ष मंत्री महोदय को इस कार्य को हाथ में लेने पर विचार करना चाहिए।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सामान्य जनता पर बोझ डालने के बजाये उनको स्वयं रेलवे में बचत करनी चाहिए।

श्री मि० सू० मूर्ति (अनकापल्लि) : हमने कई बार वाल्टेयर से टूनी तक एक शट्ल रेलगाड़ी चलाने की प्रार्थना की है जिससे कि विशाखापतनम् को सब्जी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजी जा सकें। परन्तु इस प्रार्थना को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वहां पर लाईन क्षमता नहीं है। जब टूनी से अन्य स्थानों के लिये रेलगाड़ियां चलती हैं तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वाल्टेयर से टूनी तक लाइन क्षमता नहीं है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

सुकमा से पोलावाम तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस लाइन को शीघ्र बिछा दिया जाना चाहिए–जिससे कि लोह-अयस्क का निर्यात किया जा सके।

भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने भोंगलो से हैदराबाद तक रेलवे लाइन बिछाने का वचन दिया था। नग नगरजूनासागर परियोजना शीघ्र ही पूरी होने वाली है अतः यहां से दक्षिण को खाद्यान्न भेजने के लिये लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्य को अभी से आरम्भ किया जाना चाहिए। अभी भी आन्ध्र प्रदेश से केरल को खाद्यान्न भेजने में बड़ी कठिनाई हो रही है।

समुदाय परियोजना के अन्तर्गत ग्रामों को मिलाने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। परन्तु कई सड़कें रेलवे से गुजर कर जाती हैं। इस कारण वहां पर फाटक बनाने के लिए जब रेलवे को कहा जाता है तो वह 8,000 रुपये की मांग करते हैं, जो बहुत अनुचित है।

विजयवाड़ा-वाल्टेर सैक्शन में नायवरण और ग्लूपाडू के बीच रेलवे फाटक को बन्द कर दिया गया है जिससे लोगों को बहुत कठिनाई का सामना हो रहा है। वहां दूसरा रेलवे फाटक बनाया जाना चाहिए।

विभागीय खानपान के प्रबन्ध के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें हैं। यदि इसको अच्छी प्रकार नहीं चलाया जा सकता तो इस विभाग को बन्द कर दिया जाना चाहिए और गैर-सरकारी लोगों के हाथ इस प्रबन्ध को सौंप दिया जाना चाहिए।

पुरी से हैदराबाद पहुंचने में 26 घंटे लगते हैं। इसलिए इस लाइन पर रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाया जाना चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए।

श्री श्रीराज मेघराजजी धरंगधरा (सुरेन्द्रनगर) : भुण्ड-धरंगधरा-कांडला को रेलवे सम्पर्क की मंजूरी 1964 में दी गई थी तथा इस कार्य को आरम्भ किया गया था। इस कार्य को अक्तूबर, 1969 में पूरा होना है। इस मार्ग के चयन का मुख्य कारण शायद धरंगधरा रेलवे स्टेशन पर भारी यातायात का होना है। यह स्टेशन मीटर गेज लाइन पर स्थित है। 1964 में भूतपूर्व रेलवे मंत्री श्री पाटिल ने आश्वासन दिया था कि इस कार्य का यथासम्भव तेज गति से चलाया जायेगा। भुण्ड-काण्डला लाईन को एक ही साथ पूरा करने का कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत 35 मील लम्बी धरंगधरा-भुण्ड लाइन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि इस क्षेत्र में रेल परिवहन की सुविधायें उपलब्ध की जायें तो यहां औद्योगिक विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। इससे लवन तथा रसायन उद्योग और सैनिक सामान के परिवहन में भी पर्याप्त सहायता मिलेगी तथा उनको सुविधा होगी। धरंगधरा एक ब्रिगेड मुख्यालय भी है। मुझे विश्वास है कि यदि धरंगधरा-भुण्ड सैक्शन का कार्य ठीक ढंग से किया जाये तो यह कार्य इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जाना चाहिए।

मोखी-हलवाड़ रेलवे लाइन के बिछाने का कार्य 1958 में पूरा होना चाहिए था। मैंने इस ओर 1963 में सरकार का ध्यान दिलाया था। परन्तु इस परियोजना की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है, यद्यपि सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी, इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। यह दूरी केवल 32 मील की है जिसमें आधे मार्ग में छोटी लाइन है।

मैंने 1964 में जोड़िया-शाहपुरा-सुस्वाद-हल्वाड़ को रेलवे लाइन से मिलाने के लिए प्रस्ताव दिया था। परन्तु रेलवे अधिकारी इस सैक्शन की निरन्तर उपेक्षा कर रहे हैं। इस योजना को तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए। इससे नवलाखी पत्तन का गुजरात राज्य से सीधा सम्बन्ध हो जावेगा। इससे नवलाखी, विरमगांव और अहमदाबाद के बीच दूरी भी कम हो जायेगी।

कुडा और निमकनगर की सड़क को रेलवे से गुजर कर जाना पड़ता है, परन्तु वहां पर रेलवे का कोई फाटक नहीं है। इससे बड़ी कठिनाई होती है। अतः यहां पर एक रेलवे फाटक तुरन्त बनाया जाना चाहिए।

Shri Sayyad Ali (Jalgaon) : Account should be maintained for the coal ash. If should also been seen whether any revenues can be had from the coal ash. Pilferage of the **'Kulaza'** should be checked.

The number of trains should be increased to avoid over crowding. One more train between Almner and Jalgaon should be introduced which may run during day time.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Railway Planning lack for sightedness. Steam engines have become surplus with us and we are looking markets for them whereas diesal and electric engines are being imported. Railway should have started manufacturing these engines alongwith the steam engines.

More third class compartments could have been manufactured and provided to the different railways but this aspect has been neglected. More amenities should be provided to the passengers of this class which contribute major portion of the railway revenues.

The railways nave suffered a great loss due to a competition with road transport. Road transport is earning profit because they take care in handling the goods and that is the reason why people prefer to send their goods through road transport. Necessary steps should be taken to improve the rail transport. In this way loss can be made good.

Railway should also undertake research work to invent new things. In this way we will be able to keep peace with the world and secondly we will not have to depend on foreign countries for necessities. We will also be able to save foreign exchange.

Sindu rail link between Sahadra and Saharanpur should be nationalised.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

Proposed in regard to the Hastinapur-Mewara railway line should be implemented. It will help a lot to the farmers of this area.

A new train between Meerut and Allahabad via Lucknow should be introduced to facilitate the people to attend the High Court proceedings Double line should be laid between Delhi and Meerut.

The shuttle train already running between Delhi and Ghaziabad should be extended upto Meerut, Diesal Cars should also be introduced between Delhi and Meerut to cope with the rush,

The hon. Minister should also reconsider the question of increase in the fare of the monthly ticket takers.

The proposal of running railway around Delhi should also be implemented,

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : रेलवे में महिला यात्रियों को अधिक सुविधायें दी जानी चाहिए। बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को नीचे की सीटें दी जानी चाहिए।

रेलवे लाइनें बिछाने के मामले में आंध्र प्रदेश की उपेक्षा की गई है।

आंध्र प्रदेश को केवल वही रेलवे लाइन दी जाती है जो उत्तर भारत को मद्रास से मिलाये, अन्य नहीं। वहां अधिक रेलवे लाइनों की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वहां से अन्न भारत के विभिन्न प्रदेशों में भेजा जा सकता है। हमने बार-बार कहा है कि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यह प्रश्न बार-बार किया गया है कि रेलवे बोर्ड को शिकायत है कि रेल के डिब्बों का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है; क्योंकि उनकी मांग कम है। उसके विरुद्ध यह शिकायतें भी मिली हैं कि रेलवे के पास डिब्बों की कमी है और इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिंगारेनी कोयला खान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, उन्होंने ऐसी ही शिकायत मेरे पास लिखकर भेजी और जब मैंने यह बात रेलवे बोर्ड के सचिव के पास भेजी तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि यह शिकायत दूर हो जायेगी परन्तु अभी तीन-चार दिन पूर्व मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में थी तो वही शिकायत फिर मेरे सामने रखी गई। कोयले के ढेर वहां पड़े हैं और कर्मचारियों को डर है कि उन्हें रोजगार से निकाल दिया जायेगा। अब सिंगारेनी कोयला के ग्राहक दूसरे स्थानों से कोयला प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

मेरी एक प्रार्थना आप से यह है अलन्तनपेट के रेलवे स्टेशन पर एक टिकट जारी करने की खिड़की खोल दी जाये, क्योंकि उसके न होने के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा रहती है।

पहले श्री राम नवमी के अवसर पर हैदराबाद तथा विजयवाड़ा से भद्राचलमरोड़ स्टेशन तक के लिए विशेष डिब्बे लगा दिये जाते थे, परन्तु इस वर्ष ऐसा नहीं किया गया है। इसके कारण यात्रियों को बहुत असुविधा हुई है।

मदुरै में ऊपर का कोई पुल न होने के कारण लोगों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है।

तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा करने वालों को बहुत दुःख उठाना पड़ता है और उन्हें अधिक सुविधा देने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में गांधी जी ने जो बात पहले कही थी वह आज भी उतनी ही आवश्यक है। मैं तो चाहती हूं कि अधिक संसत्सदस्य तीसरे दर्जे में रेलों में यात्रा करें और देखें कि उन्हें कोई सुविधा दी जा रही है अथवा नहीं।

Shri Shinkra (Panjum) : Goa is a small area yet it is providing the country with Rs. 45 crores of foreign exchange and 7½ million tonnes of manganese ore and iron ore. I would therefore request the Railway Minister to pay more attention to Goa,

People in Goa used to call the railways as "Baugda railway" which means that passengers used to be huddled into compartments like fish, If we are provided with better and more railways Goa can earn Rs. 90/– crores as foreign exchange, I therefore do not want anything for Goa but I want it for India,

The metre gauge line should be converted into broad guage like and the track should be doubled so that the volume of transport may be inerease. There is no paucity of road transport in Goa but we badly need railways.

We have requested for a new railway line from Gunji to Savantvadi through Goa. This suggestion was put foward not by me but Shri S. K. Patil before the elections.

The Minister should do something for Goa otherwise the impression is gaining ground there that Goa is being neglected and exploited. Marmagoa is a part of international importance and vascoge game is an important city. It is therefore essential to do something for the development of the port and the railway station there.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : During the time of Rajas Rajasthan was very backward from the point of view of transport facilities. This was specially in regard to the area where Adivasis live.

The late Shri Lal Bahadur Shastri when he was Railway Minister and after him Shri Jagjiwan Ram and Dr. Ram Subhag Singh gave assurances for the construction of railway line between Chittorgarh and Kotah but it has not yet been done. If one travels between Chittorgarh and Kotah, one has to take a circuitous route of 60–70 miles. I therefore vehemently appeal that a railway line should be constructed in that area as survey for the same has already been done.

The area of Doongarpur, Basvada & Partapgarh is inhabited by 15 lakh adivasis and is of vital importance from the point of view of natural resources but the people there have never even seen a railway line. I therefore suggest that a small gauge railway line should be constructed from Basavada to Ratlam via Partapgarh.

Even important cities of Rajsthan like Jaipur which is the Capital of Rajasthan and Jodhpur, Bikaner and Udaipur are not connected by broad gauge but metre gauge. People have to suffer great hardships due to this.

I also request that the sleeping coach facilities should be provided in trains running between Delhi and Udaipur.

I would again request for the construction of a railway line from Chittorgarh to Kotah,

श्री पं० गोपालन (तेल्लीचेरी) : रेल सुविधाओं के मामले में केरल की बहुत अवहेलना की गई है। भारत में प्रति एक लाख व्यक्तियों के लिए औसत रेलवे 15.2 किलोमीटर है परन्तु केरल में यह अनुपात केवल 4 किलोमीटर आता है। मद्रास में 4000 किलोमीटर में रेलवे लाइनें हैं तथा मैसूर और आंध्रप्रदेश में अलग-अलग 2500 किलोमीटर रेलवे लाइनें हैं।

इन आंकड़ों से पता चल जायेगा कि केरल के साथ रेलवे पटरियों के बारे में कितना अन्याय किया गया है ।

{श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए}
{Shri C.K. Bhattacharya *in the Chair*}

केरल में ओलावाकोट के स्थान पर जो एक सिगनल कार्यालय कार्य कर रहा था उसे वहां से बदलकर मद्रास राज्य में पोदानूर नामक स्थान पर ले जाया गया है । इसके कारण का पता नहीं है ।

हाल ही में केरल में कोई रेल पटरी नहीं बनाई गई है ।

हम बहुत समय से कह रहे हैं कि केरल को मैसूर से रेलवे द्वारा मिलाया जाये और यह केवल लगभग 90 मील की पटरी होगी परन्तु इससे केरल से दिल्ली आने के लिए 400 मील की यात्रा कम हो जायेगी । वहां जो जंगलों में वस्तुएं उत्पन्न होती हैं तथा जिनसे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की जाती है वह भी प्राप्त होगी । श्री लालबहादुर शास्त्रीजी जब रेलवे मंत्री थे तो एक आश्वासन दिया था कि केरल को मैसूर से रेल द्वारा मिला दिया जायेगा और एक सर्वेक्षण का आदेश भी दे दिया था, परन्तु पता नहीं उसका क्या बना ।

एरनाकुलम के उत्तर में बड़ी लाईन है और उसके दक्षिण में केवल मीटर गेज । इस कारण वहां एक ओर की रेलों से दूसरी ओर की रेलों में सामान उतारने तथा लादने में बड़ी कठिनाई और समय लगता है । केरल की राज्य सरकार तथा दक्षिण के लोगों ने कहा है कि वहां बड़ी रेल की पटरी बनाई जाये और मैं चाहता हूं कि यह मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये। केरल के लोगों के साथ इस मामले में जो अन्याय हो रहा है उसे अब समाप्त किया जाये ।

Shri Mahadev Prasad (Maharajganj) : In the Railway Time-Table they have published a photo of Gandhiji. I do not Know what is the intention in doing so.

The new Chairman of the Railway Board soon after his taking over as Chairman and in the midst of last general election increased the railway fares. He did not even wait till the new Railway Minister takes over the charge.

I want to know who is supreme, whether the Railway Minister or the Chairman of the Railway Board. One of them is superfluous. This office should be closed.

Some hon. members have complained about the rise in fares and freights. I think this all due to bad management. If you look at the ostentation in which the General Managers of railways line and travel in their saloons you will realise why there is so much of inefficiency in the railways. I belong to Gorakhpur where there is a railway workshop. But I have seen knives and forks being manufactured there for the use of railway officials.

The General Manager of the Northern Railway has never cared even to acknowledge the letters which I send to him regarding the complaints of railway employees. In one case he even conceded that injustice had been d. ne, yet he pleaded that no special injustice had been done and so no action could be taken in that case.

I wrote a letter for a dispensary for railway employees whose number is more than one thousand; but he turned it down on the ground that there is a dispensary about 78 kilometres away from there and that there is a dispensary set up by the sugar factory and the district board.

I want more trains to be run on the Siswa and Navtanwa line as there is so much of over crowding there.

At a time when there is a foodgrains crisis in the country. The railways can contribute a lot to solve it.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : रेलवे मन्त्री का कहना है कि किराये से 13 करोड़ रुपये की आय कम होगी । उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा है कि किराये की आय से 13 करोड़ रु० की कम आय होने का अनुमान है और यात्रियों के किराये से 20 करोड़ रु० की आय कम होने का अनुमान है । परन्तु साथ ही उन्होंने अपने श्वेत पत्र में यह लिखा है कि यातायात की मात्रा अधिक होगी । क्या मंत्री महोदय ने इन दो परस्पर बातों की तुलना करके देखी है कि कौन-सी बात ठीक है ?

आय में कमी के लिए मंत्रीजी ने केवल दो महीनों में जो कमी हुई है उसका आधार लिया है । क्या वर्ष के दो महीनों के ऊपर वह अपने मामले को आधारित कर सकते हैं ? उन्होंने वित्त मंत्री के बजट से क्यों नहीं तुलना की जिन्हें सब प्रकार के करों से अधिक आय होने का अनुमान है ?

फिर एक ओर तो वह आय में कमी कहते हैं और दूसरी ओर अनुमान लगा रहे हैं कि 39 से 40 करोड़ रु० की अधिक आय होगी । मंत्रीजी को यह भी याद रखना चाहिये कि 1962 के बाद से किरायों में तीन बार परिवर्तन किया है तथा भाड़े में 1963 के बाद से तीन बार परिवर्तन किया है । इसका निर्धन जनता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

रेलवे मंत्री ने अपने उन कर्मचारियों को जो अस्थाई रूप में रखे गये थे स्थाई रूप से रख लिया है । इसको वह इस बात से कैसे मिलायेंगे कि भर्ती बंद करदी है ? उन्होंने अपने कर्मचारियों की सुविधा को बढ़ा दिया है, परन्तु क्या यह भी सोचा है कि ऐसी सुविधा वित्त मंत्री दूसरे कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे हैं तथा इसका बोझ जनता पर पड़ता है ? रेल कर्मचारियों को अधिक वेतन देने का कोई विरोध नहीं करता परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वह गरीब लोगों की जेब से जाता है जिनकी रेलों में भीड़ लगी रहती है । क्या फिर ऐसा करना उचित है ? क्या यह समाजवाद है ? मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि ऊपर के पुल बनाये जायें परन्तु वह भूल जाते हैं कि जब तक हम अपना निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं करते तथा वर्तमान मांगों को पूरा नहीं करते, ऐसा करना देश के हित में नहीं है ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ । मैं आसाम के सदस्यों की इस मांग को दोहराता हूं कि पहले चरण में जोघीघोपा से

गोहाटी तक बड़ी लाइन कर दी जाये तथा दूसरे चरण में इसे बढ़ा कर तिनसुकिया तक ले जाया जाये । हमारा उद्देश्य इनके वहां तक बढ़ाने में आर्थिक विकास के अतिरिक्त सुरक्षा की भी मांग है ।

मेरी दूसरी मांग यह है कि उत्तरी सीमा रेलवे की चपरमुख–सिल्घट तथा कटाखल-तालाबाजार रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । उनकी वर्तमान अवधि शीघ्र समाप्त होने वाली है ।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि यात्रियों को, विशेषकर तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधायें दी जायें । आसाम मेल में अधिक सोने के डिब्बे लगाये जायें ।

उत्तरी सीमा रेलवे पर कर्मचारियों के लिए अधिक क्वार्टर बनाये जायें क्योंकि जो वहां कच्चे क्वार्टर हैं, वह रहने के योग्य नहीं हैं ।

उत्तरी सीमा रेलवे में अधिकारियों का जल्दी-जल्दी बदलना युद्ध नीति संबंधी दृष्टि से ठीक नहीं है ।

इस सुझाव पर विचार किया जाये कि आसाम को आने-जाने वाले यातायात में सुविधा दी जाये ताकि वहां की अर्थ व्यवस्था को अधिक हानि न पहुंचे ।

मैं पुनः रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I will speak mainly about the railway problems in Delhi. But before doing that I may say a few words about dissatisfaction in the railway staff. The freights and fares in the railways have also been raised.

I want the hon. minister to appoint a sub-committee or set up a Machinery which may make a thorough enquiry into the working of railway department as to why there is discontentment in matters of promotion, seniority and pay-scales etc. and make efforts to remove the same. If that is not done, I am afraid the deficit in the railway budget will increase year after year.

About the railway problems of Delhi I want the hon. minister to look into the conditions of the railway colonies in Delhi especially thoes located in Paharganj and Subzimandi. You will not find a worse slum than this.

Some shanties are set up along the railway line in Delhi. They may indulge in all sorts of activities which may later on result in railway accident, Hence the same may be removed.

More quarters should be provided for railway staff in Delhi.

Some phased programme should be checked out so that over bridges on railway crossings may be made in Delhi as there is great jam of traffic at railway crossings.

The Minister should fix a target about the construction of a ring railway in Delhi as that is the only way to solve the traffic problems of Delhi. Later on it may become difficult to carry out such a programme,

A railway station should be constructed near Shaktinagar. The Subzimandi station is not in a position to meet the full demand of people there.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरा सुझाव यह है कि कन्याकुमारी को तिन्नेवेली, त्रिवेन्दरम तथा मद्रास से मिला दिया जाये क्योंकि वह स्थान न केवल दक्षिण भारत के लोगों के लिए पवित्र है बल्कि सारे भारत के लिए पवित्र स्थान है ।

हैदराबाद से मुझे विशेष प्यार है और मैं चाहता हूं कि इसे भारत के सब मुख्य स्थानों से रेल द्वारा जोड़ दिया जाये ।

रेलवे विभाग में बहुत अधिक संख्या में श्रेणियां है । एक वेतन आयोग नियुक्त किया जाये जो सब श्रेणियों के वर्तमान वेतन के ढांचे में सुधार करें ।

रेलवे के कुली के साथ वह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जो इस समय किया जाता है । उन्हें मानव समझना चाहिए ।

मन्त्रीगण तो बदलते रहते हैं, परन्तु रेलवे बोर्ड के सदस्य नहीं बदलते । वे रेलवे की परम्परा तथा प्रशासन सेवा में दक्षता के प्रतीक हैं । परन्तु मैं चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड का लोकतांत्रिक तरीके से विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और उन सबको रेल भवन में ही नहीं बैठना चाहिए ।

जमालपुर कारखाने में फोरमैन को अच्छा स्थान तथा अधिक वेतन मिलना चाहिए ।

मंत्री महोदय केवल पहले दर्जे के यात्रियों का ही नहीं, बल्कि तीसरे दर्जे के यात्रियों का भी ध्यान रखना चाहिये । मन्त्री महोदय को तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधा के बारे में एक आयोग अभी नियुक्त करना चाहिये ।

यह पता नहीं है कि उत्तरी रेलवे के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? यह कहा जाता है कि पठानकोट से श्रीनगर तक रेलवे लाइन स्थापित करने में 400 वर्ष लगेंगे । यह ठीक नहीं है ।

मेरी प्रार्थना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तंगू नाम के स्थान पर शीघ्र ही एक ऊपर का पुल बनाया जाये । इसी प्रकार श्री हरगोबिन्दपुर को रेल द्वारा गुरदासपुर से मिलाया जाये । रेलवे को चाहिए कि रेलों में इतनी सुविधायें दें कि जो व्यक्ति रेल में यात्रा करते हैं वे इस यात्रा को आनन्ददायक समझें । देश के एकीकरण के बारे में यह वास्तविक पग होगा ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभगसिंह) : सरकार ने सभा के कार्य पर पुनः विचार किया है । कल 23 जून को सरकारी कार्यक्रम इस प्रकार होगा :

(1) विचार तथा पारित करने के लिए कम्पनी अधिकरण (उत्पादन) विधेयक ।

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल विधेयक का संयुक्त समिति को सौंपना ।

अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1967–68 जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1967-68 (Contd)

श्री कं० हाल्दर (मथुरापुर) : प्रति वर्ष रेल के किराये तो बढ़ते जाते हैं परन्तु यात्रियों की कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही हैं । इसका कारण यह है कि गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है । पूर्वी रेलवे के सियालदाह तथा हावड़ा खण्डों में सबसे अधिक यातायात रहता है और गाड़ियों में स्थान की कमी के कारण कई बार झगड़ा होता रहता है । मेरी प्रार्थना है कि रेलों की संख्या बढ़ाई जाये अथवा वर्तमान रेलों में यात्रा करने का स्थान बढ़ाया जाये ।

कंचरापाड़ा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, परन्तु उन्हें 'क' श्रेणी के नगरों में रहने का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जाता । उन्हें भी इसी प्रकार भत्ता मिलना चाहिए जैसे कि बम्बई में थाना तथा कौलन स्थान पर कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों को दिया जाता है ।

कुछ डिब्बों में तो बैठने के लिए लकड़ी के स्थान भी नहीं है । रेक्सीन की सीटें न होने का कारण यह दिया जाता है कि उनकी चोरी हो जाती है । मैं प्रार्थना करूंगा कि यात्रियों के लिए बैठने का स्थान दिया जाये ।

संचार की व्यवस्था न केवल आसाम तथा त्रिपुरा में दी जाये, बल्कि अन्य सीमा के राज्यों में भी उपलब्ध कराई जाये । रेल कर्मचारियों के वेतन तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार किया जाये । सरकार ने जब किराया बढ़ाया हुआ है तो सुविधायें भी बढ़ाई जायें ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूचबिहार) : रेलवे मंत्री अपने बजट का संतुलन हमेशा अधिक किराया बढ़ाकर करते हैं । 1963-64 में रेल का किराया 7 पैसे बढ़ाया, परन्तु वास्तविक आय तीसरे दर्जे के यात्रियों से 1963–64 में 182 करोड़ रु० हुई, जबकि यह आय 1962–63 में 111 करोड़ रु० थी । इससे पता चलता है कि तीसरे दर्जे का किराया बढ़ाने से आय में बहुत अन्तर पड़ा । 1962–63 में तीसरे दर्जे में 8,022 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की और 1963–64 में 8,448 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की । इसका अर्थ यह हुआ कि अधिक यात्रियों द्वारा यात्रा करने से आय अधिक हो गई है । यह अनुमान लगाना ठीक नहीं है कि तीसरे दर्जे का किराया बढ़ाने से आय अधिक हुई है । यह तो तीसरे दर्जे में अधिक यात्रियों के यात्रा करने से अधिक आय हुई है ।

मंत्री महोदय को अपने बजट में अर्थ संबधी उपाय करके उसे संतुलित करना चाहिए, न कि किराया बढ़ा के ।

हम देखते हैं कि रेलवे के विभाग तथा रेलवे बोर्ड में भ्रष्टाचार है। एक ठेकेदार ने टेंडर भी नहीं दिया था परन्तु उसे 52 लाख रु० के कार्य का ठेका दे दिया। यह कार्य उसे एक और रेलवे के विभाग ने नहीं दिया था। हमें बताया जाये कि जिस अधिकारी ने ऐसा किया उसे क्या दंड दिया गया, तथा रेलवे के विभाग को 3.72 लाख रु० का घाटा देने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

शायद उत्तर पूर्व सीमा रेलवे, रेलवे के विभाग में सबसे खराब ढंग पर चलाई जा रही है। विशेष रूप से वहां तीसरे दर्जे के यात्रियों की स्थिति खराब है और उनकी संख्या 87 प्रतिशत के लगभग है। इस रेलवे पर संचार की दृष्टि से विशेष ध्यान देना चाहिए।

कूच बिहार में $1\frac{1}{2}$ करोड़ रु० का तम्बाकू तथा लगभग 80 लाख रु० का पटसन उत्पन्न होता है, परन्तु मुझे सन्देह है कि इसमें से 5 प्रतिशत भी रेलों द्वारा भेजा जाता है। सरकार उत्तर देगी कि यह कर्मचारियों के कम होने के कारण हैं। मेरी मंत्रीजी से प्रार्थना है कि अधिक कर्मचारी नियुक्त कीजिये।

मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना भी करूंगा कि कूच बिहार में तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधायें दी जाये तथा सब यात्रियों के लिए अच्छे स्थान का प्रबन्ध किया जाये।

Shri Meetha Lal (Sawai Madhopur) : I would like to draw the attention of the hon. Minister to my cut motions Nos. 421, 422 and 496 to 502.

A new rail line should be laid between Mathrura and Gangapur city via Karoli to facilitate the transportation of stones. In 1952 Shri Lal Bahadur Shastri promised to provide a railway line between Gangapur city and Dausa but nothing has been done in this regard so far.

The staff of the Khandip station has recently been reduced this has resulted in the apprehension in the minds of the employees there that the station is being abolished. This fear should be removed from the minds of the people.

There is shortage of good drinking water on almost all the stations from Sawai Madhopur to Jaipur, Arrangement should be made for providing good water on this route,

Sheds should be c nstructed in the Gangapur city station as there is no shed at present. A Degree College should also be opened in this city.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : I think you for the opportunity you have providid me to speak on the cut motions,

More amenities such a fans, light should be provided in the third class compartments. Although the fares are being raised yet no attention is being paid to provide amenities to the passengers,

A new railway line should be laid between Do blighat and Sabjanma because the labourers working in the handloom industry of this area are facing great difficulty. A halt should also be provided at Charichori railway station to the Allahabad-Gorakhpur express train. With these words I conclude.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : So far as the railways are concerned the area from west Bihar to eastern Uttar Pradesh has been neglected. I would request the hon. Minister to convert a metre guage line from Banaras to Samastipur into broad guage line.

The train running from Allahabad to Katihar should be extended upto Assam because people have to wait at Katihar for four hours to catch the train for Assam.

Halt stations should be provided at Sanura, Chhata and Dalchhapra, It will solve the problem of chain pulling in this section.

The question of providing one over bridge at Balia has been hanging for the last ten years. The hon. Minister should pay attention to this question.

Shri Manibhai J. Patel (Damoh) : Some accommodation in the Third, Second and First class compartments should be reserved for the foreign tourists as they face lot of difficulty while travelling.

The hon. Minister should pay attention to connect Delhi with Bombay via Sagar, Lalitpur and Chhattarpur, Khajurao, Lalitpur and Panna should also be connected with rail so that the minerals of the area can be exploited to the advantage of that area.

There is distance of only 45 miles between Khandwa and Khargaon. Requests have been made many times by the traders to link these two cities by rail line. I would, therefore, request the hon. Minister to provide railway line here.

श्री सांगवने (पढंरपुर): शोलापुर डिविजन का पुनर्गठन किया जाना चाहिए क्योंकि इस बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है कि रेलगाड़ियां देर से चलती हैं और कार्य संचालन में भी कठिनाई होती है।

रेलवे बोर्ड में चेयरमैन का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए और स्वयं मंत्री महोदय को चेयरमैन का कार्य करना चाहिए।

लाटूर से कुदवाडी होती सिराज जाने वाली नेरोगेज लाइन को बड़ी लाइन अथवा कम से कम मीटर गेज लाइन में अवश्य परिवर्तित किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को खानपान संस्थान दिये जाने चाहिए। पिछले वर्ग के लोगों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : जब हम संसद भवन में रेलवे के रक्षण कार्यालय में जाते है तो वहां लोक सभा सचिवालय के चपरासी तथा अन्य कर्मचारी बैठे होते हैं; जिससे हम लोगों को आधा आधा घण्टा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बाहर के लोग इस कार्यालय से लाभ उठाते है परन्तु संसद सदस्यों को कई कई दिन तक स्थान नहीं मिलता। मंत्री महोदय को इस बारे में जांच करनी चाहिए।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : There is no railway line between Gurgaon to Alwar. The hon. Minister should pay attention to provide a railway line there,

Secondly Chandigarh should be brought on the main line.

Thirdly Hissar should be directly linked with Delhi via Rohtak.

Attempts should also be made to connect Kashmir valley with rail line.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

Shri Abdul Ghani Dar : Just one minute, Sir, corruption is rampant in the Railway Board. Every station has its own price according to the income.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल गनी दार : चेयरमैन साहब... ....

सभापति महोदय : यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री अब्दुल गनी दार : *

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The Government should construct three over-bridges in Ujjain to cope with the rush of the Kumbh fair which is likely to be held there next year.

Well-stitched and white uniforms should be supplied to the Travelling Ticket Examiners in the Railways.

36 to 40 tons of cement is being loaded in the railway wagons at Sawai Madhopur Cement factory–instead of 22 tons. It results in great loss to the railway. I would, therefore, request the hon. Minister to look into this metter.

Keeping in view the rush a parcel train should be started for Dehradun or atleast five Bogies should be attached to the train coming from Bombay.

Shri Abdul Ghani Dar : As the opportunity has not been provided to me to speak on the corruption in Railway Board I stage a walk out from the House.

(इसके पश्चात श्री अब्दुल गनी दार सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Abdul Ghani Dar then left the House.)

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

13 करोड़ रुपये का जो घाटा दिखाया गया है वास्तव में वह घाटा गत वर्ष का है। इस वर्ष 85 लाख टन अधिक माल के परिवहन का अनुमान लगाया गया है तथा उसी के

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* Not recorded.

आधार पर आय-व्ययक तैयार किया गया है। इस वर्ष इस्पात के मूल्यों तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि तथा कार्य लागत के अधिक हो जाने के फलस्वरूप 31 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इस घाटे को पूरा करने के लिये ही माल भाड़े तथा किराये में वृद्धि करने के प्रस्ताव किये गये हैं। गत वर्ष के कुल 24 करोड़ रुपये के घाटे को जमा राजस्व के विरुद्ध दिखाया गया है। परन्तु इस वर्ष हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जमा राजस्व कुल 35 करोड़ रुपये रह गया है।

इस वर्ष हमने मंहगाई भत्ते में वृद्धि का अनुमान लगा 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। परन्तु गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों को देखकर ऐसा लगता है कि इस राशि के 20 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की सम्भावना है। इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान कर ही माल भाड़े तथा किराये में वृद्धि पर विचार करना है।

कोयला मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन को देखते हुए ऐसा लगता है कि कोयले के मूल्य में एक रुपये की वृद्धि से भी रेलवे पर 1.72,00,000 रुपये का बोझ पड़ेगा।

संचालन लागत में वृद्धि निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन सभी बातों को देखते हुए रेलवे बोर्ड को कड़े अनुदेश दिये गये हैं कि व्यय में यथासम्भव मितव्ययिता की जानी चाहिए। कुछ कार्यक्रमों को छोड़ा जा रहा है; जिससे कि हम आर्थिक साधनों के अन्तर्गत ही कार्य कर सके।

यह ठीक है कि रेलवे की सड़क परिवहन से संस्पर्धा चल रही है। यह स्वाभाविक ही है कि सड़क परिहवन रूप की क्षमता पूरी तरह विकसित हो गई है। सामान के परिवहन में भाग लें। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रगतिशील देश में ऐसा होता है। रेलवे को अपने काम संचालन में सुधार करना होगा ताकि सड़क परिवहन का मुकाबला किया जा सके। इस संस्पर्धा से समाज को अवश्य लाभ होगा।

एक पायलट योजना जिसको कन्टेनर परिवहन सेवा भी कहते है। बम्बई तथा अहमदाबाद के बीच चालू की गई थी। इस सेवा को दिल्ली तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यदि यह योजना सफल होती है तो मुझे आशा है कि हम लोगों की अच्छी प्रकार सेवा कर सकेंगे।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि रेलवे बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि यह उच्च प्रबन्ध-क्षमता वाला एक तकनीकी निकाय है। यह रेलवे के कार्य का नियंत्रण करता है तथा सचिवालय के काम का भी प्रबन्ध करता है।

यदि यह मान लिया जाये कि रेलवे बोर्ड नहीं है, तो अन्य मंत्रालयों की तरह वरिष्ठ अधिकारियों का एक निकाय बनाना पड़ेगा। पता नहीं रेलवे बोर्ड को समाप्त करने से क्या विशेष लाभ प्राप्त होंगे।

रेलवे, सरकार के कुल खर्च का लगभग तीसरा भाग व्यय करता है। अतः इसके लिए प्रशासनिक, वित्तीय, लोक कल्याण, तकनीकी तथा वैज्ञानिक नियंत्रणों के लिए किसी प्रकार के संगठन की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड में यही काम तकनीकी जानकारी के व्यक्ति कार्य करते हैं। रेलवे बोर्ड वास्तव में रेलवे का कार्यभार सम्भालने के लिए एक सक्षम तथा दक्ष निकाय है। ब्रिटिश सरकार ने भी रेलवे बोर्ड की तरह का एक निकाय बनाया है।

मेरे माननीय मित्र श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् ने वाल्टेर तथा वेजवाड़ा रेलवे स्टेशनों के कार्य के बारे में कुछ प्रश्न उठाये हैं । वाल्टेयर स्टेशन का काम कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा । कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा । बेजबाड़ा स्टेशन का प्लेटफार्म देश के बड़े प्लेटफार्मों में से एक है । वहां पर प्रतीक्षालय तथा अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हैं ।

केरल, बिहार, पंजाब, आसाम, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं । उन सभी सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा । परन्तु इसके साथ-साथ वित्तीय साधन तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम भी इस प्रकार होने चाहिए जिससे कि इन सुझावों पर विचार किया जा सके ।

ऐसा कहा गया है कि समय-समय पर निकाले गये परिपत्रों पर कार्यवाही नहीं की जाती । इसकी जांच अवश्य की जायेगी तथा मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी ओर ध्यान दूंगा ।

रेलवे की चिकित्सा सेवाओं को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के समान बनाया जा रहा है । केवल लाइसेंस प्राप्त डाक्टरों के मामले में कुछ कठिनाई हैं । इस बारे में आवश्यक छानबीन कर कार्यवाही की जायेगी ।

सभापति महोदय : मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motion's were put and Negatived.

सभापति महोदय : मैं अब रेलवे मंत्रालय की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री तेन्नेटि विश्वानाथन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रत्येक मांग को अलग-अलग रखा जाना चाहिए । इस विषय में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं ।

सभापति महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands in respect of Ministry of Railways were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	रेलवे बोर्ड	85,98,000
2.	विविध व्यय	3,06,26,000
3.	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	24,96,000

4. संचालन-व्यय–प्रशासन	44,53,67,000
5. संचालन-व्यय–मरम्मत और अनुरक्षण	1,41,51,75,000
6. संचालन-व्यय–परिचालन कर्मचारी	91,46,16,000
7. संचालन-व्यय–परिचालन (ईंधन)	88,45,09,000
8. संचालन-व्यय–परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	25,24,41,000
9. संचालन-व्यय–विविध व्यय	21.39,05,000
10. संचालन-व्यय–कर्मचारी कल्याण	15,37,76,000
11. संचालन-व्यय–मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	71,99,98,000
11-क संचालन-व्यय–पेंशन निधि में विनियोग	10,03,33,000
12. सामान्य राजस्व को लाभांश	1,35,55,86,000
13. चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	7,50,00,000
14. नई लाइनों का निर्माण	25,34,18,000
15. चालू लाइन निर्माण–पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	3,57,79,39,000
16. पेंशन-प्रभार–पेंशन-निधि	2,75,38,000
17. सामान्य राजस्व से लिये गये कर्ज और उस पर सूद का भुगतान–विकास निधि	41,15,000
18. विकास निधि में विनियोग	1,27,75,000
20. राजस्व आरक्षित निधि से निकासी	2,05,49,000

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1967

APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 3 BILL, 1967

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967–68 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967–68 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967–68 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967–68 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :
The motion{was adopted.

खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 2 and 3 and the Sehedule were added to the Bill.

खण्ड–1
संशोधन किया गया।
Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 तथा 4

["विनियोग (रेलवे) संख्या 3, अधिनियम, 1967"]

'Appropriation (Railways) No 3 Act 1967,

के स्थान पर

["विनियोग (रेलवे) संख्या 2 अधिनियम, 1967]

"Appropriation (Railways) No 2, Act, 1967"

रखा जाये।

[श्री चे० मु० पुनाचा]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,
The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1, as amended was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 23 जून, 1967/2, आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, June 23, 1967/ Asadha 2, 1889 (Saka).